# CONTENTS

**Fifteenth Series, Vol.IV, Second Session, 2009/1931 (Saka)**
**No.22, Friday, July 31, 2009/ Sravana 9, 1931 (Saka)**


| SUBJECT | PAGES |
| --- | --- |
| **OBITUARY REFERENCE** | **2-3** |
| **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| *Starred Question Nos.401 to 404 | 6-45 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos.405 to 420 | 46-96 |
| Unstarred Question Nos.3844 to 3930 and 3932 to 4025 | 97-439 |


* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**PAPERS LAID ON THE TABLE** **440-441**

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA** **442**

**CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE** **443-459**

Situation arising out of large-scale loss of jobs due to retrenchment and closure of industries, including IT Sector and steps taken by the Government in this regard

Shri Gurudas Dasgupta 443

446-453

Shri Mallikarjun Kharge 443-445

459-463

Shri Basu Deb Acharia 454-456

Shri A. Sampath 457-459

**BUSINESS OF THE HOUSE** 465

**MOTION RE: FIFTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE** 469

**GOVERNMENT BILLS- Introduced**

**(i) Life Insurance Corporation (Amendment) Bill, 2009** 470

**(ii) National Green Tribunal Bill, 2009** 471

**STATEMENT BY MINISTER**

Import of raw and white/refined sugar 472-473

Shri Sharad Pawar

**RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION BILL, 2009** 474-499

Motion to consider 474-499

Shri Kapil Sibal 474-479

Shri Kirti Azad 480-491

Dr. Girija Vyas 492-499

**PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced** **500-508**

**(i) Old Age Pension and Rehabilitation Bill, 2009** **500**

By Shri Adhir Chowdhary

**(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Insertion of New Article 21B)**

By Shri Basudeb Acharia **500**

**(iii) Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of the Schedule)**

By Shri Basudeb Acharia **501**

**(iv) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill , 2009 (Amendment of the Schedule)**

By Shri Basudeb Acharia **502**

**(v) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of the Schedule)**

By Shri Basudeb Acharia **502**

**(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of article 130)**

By Shri Hansraj G. Ahir **503**

**(vii) Payment of Subsistence Allowance to Farmers and Agricultural Labourers Bill, 2009**

By Shri Hansraj G. Ahir **503**

**(viii) Council for Environment Protection Bill, 2009**

By Shri K.C. Singh 'Baba' **503**

**(ix) Central Himalayan States Development Council Bill, 2009**

By Shri K.C. Singh 'Baba' **504**

**(x) Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of article 51A)**

By Shri K.C. Singh 'Baba' **504**

**(xi) Consumer Goods (Mandatory Printing of Cost of Production and Maximum Retail Price) Bill, 2009**

By Shri Hansraj G. Ahir **505**

**(xii) Agricultural Land Acquisition Regulatory Authority Bill, 2009**

By Shri Hansraj G. Ahir **505**

**(xiii) High Court of Andhra Pradesh (Establishment of a Permanent Branch at Vijayawada) Bill, 2009**

By Shri L. Rajagopal **506**

**(xiv) Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Insertion of new article 21B)**

By Shri L. Rajagopal **506**

**(xv) Disruption of Proceedings of Parliament (Disentitlement of Daily Allowance to Members and Termination of Membership) Bill , 2009**

By Shri L. Rajagopal **507**

**(xvi) Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2009**

By Shri L. Rajagopal **508**

| | |
|---|---|
| **UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISIONS FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL, 2009** | **509-546** |
| Shri B. Mahtab | 509-513 |
| Shri Adhir Chowdhury | 514-518 |
| Dr. Bhola Singh | 519-521 |
| Shri Shailendra Kumar | 522-526 |
| Shri Arjun Charan Sethi | 527-531 |
| Shri Arjun Ram Meghwal | 532-535 |
| Shri Om Prakash Yadav | 536-537 |
| Shri Rudramadhab Ray | 538-540 |
| Shri V. Narayanasamy | 541-546 |

**ANNEXURE – I**

| | |
|---|---|
| Member-wise Index to Starred Questions | 548 |
| Member-wise Index to Unstarred Questions | 549-551 |

**ANNEXURE – II**

| | |
|---|---|
| Ministry-wise Index to Starred Questions | 552 |
| Ministry-wise Index to Unstarred Questions | 553 |

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

## THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

## PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

## SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

**LOK SABHA DEBATES**

---

---

LOK SABHA

----------

Friday, July 31, 2009/ Sravana 9, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[MADAM SPEAKER in the Chair]**

**OBITUARY REFERENCE**

MADAM SPEAKER: Hon'ble Members, I have to inform the House of the sad demise of our former colleague, Shrimati Gayatri Devi.

Shrimati Gayatri Devi was a member of the Third, Fourth and Fifth Lok Sabhas from 1962 to 1977 representing the Jaipur Parliamentary Constituency of Rajasthan.

Shrimati Gayatri Devi was a Member of the Committee on Petitions during the Third Lok Sabha.

A woman who earned international fame and recognition, Shrimati Gayatri Devi was also a pioneer in women's education. She served as the Chairman, Governing Council of the Maharani Gayatri Devi Girls Public School, Jaipur; Board of Trustees of the Sawai Jai Singh Benevolent Trust; Maharani Gayatri Devi Soldiers Welfare Fund; Board of Trustees of Sawai Ram Singh Shilpa Kala Mandir and of Jaipur Museum Advisory Council.

A committed social and political worker, Shrimati Gayatri Devi worked for the welfare of poor and advancement of the women folk.

A sports enthusiast, Shrimati Gayatri Devi held the office of President of the All India Badminton Association and the Vice-President of the All India Lawn Tennis Association. She was also a member of the Sawai Man Singh Club, Jaipur and the Delhi Golf Club.

A widely travelled person, Shrimati Gayatri Devi was a multi-faceted and charismatic personality. She has to her credit a book entitled 'A Gourmet's Gateway'.

Shrimati Gayatri Devi passed away on 29th July, 2009 at Jaipur at the age of 90 after a brief illness.

We deeply mourn the loss of our friend and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

**11.02 hrs**

*The Members then stood in silence for a short while.*

---

MADAM SPEAKER: Question Hour.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, the minorities and the Scheduled Castes are being brutally tortured and killed in the State of West Bengal…… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb. Let the Question Hour continue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let the Question Hour continue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Do not make the Question Hour a casualty everyday. What is all this? आप क्वश्चैन ऑवर चलने दीजिए।

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I have given a notice…… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: बसुदेव आचार्य जी, आपने नोटिस अभी दिया है। I have not had the time to read it. I will read it; I will examine it.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have given the notice.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have just given it one minute back. I have not read it. I will read it, examine it and I will get back to you. Please sit down. Let the Question Hour continue. Please sit down.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग शांत हो जाइये और क्वश्चैन ऑवर चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)* ...*

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

*Not recorded

**(Q. No. 401)**

SHRI C. SIVASAMI : Respected Madam Speaker, a study conducted by the National Council of Applied Economic Research found that there are many flaws in the flagship programme of NREGA. We also know it for a fact that most of the work that are intended to be done by men are being carried out by machines. It has also been reported that there are complications in the official figures of muster roll and the actual number of persons engaged. It is also in public knowledge that middlemen play a vital role in the payments. Will the Government ensure proper implementation of the scheme in letter and spirit so that the intended persons get full benefit?

DR. C.P. JOSHI: Madam, whatever the hon. Member says is correct. We are aware of this; in a number of States, this practice is prevailing. I can assure you that we are discussing the mechanism by which we can stop this practice. I hope that the States will play their important roles. As per the provisions of the Act, the States could take appropriate action in redressing this and about the mechanism. But this practice prevails; and we will see as to how we could stop this.

SHRI C. SIVASAMI : Under this scheme, there are stipulations on the type of work that could be undertaken; the Government has listed them also. Utilizing the available funds, under the Employment Guarantee Scheme, instead of using the funds only for earth work, may I know whether the Government would come forward to create visible assets to provide employment opportunities for village artisans?

Even otherwise, this country has many towns like Tiruppur, which are having many different industries. We are not able to get experienced labour, who could work for less than Rs.150-Rs.300 per day. This being the ground situation, will the Government come forward to include training programmes in the field of hosiery, tailoring, computer training, etc., at their own places, even in villages, which will ensure self-employment?

DR. C.P. JOSHI: Madam, as per the provisions of the Act, we are bound to give only the manual labour, the wages. But what the hon. Member said is that we should gradually switch over to the skilled work from unskilled work. When we consider this, we will take care of what the hon. Member said.

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदया, यह बड़ा अजीब जवाब है, जो मैंने इसमें पढ़ा। मेरा सीधा सवाल था। इंप्लायमेंट गारन्टी स्कीम के बारे में मैं यह नहीं पूछ रहा था कि सरकार कितना पैसा दे रही है। मैंने पूछा था कि अगर उसमें कोई कमी है, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? इसका जो जवाब हमें मिला है, उसमें कहा गया है कि करेक्टिव मेजर्स की जरूरत नहीं है। इंप्लायमेंट जेनरेशन स्कीम का मतलब है कि आप कितने लोगों को इप्लायमेंट देने वाले हैं? क्या आप कोई कारखाना खोलने वाले हैं या कोई 100 किलोमीटर की सड़क बनाने वाले हैं जिसमें लोगों को इंप्लायमेंट मिले? इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। आपने नरेगा का जिक्र कर दिया है जिसके बारे में सभी को मालूम है। मै यह जानना चाहता हूं कि आप अगले साल में या अगले कुछ सालों में कितने लाख लोगों को इंप्लायमेंट देंगे? आज इंप्लायमेंट एक्सचेंज में देखिए तो सिर्फ दो प्रतिशत लोगों को इंप्लायमेंट मिला है, वहां पढ़े-लिखे लोग भी हैं, बगैर पढ़े-लिखे लोग भी हैं। आप बी.ए. पास लड़के से कहेंगे कि सड़क खोदे, तो मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। इसलिए मेरा जो असली सवाल है, उसका जवाब क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या कोई तालमेल है? क्या नॉन-कांग्रेस स्टेट्स इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहें है और क्या वे आपके पास पूरे डाटा भेज रहे हैं?

**डॉ. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मेरे पास पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में जो योजनाएं हैं, माननीय सदस्य को उनके बारे में जानकारी दी गई है। यह बात सही है...(व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है, मेरा तो मेरे सवाल से सम्बन्ध है और वह कौन जवाब देगा, यह आप जानें।

**डॉ. सी.पी. जोशी:** मैं समझता हूं, Madam, this question does not pertain to my Ministry. मेरे विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं, मूलतः वे दो हैं, एक तो नरेगा है और दूसरी एसजीएसवाई है। ये दो योजनाएं बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करती हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो, तो उसके निदान के लिए अलग-अलग विभाग हैं। कहीं इंडस्ट्री विभाग उसके लिए काम कर रहा है

और कहीं दूसरा विभाग काम कर रहा है। वहां पर भी अनएम्प्लायमेंट की समस्या को एड्रेस किया जाता है। मेरे विभाग से सम्बन्धित जो दो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में मैंने जवाब दिया है।

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** मैडम, इसका कोई हल तो निकालें। अगर यह सवाल गलत मंत्रालय को गया तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदया:** आप दोबारा नोटिस दे दीजिए।

**श्री सोहन पोटाई :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए नरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जहां तक नरेगा का प्रश्न है, उसमें मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से किया जाता है। बैंक ब्लाक मुख्यालय में होते हैं और एक पोस्ट ऑफिस दो-तीन पंचायतों के अंतर्गत होता है, जिसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा घर कहते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी के लिए 25-30 किलोमीटर दूर ब्लाक मुख्यालय में स्थित बैंक जाता है, तो करीब सप्ताह भर चक्कर काटने के बाद उसे भुगतान होता है। इसी तरह शाखा डाक घर है, उसकी अपनी लायबिलिटी है, यदि उसका कर्मी साइकिल से जाता है या पैदल जाता है तो एक दिन में वह मात्र 5,000 रुपए ले जाने होते हैं। अगर वह बस में जाए तो उसकी 10,000 रुपए तक की लायबिलिटी है। लेकिन एक-एक पंचायत में 3 लाख रुपए से ज्यादा के काम होते हैं। जहां 3 लाख रुपए से ज्यादा के काम होते हैं, वहां एक दिन में यदि 10-10,000 रुपए दिया जाता है तो मजदूर भुगतान के लिए कितने दिन चक्कर काटेंगे। इस तरह यदि एक मजदूर ने एक सप्ताह काम किया है, तो उसे एक महीने चक्कर काटने पर पेमेंट मिलता है।

**अध्यक्ष महोदया:** आप प्रश्न पूछें, बहुत लम्बी भूमिका मत बांधिए।

**श्री सोहन पोटाई :** मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। क्या इन मजदूरों को भुगतान करने के लिए इसमें सरलीकरण करने का उनका विचार है?

**डॉ. सी.पी. जोशी:** अध्यक्ष महोदया, वेजेज़ के पेमेंट के अंतर्गत शिकायत आती है कि काम करने वाले व्यक्ति को जितना पैसा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। इसलिए हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि ट्रांसपेरेंसी को लागू करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेमेंट किया जाए। इस सम्बन्ध में कई प्रदेश अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जगह पर, जहां पंचायतों में डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पोस्ट ऑफिस से ठीक ढंग से डिस्बर्समेंट नहीं हो रहा है, इसकी हमें जानकारी है। हम इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकारों को आगे आकर बताना पड़ेगा कि वे दूसरा ऐसा कौन सा मेकेनिज्म लागू करना चाहते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी के आधार पर गरीब आदमी

को पूरा का पूरा वेजेज़ मिल जाए। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही है कि उस गरीब आदमी के वेजेज़ को लोग हाईजैक भी कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखने की हमने व्यवस्था की है। इसमें सुधार करने की जो बात है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हम निश्चित रूप से इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे।

SHRI PRABODH PANDA : So far as the NREGA is concerned, the existing norm is that one person is entitled to get work under the scheme but the situation in a family is not such that only one person is unemployed. So, I would think that all the unemployed persons in a particular family should be covered. I would, therefore, like to know from the Minister whether he is contemplating to cover all the unemployed persons of a family so that this NREGA scheme could be extended to cover all the eligible unemployed persons of a village.

DR. C.P. JOSHI: Madam, Speaker, at the present we are considering the house as a unit. One adult person from every house is eligible to work under this scheme. But as per statistics which I have with me, so far no State has covered 100 days. The hon. Member is saying that you should cover every unemployed person. This Scheme is not meant for every unemployed person but this is meant for one adult per household.

**श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में ही जानना चाहता हूं। अधिनियम के अंतर्गत, 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार ने लागू की है। सरकार का मानना है कि अभी 50 दिन का ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। पिछले सप्ताह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी गये थे। उन्होंने वहां जमीन पर बैठकर पंचायत लगाकर स्वयं देखा कि जो कार्य-योजना बननी थी, उसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि मांग-पत्र फार्म भरकर दिया जा सकता है, जिसके आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा और वे भत्ते के लिए हकदार हो जाते हैं। जॉब-कार्ड उनके पास नहीं है, वह तो प्रधान के पास है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया** : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

**श्री पन्ना लाल पुनिया :** मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की तरफ से 6 प्रतिशत प्रशासन के लिए धन की व्यवस्था है। उस पैसे के माध्यम से जागरुकता कैंप या प्रशिक्षण शिविर

लगाए जा सकते हैं। मैं प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार की तरफ से अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव-स्तर पर जागरुकता कैम्प तथा प्रशिक्षण शिविर लगाने का कार्य करेंगे।

**डॉ. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि इस एक्ट के माध्यम से अलग-अलग प्रदेशों को इस योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना है। हमारे संविधान में यह सब्जैक्ट स्टेट का है। भारत सरकार ने गांव के गरीब आदमी को आश्वस्त किया है कि इस कानून के माध्यम से हम 100 दिन का रोजगार देंगे, पर जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हम सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और सचिवों से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए, यदि जागरुकता का काम करना है तो जागरुकता का काम किया जाए। एनजीओज को सम्मिलित करके हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले, जिससे वे इस योजना का लाभ ले सकें। हम आशा करेंगे कि सारे प्रदेशों के जितने भी हमारे निर्वाचित सांसद हैं, वे इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके।

DR.RATNA DE : Respected Madam, I would like to know in West Bengal how many people were provided employment in 2008-09 and for how many days the employment was provided.

DR. C.P. JOSHI: As per the information which I am having, in the year 2006-07, the average days availed in West Bengal were 14; in 2007-08, it was 25; in 2008-09, it was 26; and for 2009-10, so far it is only 12 days. This is the information which I am having.

MADAM SPEAKER: Question No. 402, Shri Anant Kumar Hegde.

**(Q.No.402)**

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** अध्यक्ष महोदया जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि अभी तक हम आरजीजीवीवाई स्कीम में सिर्फ गांव का जिक्र करते आये हैं। हम उन परिवारों का कभी गणित नहीं कर पाए जिन गांवों में विद्युत पहुंच गयी है, लेकिन उन गांवों के सभी बीपीएल परिवारों तक हम नहीं पहुंच पाये। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने बीपीएल परिवार इस देश में हैं जिनकी जानकारी हम राज्य सरकारों से प्राप्त कर सकते हैं।

MADAM SPEAKER: Please, let there be order in the House.

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** बीपीएल परिवारों तक विद्युत अभी तक नहीं पहुंच पायी है, लेकिन अपने गणित के अनुसार लिस्ट में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। अगर इसमें तथ्य है, तो ब्यौरा क्या है, अगर नहीं है तो सत्य क्या है? खास करके कर्नाटक के बारे में और उसमें से भी अपने क्षेत्र के बारे में मैं यह सूचना चाहता हूं।

**श्री भरतसिंह सोलंकी :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, वह हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। एक बहुत ही बड़ा काम हमने पूरे देश में शुरु किया, जैसे उन्होंने बताया कि 1 लाख 18 हजार गांव और बीपीएल के कुल मिलाकर 2 करोड़ 34 लाख परिवारों को यह सुविधा दिलाने की बात की गई है। इस सुविधा में आज तक हम 65 हजार गांवों को बिजली दिला पाए हैं और करीब बीपीएल के 63 लाख लोगों को ही बिजली दिला पाए हैं, जैसा कि वह कह रहे हैं कि बाकी लोग बहुत रह गए हैं जिनके पास हमें यह सुविधा पहुंचानी है और यह सुविधा पहुंचाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। डीपीआर् बने हैं, उसके लिए अवार्ड दिये जाने हैं और वह सभी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके लिए संबंधित राज्यों की जो व्यवस्था है, उसको भी आगे जोड़कर काम करना है।

दूसरे, जो उन्होंने कर्नाटक के बारे में बताया कि उनके विस्तार की स्कीम है। कर्नाटक में कुल मिलाकर सैंक्शंड 10वीं योजना में 17 जिले की 17 परियोजनाएं तय की गई हैं और 11वे प्लान में 7 नये प्रोजेक्ट्स आए हैं। उसमें से 6 जिले कवर किये गये हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक को 560 करोड़ रुपया दिया गया है।

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी की इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पूरे देश के बीपीएल परिवारों का गणित मंत्री जी के पास नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार करीब 35 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत लोग इस देश में बीपीएल लिस्ट में आते हैं। आज हमारे देश की आबादी 110 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यानी 35 करोड़ से 40 करोड़ की आबादी बीपीएल में आती है।

मंत्री जी ने ही मान लिया है कि 63,57,913 लोगों को अब तक विद्युतीकरण योजना में यह सुविधा दी है। इसी ढंग से अगर काम करेंगे तो यह सामान्य गणित है कि 50 से ज्यादा साल इस योजना के अन्तर्गत इस देश के बीपीएल लोगों को विद्युत दिलवाने में हमें चाहिए। मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि बनाया गया है तो उस मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है? क्या वर्ष 2012 से पहले हमें जो आरजीजीवाई स्कीम को पूरा करना है, क्या उसके अन्तर्गत यह लक्ष्य पूरा हो पाएगा? अगर हो पाएगी तो ब्यौरा क्या है और नहीं होगी तो क्या कारण है?

**श्री भरतसिंह सोलंकी:** अध्यक्ष महोदया, जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की, उसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ यह बात भी है कि बीपीएल की जो लिस्ट बनती है, डीपीआर राज्य सबमिट करता है और उस डीपीआर के अनुसार बीपीएल फैमिली तय होती है और बीपीएल फैमिली तक पहुंचकर हमें यह काम करना है। 30 प्रतिशत रूरल अनइलैक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड हैं, उनमें 2.34 करोड़ बीपीएल हाउसहोल्ड हैं। हमारे हिसाब से जो बीपीएल हाउसेज हैं, उनमें 40 प्रतिशत काम अभी बाकी है। हर राज्य का जो विवरण हमने दिया है कि कितना-कितना काम हुआ है, ...(व्यवधान)

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** यह कोई तर्क नहीं है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए। Have you completed the answer? Or, are you still to complete the answer?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: I am yet to complete the answer.

MADAM SPEAKER: Allow him to complete the reply.

**श्री भरतसिंह सोलंकी :** माननीय सांसद महोदया चाहते हैं, कि इस देश के सभी बीपीएल परिवार में बिजली का एक बल्व जले, जो हम सबकी इच्छा है और इसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्यों से जो डीपीआर बनकर आती है, हम उस डीपीआर के अनुसार काम करते हैं। बीपीएल की जो लिस्ट है, उनमें हमारा यह काम है कि जिन बीपीएल परिवारों में बिजली नहीं है, उनको हमें जोड़ना है।

यह सब परिवारों को जोड़ने की बात नहीं है। इसके अलावा बीपीएल की जो लिस्ट हमारे पास आती है उसके अनुसार काम करने में अनेक असुविधाएं हैं। कई राज्यों में ऐसा भी होता है कि ट्रांसफार्मर के लिए जमीन नहीं मिलती। कई जगह और भी दिक्कतें आती हैं जैसे कांट्रेक्टर नहीं मिलते क्योंकि उनके अवार्ड नहीं हुए। बीपीएल की लिस्ट स्टेट बनाती है, हमें जो डीपीआर की लिस्ट मिली है, उसके अनुसार ये फिगर्स आपको दी हैं।

**श्री जगदानंद सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदया, देश के पैमाने पर प्रगति बहुत धीमी है। मंत्री जी का जवाब आया हुआ है इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं बिहार की बात करना चाहता हूं कि अभी तक वहां केवल 6 लाख 22 हजार परिवारों को बिजली मुहैया कराई गई है। जबकि केंद्रीय सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 65 लाख बीपीएल परिवार हैं। राज्य सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया है उसके अनुसार एक करोड़ बीस लाख परिवार हैं। अभी बिहार में केवल 6 लाख 22 हजार परिवारों को बिजली दी गई है, यह सूचना माननीय मंत्री द्वारा दी गई है। बिहार में सबसे अधिक बीपीएल परिवार हैं लेकिन बिहार में सबसे कम बीपीएल परिवारों को बिजली दी गई है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि वहां की योजनाएं का यहां जो डीपीआर आया है वह लंबे समय से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों बिहार में सबसे कम बीपीएल परिवारों को बिजली मुहैया कराई गई है? हम यदि केंद्र सरकार के सर्वेक्षण को मान लें तो भी बिहार में 65 लाख बीपीएल परिवार हैं, 10 प्रतिशत बीपीएल परिवारों को भी बिजली मुहैया नहीं कराई जा सकी है।

महोदया, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि वहां बहुत छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और जो लगाए जा रहे हैं उनमें 50-60 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जल गए हैं। इससे हम सब को समस्या हो रही है क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है और बिजली देने की जो बात की जा रही है, उसमें भी एक महीने से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर नहीं टिक पा रहे हैं , न तो बल्ब ही जल पा रहे हैं। यह योजना इतनी महत्वाकांक्षी है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से पहली बार गरीबों के घरों में रोशनी पहुंचाने की बात हो रही है जबकि बिहार में धीमी रफ्तार से बीपीएल परिवारों को बिजली दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने वर्षों में बिहार के सभी सर्वेक्षित परिवारों को बिजली मुहैया कराई जाएगी? वहां बिजली के जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उन्हें बदलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या भारत सरकार की है?

**श्री भरतसिंह सोलंकी:** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के कुछ राज्य हैं जहां काम कुछ धीमा चल रहा है। इन्होंने ठीक बताया कि बिहार में कुछ मुश्किलों के कारण ऐसा हो रहा है जैसे वहां लैंड एक्वीजिशन की

बहुत प्रॉब्लम है। आज तक बिहार के सिवान, मुंगेर, नवापाड़ा और पूर्णिया में लैंड एक्वीजिशन का काम नहीं हो पाया है। इन्होंने ट्रांसफार्मर की बात बताई है, आपके यहां टोला ही कहते हैं, पहले योजना थी कि हर एक टोला डीपीआर में तय किया जाए। हमारी योजना में बड़ा गांव सोचकर, इन्टेंसिटी और पॉपुलेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर 3311 केवीए का रखा गया और आबादी के हिसाब से यह ट्रांसफार्मर उतनी सुविधा नहीं दे सका। इनकी चिंता है कि ये ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने पिछली बार इसी हाउस में जवाब दिया था कि फेस-2 में जिन गांवों को ले रहे हैं, उन राज्यों को डीपीआर बनाकर कहा है कि वे एक के बजाय दो-तीन ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा काम इस व्यवस्था को बीपीएल परिवारों तक पहुंचाना और उन्हें एक बल्ब देना है। बाकी उन्हें सप्लाई देने और इनर्जाइज करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

**श्री अधीर चौधरी :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो ब्यौरा पेश किया है, इसमें लक्ष्य का पता नहीं चलता। इसलिए इस काम की जो पारदर्शिता है, इस पारदर्शिता को समझने के लिए लक्ष्य तैयार होना चाहिए और उसके बाद अचीवमैन्ट्स क्या हैं, यह देखना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार की कई पावर जनरेशन कंपनियां हैं, जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू करने के लिए तैनात किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि बंगाल में कौन से केन्द्रीय संगठन को तैनात किया गया है और वहां कितने ऐसे बीपीएल परिवार हैं, जिन्हें बिजली देना अभी बाकी है? क्योंकि बीपीएल लिस्ट का जहां तक सवाल है, ऐसा देखा गया है कि बंगाल में इंडस्ट्रियलिस्ट और एम.पी. का नाम भी बीपीएल तालिका में डाला गया है। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि बंगाल की सरकार ने जो डीपीआर पेश किया है, उसके हिसाब से बीपीएल परिवारों की कितनी संख्या है और अभी कितने बीपीएल परिवारों का विद्युतीकरण करना बाकी है?

**श्री भरतसिंह सोलंकी :** महोदया, इन्होंने चिंता जताई है कि इस स्कीम पर कोई कंट्रोल या उसकी क्वालिटी चैक करने की कोई सुविधा है या नहीं? इतनी बड़ी योजना कार्यान्वित हो और ठीक से चले, यह हम सबका उद्देश्य है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को बिजली मिले। इसके साथ ही देश में 1 लाख 18 गांव जो अभी अनइलैक्ट्रिफाइड हैं, वहां बिजली पहुंचे। इस योजना के तहत हमने तीन टायर की इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रखी है। पिछली बार हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बने, जिसमें मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट भी अपना अच्छा रोल निभा सकें। इसके लिए उन्होंने तीन पत्र लिखे हैं। अभी लास्ट में उन्होंने 24 तारीख को फिर एक पत्र लिखा है, उसके बाद 27

तारीख को हर राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भी पत्र लिखा है कि यह कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाए और हर महीने उसकी मीटिंग ली जाए, ताकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पूरा जायजा लिया जा सके।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. काम कर रहे है और सभी प्रोजैक्ट्स को जल्दी से कार्यान्वित किया जायेगा।

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : Madam, Speaker, the poorest of the poor of our nation lives in the most remote and sparsely populated villages. Under the existing guidelines of the RGGVY, due to non-meeting of the minimum population criterion or the maximum criterion, the poorest of the poor of our nation are bereft of electrification. So, can the hon. Minister would tell us as to how many BPL households there are which will not get electrified because of these conditions, and what steps the Government will take to ensure that they get electrification in the future?

**श्री भरतसिंह सोलंकी :** हमने फर्स्ट फेज का काम अच्छी तरह से शुरू कर दिया है और सैकिंड फेज के डीपीआर भी आ रहे हैं...(व्यवधान) वर्ष 2012 में हमारा टारगेट है कि इस देश का कोई भी बीपीएल परिवार ऐसा न रहे कि जिसके यहां एक बल्ब की सुविधा न हो, यही हमारा लक्ष्य है।

SHRI M.B. RAJESH : Madam, the State-wise and year-wise achievements of BPL connections under RGGY themselves show a discrimination against the State of Kerala. The Central Government has not allocated sufficient funds and it has released only a meager amount also. What is the actual amount released under the RGGVY to Kerala? What prevents the Central Government from releasing adequate funds? So, through you, Madam, I would like to know the answer from the hon. Minister.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: A separate Question could be asked.

MADAM SPEAKER: Send a notice. Now, question number 403, kumari Saroj Pandey.

**(Q.No. 403)**

**कुमारी सरोज पाण्डेय:** अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार को राज्य के कृषि मजदूरी दर में हुये संशोधन को अधिसूचित किये जाने हेतु 22.01.2009 को एक पत्र लिखा गया। उसके पश्चात् 26.02.2009 को एक पत्र प्रेषित किया गया। उसके पश्चात् 26.03.2009 को एक पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 11.05.2009 को फिर एक पत्र प्रेषित किया गया। राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य की कृषि मजदूरी दर में हुये संशोधन को अधिसूचित किये जाने हेतु पुन: 10.06.2009 को एक पत्र प्रेषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य में नवीन मजदूरी दर 80.83 रुपये अधिसूचित किये जाने के संबंध में आपके यहां 19.06.2009 को भी अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य, चूंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य है, इसलिये उस राज्य के तमाम आवेदन-पत्र, जो अब तक केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं, वे लम्बित हैं। उन पर एक दुराभाव से आज तक निर्णय नहीं हो पाया है। यह मजदूरों के हित संवर्द्धन का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वे इन पत्रों पर कब तक कार्यवाही करेंगे? अगर माननीय मंत्री महोदय एक निश्चित सीमा अवधि में कार्यवाही किये जाने के संबंध में उत्तर देंगे तो बेहतर होगा।

**डॉ. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ में मिनिमम मजदूरी 75 रुपये है और उसके बाद जब हमने 01.02.2009 को नोटिफिकेशन निकाला जिसमें यह कहा गया है कि जो कृषि मजदूरी है, वह 60 रुपये मिनिमम देने का प्रावधान है। उस नोटिस के बाद दुबारा मजदूरी रिवीज़न का काम अभी तक हमने नहीं किया है। माननीय सदस्या ने स्वयं सदन में सुना होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब से यू.पी.ए. की सरकार बनी है, वह 100 रुपया मजदूरी देने के लिये अपने आपको कमिट करती है। इसलिये वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसके आधार पर इसका निर्णय करने के लिये मामला हमारे पास लम्बित है। अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य ने 100 रुपये मजदूरी की मांग ही नहीं की है। हम तो आगे बढ़कर जनता से कमिटमेंट करना चाहते हैं । छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री मुझ से मिले थे और उन्होंने मुझे पत्र भी दिया था। जैसे ही हम मजदूरी दर में रिवीज़न करेंगे, राज्य को कम्युनिकेट करेंगे।

**कुमारी सरोज पाण्डेय :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** माननीय सदस्या को दूसरा पूरक प्रश्न पूछने दीजिये।

**कुमारी सरोज पाण्डेय :** अध्यक्ष महोदया, मैं यह पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी किस सीमा अवधि में इस कार्य को करेंगे, अगर यह समयावधि बता देते कि आवेदन-पत्र लम्बित हैं, लगातार राज्य सरकार पत्र पर पत्र लिख रही है। मुझे इस बात का जवाब चाहिये कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने जो अब तक पत्र भेजे हैं, आप उन पर किस सीमा अवधि में कार्यवाही करेंगे? अगर केन्द्र सरकार 100 रुपये मजदूरी देना चाहती है, उसका स्वागत है। अगर केन्द्र सरकार ज्यादा देना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन आवेदन-पत्र में दिये गये जो विषय लम्बित हैं, उन पर निर्णय तो करिये, मैं सीमावधि में उन पर मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आसंदी से संरक्षण चाहती हूं ताकि मुझे कम से कम इस मामले पर मंत्री महोदय से आश्वासन मिले।

**डॉ. सी.पी.जोशी :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपको मालूम है कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसेज के अनुसार बजट रखा गया है, वह पास होगा, हमें कम्युनिकेट होगा। उसके बाद हमें स्टैप्स लेने हैं। फिर भी हम अपने आपको 100 रुपये मजदूरी के लिये कमिट कर रहे हैं...(व्यवधान) आप 100 रुपये की मांग नहीं कर रहे है, फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया** : अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर पूरा नहीं किया है, आप लोग क्यों उठ गये? उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिये। आप लोग बैठिये।

**डॉ. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, मैंने सवाल के जवाब में बताया है कि 01.02.2009 को हमने नोटिफिकेशन निकाला। उस एक्ट के अंतर्गत किसी स्टेट की जो एग्रीकल्चर वेज़ेज है, उसके आधार पर हमने कहा है कि वह स्टेट उसे लागू करे। स्टेट गवर्नमेंट ने उसे 60 रूपए फिक्स किया है। उसके बाद हमारी सरकार ने कमिट किया है कि हम 100 रूपए देंगे, जिसकी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा भी की है। जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा, हम इसके बारे में निर्णय लेकर उस काम को करेंगे। राजनीति तो ये कर कर हैं, 75 रूपए दे रहे हैं, 100 रूपए देने की हिम्मत नहीं है और बात कर रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri K.J.S.P. Reddy - Not present

Shri Mulayam Singh Yadav

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** मुलायम सिंह जी आप बोलिए। मुलायम सिंह जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए। मुलायम सिंह जी, आपको नहीं कह रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपके दोनों पूरक प्रश्न हो चुके हैं। मुलायम सिंह जी आप प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** महोदया, उनके सवाल का जवाब नहीं आया है।…(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। जवाब नहीं है तो वे क्या जवाब देंगे?…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मुलायम सिंह जी आप पूछिए। आपका प्रश्न हो चुका है।

…(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, हमारा प्रश्न यह है कि…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी को जो जवाब देना था, वह उन्होंने दे दिया है।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I cannot compel the Minister.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** महोदया, उनके सवाल का यह जवाब नहीं है।…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, जो जवाब मंत्री जी को देना था, वे दे चुके हैं। अब आप मुलायम सिंह जी को बोलने दीजिए। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** महोदया, सवाल का जवाब आना चाहिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मुलायम सिंह जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, सदन व्यवस्थित हो जाए तो मैं अपनी बात कहूं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइए?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, I understand the sentiments of the Members. … (*Interruptions*) I understand the sentiments of the Members. I will request my Ministerial colleagues to respond to the question in a proper way. They can state the facts, but the way of putting should be such that the Members do not take any offence and in this respect, most respectfully I would like to submit that the hon. Minister is correct because this was the Budget announcement. The Budget has been passed here just last week. … (*Interruptions*)

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** भारत सरकार, राज्यों को चैलेंज देती है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लीडर ऑफ दी हाउस की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have understood the question. But if you want to disrupt the House, I cannot help it. I am trying to help you. … (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री प्रणब मुखर्जी :** आप क्या सोचते हैं?...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** लीडर ऑफ दी हाउस बोल रहे थे, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जिस बात पर आपको लगा कि वह नहीं होनी चाहिए....

…(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: When the Speaker is standing, how can you go on shouting like this? … (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** मैं वही बात कह रही हूँ। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** मंत्री जी राज्यों को चैलेन्ज कर रहे हैं। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** गीते जी आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लीडर ऑफ द हाउस को पहले सुन लीजिए। वह उसी बात पर बोल रहे हैं। उन्हें पूरा करने दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Have you completed?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I wanted to say that as Leader of the House I understand the sentiments of the Members. The hon. Members expect the Ministers to respond in the way they like it. But I am not answering the question. The Minister will answer to what is pending between the Government of Chhattisgarh and the Ministry of Rural Development. I was just clarifying one point which the Minister referred to within the domain of all of them. He was referring about the presentation of the Budget. That is the factual position. I am not commenting on the correspondence between the Government of Chhattisgarh and the Ministry of Rural Development. That is his job to do it. But I do feel, as a colleague, and I will suggest to all my ministerial colleagues that they should not offend the Members of the House… (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : Madam, the Leader of the House has rightly not commented on the nature of the reply which agitated Members here. He is right to that extent. I would expect the Minister to be respectful towards State Governments and not use the language that he used. That is all. If he were polite in his presentation, the Members would not have felt agitated. He has to reply to the questions.

We have a federal structure in which the Centre should respect all States and the States should respect the Centre. That is all. He should accept this.

DR. C.P. JOSHI: Madam, I do agree. I feel concerned about this. I do agree that we have to respect the sentiments of the States. My intention was very clear अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सामने आ जाना चाहिए। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा, उनके प्रश्न पूछने के पीछे मंशा यह थी कि भारत सरकार ने 60 रुपये किये, स्टेट्स में छत्तीसगढ़ ने 85 रुपये किये। उन्होंने चुनाव के पहले 85 रुपये किए। भारत सरकार 60 रुपये देगी, 85 रुपये आपको देना था। हमें जो निर्णय करना था, वह निर्णय हमारे बजट पास होने के बाद 100 रुपये करने का है। आपका जो लैटर आया, उसका जवाब देकर हम काम कर लेंगे, यह बात मैं कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

**श्री अनंत कुमार :** इन्होंने कहा - हिम्मत दिखाइए। ...(व्यवधान)

**श्री गोपीनाथ मुंडे :** इसमें हिम्मत की क्या बात है?

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** क्या यहाँ से राज्यों को चैलेन्ज किया जाएगा? ...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : He is not my leader… (*Interruptions*) Madam, the hon. Minister should withdraw that word… (*Interruptions*) The Minister should take back his words… (*Interruptions*)

**डॉ. सी.पी.जोशी :** आप बैठिये तो सही। मैं बताता हूँ। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया** : आप बैठ जाइए।

**डॉ. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, मुझे माननीय सदस्य की भावना को ऑफैन्ड नहीं करना था। When I said *himmat*, I meant capacity. But if they feel offended I withdraw it. … (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया** : उन्होंने विदड्रा करने की बात कह दी है। मुलायम सिंह जी आप बोलिये।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदया, हमारा सवाल बहुत मामूली सा है। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि साल में सौ दिन मज़दूरों को श्रम देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 100 दिन का काम तो आप दे देंगे, बाकी 265 दिन वे क्या करेंगे? क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है बाकी 265 दिन के लिए? इतना छोटा सवाल है पर इसका महत्व बहुत बड़ा है।

**डॉ. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार व्यक्ति 100 दिन का काम ले सकता है। जो भी व्यक्ति 100 दिन का काम लेना चाहेगा, वह 100 दिन का काम ले सकता है। हम सप्लीमैंट इनकम को रैन्डर करने का काम कर रहे हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** 265 दिन वे क्या करेंगे? ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** यही तो मुश्किल है, आप फंसते हैं और नेता सदन को जवाब देना पड़ता है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपका उत्तर आ गया है। श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, उत्तर नहीं आया है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। उनका उत्तर आ गया है। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है, आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी ने जो उत्तर देना था, वह दे दिया है। शरद यादव जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, जवाब क्या दिया है? आप देख लीजिए क्या जवाब दिया है?...(व्यवधान) हमने सवाल पूछा है कि सौ दिन आप काम दे देंगे, शेष 265 दिन की आपकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है कि वह क्या करेंगे? यह गंभीर समस्या है। क्या सरकार के पास 265 दिन काम देने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है?...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष महोदया, एक सवाल जो मुलायम सिंह जी ने पूछा है, उसका भी जवाब मंत्री जी दे सकते हैं। आपने सौ दिन का रोजगार दिया है तो उनका कहना है कि शेष 265 दिन लोग क्या करेंगे?

महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के जितने आदिवासी इलाके हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखण्ड के हों, चाहे बांसवाड़ा, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे छोटा उदयपुर हो,

चाहे झाबुआ हो और चाहे सोनभद्र हो, ये सभी ट्राइबल इलाके हैं। यह बंगाल से लेकर गुजरात तक हैं। मैं सभी इलाकों में घूमा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि आदिवासी इलाकों में नरेगा पूरी तरह से लूट का बड़ा भारी तंत्र बना हुआ है। इसका लाभ आदिवासियों तक बिलकुल नहीं जा रहा है। मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है कि लोगों ने आपको कई तरह से इसकी खबर दी होगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि इस योजना का पांच पैसा भी आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंच रहा है, उस पर आप क्या कार्रवाई करने का काम करेंगे? यह मेरा आपसे प्रश्न है।

**डॉ. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उससे हम भी चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इस योजना का लाभ गांव के गरीब आदमी को मिले। इस योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मूलतः राज्यों की है। जहां भी कमी है, हम उसको एड्रैस कर रहे हैं और आने वाले समय में कैसे इसे दूर किया जा सकता है, इसके प्रयास कर रहे हैं।

**श्री शरद यादव :** महोदया, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि यह आदिवासियों से जुड़ा मामला है, जो कि सीधे भारत सरकार से जुड़ा है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया** : आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला सीधे भारत सरकार से जुड़ा है। इसमें भारत सरकार सीधे बोल सकती है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया** : एक ही स्पलीमेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। श्री अनंत गीते।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** मैंने आपसे अनुसूचित जनजाति के बारे में पूश्न पूछा है। आप यहां से इंटरवीन कर सकते हैं। किसी अन्य मामले में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्राइबल और अनुसूचित जाति के मामलों में आप यहां से इंटरवीन कर सकते हैं।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में सभी राज्यों में मिनिमम वेजिस के आंकड़े यहां दिए हैं। लेकिन राज्यों ने जो दर तय की है, उतना भी वेतन नरेगा के मजदूरों को नहीं मिलता है। इस संदर्भ में कई बार यह शिकायत इस सदन में प्रश्न के माध्यम से कई सदस्यों ने की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतें क्या आपके पास आयी हैं? यदि आयी हैं, तो क्या आपने उनकी जांच की है अथवा राज्यों को इस बारे में क्या आदेश दिए हैं?

**डॉ. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि वह इस एक्ट के सैक्शन 19 में देख लें, उससे उन्हें पता चल जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजें करनी हैं। भारत सरकार के पास जो शिकायतें आती हैं, हम उन शिकायतों को स्टेट्स के पास भेजते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। हमने नेशनल लेवल पर मोनिटरिंग कमेटी बनाई है। हम उन्हें भेजते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। लेकिन जो कम्पलेंट्स हैं, उन्हें रिड्रेसल करने का काम मूलत: संविधान के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट का है। आप जो कमी बता रहे हैं, उसे एड्रेस करने के संबंध में भी हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि हम सब मिल कर कैसे इस योजना का क्रियान्वयन गरीब आदमी के पक्ष में कर सकें, उसमें कमियों और खामियों को आप सजेस्ट करिए, उसे हम ठीक करेंगे। उसका लाभ सब लोगों को मिले, यह हम सब का प्रयत्न होना चाहिए।

**श्री गोपीनाथ मुंडे :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो नरेगा में नोटिफाइड रेट्स दिए हैं, उसमें महाराष्ट्र के सबसे कम हैं - 72 रु.,70 रु.,68 रु. और 66 रु. हैं। सभी प्रदेशों से महाराष्ट्र के रेट कम हैं जब कि वह एक प्रगतिशील राज्य है और वहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा का राज नहीं है। महाराष्ट्र के रेट कम हैं और किसानों को खेतों में काम करने पर जो वेजेस मिलते हैं, वे सबसे भी कम हैं। क्या आप महाराष्ट्र से प्रस्ताव मंगाएंगे, गरीबों को सौ रुपए मिलने चाहिए, इस प्रकार का आदेश देंगे?...(व्यवधान)

**डॉ. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, ये स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार को भेजना है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम सौ रुपए देंगे तो निश्चित तौर पर आशा रखिए कि महाराष्ट्र में सौ रुपए के वेज़ेस के संबंध में हम कार्यवाही करेंगे। ...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYAPRADA : Madam, I have also given a notice. Please allow me to put a supplementary. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Q. No. 404, Shri Sanjay Singh Chauhan.

**(Q. No. 404)**

**श्री संजय सिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है,...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** ये नये माननीय सदस्य हैं, इन्हें शांतिपूर्वक प्रश्न पूछने दीजिए।

**श्री संजय सिंह चौहान :** क्या यह प्रोग्राम सिर्फ छोटे शहरों के संदर्भ में है, क्योंकि म्युनिसिपेलिटीस के संबंध में अलग से स्कीम है? क्या इस कूड़े को इकट्ठा करके, कहीं एक स्थान पर डाल कर उसे जलाने का प्रोग्राम है या इसके लिए कोई प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे हमें उसका कुछ लाभ मिल सके, क्योंकि यह कचरा स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसका स्वास्थ्य पर असर न पड़े, इसके लिए इस किस्म के प्लांट्स लगाए गए हैं या सिर्फ इसे जलाने का ही कार्यक्रम है?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, there are various methods of dealing with waste management. One way is to take the solid waste right to the land field site which has to be designed scientifically and hygienically. Another way is to take the solid waste to some factory where it could be converted into energy. There are varieties of ways.

**श्री संजय सिंह चौहान :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं और मंत्री जी से आश्वासन भी चाहता हूं। मेरी जानकारी में यह आया है कि जो नर्सिंग होम्स का कचरा है, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से, डायरेक्ट बोरिंग करके वाटर लेवल तक डाला जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्या इस संबंध में कोई जांच होगी? मैं लोक सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर से आता हूं, वहां जो पेपर मिल्स का...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिए, क्योंकि प्रश्न-काल समाप्ति पर है?

**श्री संजय सिंह चौहान :** वहां की जो राख है, वह पानी में डाली जा रही है, वहां नहरें भी हैं। वहां जमीन बंजर हो रही है और बहुत से गांवों में लोग अपंग हो चुके हैं, क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करवाएंगे?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I would request the hon. Member to appreciate that this is essentially a matter relating to the urban local bodies which

are administered by the State Governments. Be that as it may, I appreciate the concern of the hon. Member. These things are happening in our country.

In regard to the specific matter referred to, I will have it enquired into.

DR. SANJEEV GANESH NAIK : Madam Speaker, through you, I want to ask this question to the hon. Minister whether there are any new proposals which came from the State of Maharashtra regarding new cities like Thane, Navi Mumbai and Mira Bhayandar.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The question asked will be looked into. I will have the Member supplied with the necessary information.

MADAM SPEAKER: Thank you. Question Hour is over.

**12.00 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table—Kumari Selja.

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF TOURISM (KUMARI SELJA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2007-2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, see No. LT-589/15/09]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Agents) Amendments Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 513(E) in Gazette of India dated the 9th July, 2009 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, see No. LT-590/15/09]

(2) A copy of the Redressal of Public Grievances (Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 510(E) in Gazette of India dated the 8th July, 2009 under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938.

[Placed in Library, see No. LT-591/15/09]

(3) A copy of the Notifications No. G.S.R. 517(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 13th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 45/2006-Cus. dated the 24th May, 2006, under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

[Placed in Library, see No. LT-592/15/09]

**<u>12.01 hrs</u>**

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance (No.2) Bill, 2009, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th July, 2009 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

---

**12.02 hrs**

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### Situation arising out of Large-scale loss of jobs due to retrenchment and closure of industries, including IT sector and steps taken by the Government in this regard.

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up Calling Attention—Shri Gurudas Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I call the attention of the Minister of Labour and Employment to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The situation arising out of large-scale loss of jobs due to retrenchment and closure of industries, including IT sector, and steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam Speaker, I would like to give some of the details of the steps taken by the Government on the above subject.

The impact of global slowdown on the Indian economy has been felt since the middle of 2008. Keeping in view the importance and multi-faceted nature of the challenge, the Ministry of Labour & Employment convened the 42nd Session of Indian Labour Conference, which epitomizes the process of tripartite consultation, in February, 2009. An Agenda Item on "Global Financial Crisis—its effect viz., large scale downsizing, lay-offs, wage cut and job losses, etc." was discussed by the Conference in this sitting. Measures suggested by the Conference to fight global slowdown include urgent steps to stimulate domestic demand, greater investment in infrastructure and housing, and strict implementation of labour laws.

To counter the negative fallout of the global slowdown on the Indian economy, the Government of India provided three focussed fiscal stimulus packages in the form of tax relief and increased expenditure on public projects

while the RBI took a number of monetary easing and liquidity enhancing steps in order to boost domestic demand.

These measures have helped in keeping the Indian economy on growth trajectory, though at a moderate level when compared with the performance of recent past. As is evident from the Budget for the year 2009-10 presented by the hon. Finance Minister, the Government has continued with the policies aimed at boosting demand, generating employment and creating infrastructure in rural and urban areas through measures such as enhancing the exemption limit in personal income tax, eliminating the surcharge on personal income tax, raising the deduction limit under section 80-DD in respect of maintenance of a dependent who is a person with severe disability, and increased public expenditure, especially on social sector programmes.

These measures are also likely to act as a safety net for the vulnerable sections of society including the workers who may have lost their jobs as a result of economic slowdown.

To boost the construction activity which generates substantial employment in the economy, interest rate subsidy has been offered for housing loan borrowers from the lower and middle-income groups.

In addition, individual Ministries and Departments have also taken steps to counter adverse effects of global slowdown on Indian economy. These include interest subvention of two per cent to intensive sectors for exports, that is textiles (including handlooms), handicrafts, leather, gems and jewellery, marine products and SMEs, additional funds of Rs. 1,400 crore for Ministry of Textiles to clear the backlog claims of textile units under Technology Upgradation Fund (TUF) and putting in place a high-level monitoring mechanism so that immediate further corrective measures can be taken as may be required.

The Industrial Disputes Act, 1947 puts restriction on lay-offs and retrenchment and provides protection to the workmen in case of lay-off, retrenchment and closure of establishments. Moreover, the Ministry of Labour and Employment is implementing the Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana through the ESI Corporation which provides unemployment allowance for up to one year to those insured employees who have put in five years of service and have been rendered jobless due to retrenchment, closure of factories or permanent disability due to non-employment injury.

Our Ministry is closely monitoring the situation. The State Governments have also been advised to make their industrial conciliation machinery more effective and sensitive to ensure industrial peace and implement labour laws in an appropriate manner so that the interest of the workmen is protected.

I share the concerns of the hon. Members on the matter and assure the House that our Government is taking all possible steps to successfully address this challenge. However, I welcome the suggestions of the hon. Members to successfully handle the situation which has arisen due to the current global economic slowdown.

[Placed in Library, see No. LT-594/15/09]

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am constrained to say that the statement that the hon. Minister has now presented is drafted by the Ministry of Finance, not by the Ministry of Labour because he lists out what the Government has done particularly the Finance Ministry has done to protect the corporates and boost up their economic activities. But that is not the job of the Labour Ministry. The job of the Labour Ministry is to see what it has done to protect the interests of the workers.

With regard to that, the hon. Minister, who has taken the charge very recently, might have forgotten to say what the Ministry is doing. Only there is a pious desire of closely monitoring the situation. … (*Interruptions*)

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** महोदया, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** यह किस नियम के तहत है?

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप नियम बताइए।

…(व्यवधान)

**श्री जगदम्बिका पाल:** प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अगर श्रम मंत्री के द्वारा कोई वक्तव्य दिया गया है, तो यह कहना कि यह श्रम मंत्री के द्वारा नहीं तैयार किया गया, बल्कि वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया गया है, यह आरोप है। इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूं। यदि श्रम मंत्री के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह उनके मंत्रालय का वक्तव्य है और उनके बिहाफ पर है। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप कृपया शांत रहें। उन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, it is a Government and Government is represented by the different Ministries. Therefore, if the statement is drafted by the Ministry of Finance, that only speaks of the collective responsibility. Maybe the Labour Ministry has not done its job properly, but that speaks of the collective responsibility of the Government.

What he has to say with regard to the problem is ‘closely monitoring’. After so many years, the Government is closely monitoring. Secondly, he says that the State Governments had been advised. Then, he talks of sensitive measures of industrial peace. How is it connected with industrial peace? Job-lossness essentially is a basic human problem. It has nothing to do with industrial peace. Therefore, I refrain from making the comment on the speech that he has delivered, which he deserves. I am not commenting on that. It may hurt him. I am only saying that massive job loss is a basic human problem. Maybe a form of human disaster causes no concern in the country. As yet the Government has not outlined any relief measures with regard to the workers who have been thrown out of jobs.

Even the Government does not know how many people have lost their jobs. I am constrained to say that there is no reference to this basic human problem in the Presidential Address also. Even the rhetoric of the Finance Minister, while delivering his speech on the Budget, ignores this problem.

In the world, everybody is discussing it. All over the world, not in India alone, the problem is being discussed. Even the ILO is discussing it, but we do not discuss it. We ignore it. We do not mention it.

Madam, can I say that insensitivity has no bound and limit? What does the *Economic Survey* say? It says ‘while comprehensive employment data for current financial year is not available, some sample survey has indicated that employment loss is taking place.’ What a cursory and casual statement it is. The Government does not know what has been the extent of the damage caused to the people who were employed. What will he call it? Is it an expression of social obligation?

The Labour Minister has forgotten to say that his predecessor had conducted a survey and that survey said 'five lakh workers have lost their jobs in three months'. तीन महीने में पांच लाख मजदूरों की नौकरी चली गयी। आपके पहले जो श्रम मंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया था, लेकिन आप यह बात नहीं बताना चाहते हैं। There is another sample survey that suggests that in one month only, one lakh people lost their jobs. The Ministry of Commerce have confirmed that more than lakh workers have lost their jobs only in the export industry.

What about the private sector? Larsen and Toubro (L&T), the largest engineering concern of the country, has off-loaded five per cent of its workforce, that is, 10,000 workers have lost their job in L&T.

The textile industry is one of our national industries. It was built up in the course of our national movement. What does the Confederation of Indian Textile Industry say regarding this issue? It says that seven lakh workers have lost their jobs. मालिक बोल रहे हैं, ट्रेड यूनियन नहीं बोल रही है, सात लाख मजदूरों की नौकरी चली गई साहब। वे दुबारा बोल रहे हैं, पांच लाख मजदूरों की नौकरी जाने वाली है। Where is the reflection of this grim reality in the statement of the hon. Minister?

Madam, lay-off is a form of temporary retrenchment or job loss. A majority of the lay-offs have affected the wage earners. जो मजदूर बिहार से काम करने के लिए जाते हैं, जो मजदूर उत्तर प्रदेश से काम करने के लिए जाते हैं, हमारे हिन्दुस्तान की अनफार्चुनेट सिचुएशन है। They are saying that lay-off has affected the daily wage earners who constitute between 25 per cent and 30 per cent of the workforce in a company. This is the situation of the unorganised labour in the country for which you say that you have some tears to shed.

Madam, what about the world? The United Nations Conference on Trade and Development has said this. You believe this figure, and do not believe me.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, you had told me that I will get 20 minutes. Let me finish as it is a very serious situation.

MADAM SPEAKER: Please be brief and try to conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I have little more to say. Please allow me. I have taken only five minutes. I have looked at the watch. My watch never betrays me.

The United Nations Conference on Trade and Development had said that 12 lakh workers have lost their jobs in India, and 13 lakh more jobs are going to be lost in the coming months. The ILO's Regional Office for Asia and the Pacific are saying that the Indian workers who are exposed to the international trade and global economy, as in civil aviation, textile, leather, gems, jewellery, construction, are employing millions of women. We are speaking of women, and they are really facing serious job cuts. What is the future for us? This is the reality of today. What about tomorrow?

There is a survey by an authoritative agency, which says that 40 lakh workers are going to lose their jobs in the next year. Believe it or not, but this is the grim reality. The whole world is thinking about it, but India is not and the Labour Ministry is not. The agency of UNO is saying that two crore people will lose their job in the next year in the world, and India is going to have a lion's share in it.

Madam, what was the Government's policy before the meltdown had affected India? The hon. Minister must say about this. The Central Government's own Public Sectors Units have thrown 44,000 workers out of job in one year according to the 48th Report of the Public Enterprise Survey. The Government of India is retrenching and contributing to the serious accentuation of the crisis. What has the Government to say about it? In the background of decline of GDP, in the background of fall in agricultural production, due to decline in index of industrial production, deceleration affecting construction, manufacturing and electricity, there is a gloomy picture about the Indian economy. What is going to be the reality? Lakhs of workers are going to lose their jobs.

**श्री अब्दुल मन्नान हुसैन (मुर्शिदाबाद):** वैस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : ऐसा हो सकता है। I do not disagree. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You address the Chair.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Minister will reply to all that. Let him speak. आप लोग शांत रहिये।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I agree that job loss is a grave problem in West Bengal also. I agree, it is in Kerala also. I agree.… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** गुरुदास दासगुप्त जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो रहा है।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप उन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I would only appreciate if the hon. Members understand the gravity of the situation without politicalising the impact. I agree that joblessness is a problem in West Bengal; I agree it is a problem in Kerala; I agree it is a problem in U.P.; I agree it is a problem in Delhi; I agree it is a problem in Tripura; and I agree that it is an all-India problem. But it speaks of the situation.… (*Interruptions*) Madam, we have more than one Presiding Officer in the House!.… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों बोल रहे हैं? आप शांत रहिये।

…(व्यवधान)

**श्री उदय सिंह (पूर्णिया):** आप लोगों में संवेदना नहीं है। आप लोग संवेदनहीन हो गये हैं। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why do you not address the Chair? Why are you talking to everybody?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, that is not the issue. The issue is, in a House of People, people should be allowed to dissent. I have a right to dissent. Right to dissent is a Fundamental Right in democracy. Everyone is entitled to speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Not always.

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग शांत हो जाइये।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Now the Minister is on the scene. … (*Interruptions*) Madam, crisis in the unorganized sector is too serious. Crisis in the medium scale industry and small-scale industry is extremely grim. Therefore, in a situation like this, our estimate is that, let the hon. Minister of Labour note, not less than 50 lakh people have lost their jobs in a recent period in India. And more than 50 lakh workers are on the verge of being thrown out of job. What is my question? What is my complaint? My complaint is inertion; complaint is unconcern; complaint is as if this is no issue. The Presidential Speech does not mention about it. The on. Finance Minister does not refer to it. Job loss is a non-issue in the country like India. Is it a sign of sensitivity? Is it a sign of social obligation? … (*Interruptions*) NREGA is not the solution. He does not know Indian economics. NREGA is not the solution.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair. आप लोग बैठ जाइये। मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

…(व्यवधान)

My first question to the Minister is that the Ministry of Finance, Government of India, has sponsored three packages for the corporates, who have fallen victim to slowdown. What about the relief package for the workers, who have fallen victim to economic slowdown? You have your compassion for the

corporate sector; I do not mind, but there should be a compassion for the workers who have lost their job. I want to know what is the relief package prepared by the Government for the workers, who have been thrown out of job,

My second question is, will the Government make it a pre-condition that no corporate can avail of the package if they throw people out of job. Let us make it a pre-condition that they will not receive the bank loan and that they will not receive the subsidy if they do so. They will have to give a pre-condition that they will not offload labour.

May I ask the hon. Minister whether he will make a study of the damage done, how many people have lost their jobs, including West Bengal? Will he make a study? … (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): What is your statistics? … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: My statistics is 50 lakhs. … (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS : What is your source? … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: It is from different sources. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It is time that you conclude. Please now you may conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It seems that the problem of the workers has now hurt many of us in the House. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I will feel highly satisfied and feel extremely privileged if the hon. Member quotes some other figure, to contradict my figure.

So, my second question is whether he will make a study. The third question is whether he will call a meeting of the trade unions? He can meet the Ambanis, I do not mind; he can meet the Tatas, I do not mind. But what about the trade unions? … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): This is not the way. He can make his point, but he cannot make

allegations against anybody, without knowing the facts. Who met Ambani? Has the Labour Minister met Ambani? … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Is this the way the Minister should shout? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Dasgupta, now you can conclude. How many questions will you ask? You may conclude now.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I feel highly privileged that I have been able to hurt the Minister; because hurting the Minister will bring them to sense. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Thank you. Now, I call the next hon. Member.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: My last question is this.

MADAM SPEAKER: Okay, but please be very brief.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Let the Government call a meeting; let the Prime Minister call a meeting of the trade unions and find out from them the grim ground reality and let the Government say what is the relief today for the aggrieved workers who are in lakhs in the country, including West Bengal.

MADAM SPEAKER: Thank you very much. Now, Shri Basu Deb Acharia. Please ask your question. It is not a debate; so, you may please ask your clarificatory question.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): The statement made by the Labour Minister in regard to the very serious problem the country is facing was concerning 40 crore workers; there is the lackadaisical and casual attitude on the part of this Government. The Hon. Minister while concluding his statement has stated that the Government is taking all possible steps to successfully address this challenge. He has also stated that the Ministry will try to implement the decisions taken in the 42nd National Labour Conference.

The severe impact of the global recession on the Indian working class at large, in different sectors of the economy, can be seen in the form of joblessness,

wage cut, lay off, retrenchment, closure, forced leave without pay, etc. The Management of Air India is now proposing before the employees to take without pay leave for one year. This economic slowdown has an adverse impact on all the sectors. It had its adverse impact on the export sector which employs 150 million people directly and indirectly.

In his earlier proposal the Finance Minister had given concession to the exporters by making reduction in the customs duty and the excise duty. But during these few months of 2008-09 and subsequently in 2009-10, the Minister has given more than 2 lakh stimulus packages to the industrialists, exporters and to the entrepreneurs. What is its impact on the joblessness, on the working class which is losing job and on the augmentation of the demand of the people?

Since the time the country started facing economic recession, we had been suggesting that the public investment should be increased. If public investment is increased, jobs will be created and if jobs are created, the purchasing power of the people is increased thereby the demand will grow and the industry will also start production. There will be a glut in the production and that problem can also be addressed. But so far the Government has not taken any positive action towards addressing the most serious problem that the working class of India is facing today.

SHRI V. NARAYANASAMY: What is your question?

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am coming to the question. Speaker is here. You are not the Speaker.

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, they are disturbing me.

MADAM SPEAKER: It is because you should be brief and you should ask only the question. Please ask your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, we wanted a discussion on this subject under Rule 193.

MADAM SPEAKER: That is all right but this is not a discussion under Rule 193. This is the Calling Attention and you have to ask your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Due to the paucity of time you are kind enough to allow a Calling Attention on the subject. You may give some time to deal with the subject. I will come to the question.

MADAM SPEAKER: This is not a discussion or a debate. Please ask the question.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I will definitely come to the question. Considering the gravity of the situation, you may give us some more time.

Madam, in diamond cutting industry in Surat, Gujarat, more than three lakh workers have already lost their jobs as there is no export of diamond and 50 diamond cutting workers have so far committed suicide. According to the Government report, in three months from October to December, only five lakh workers had lost their jobs. But today we do not talk of growth in employment as there is a negative growth in employment. We talk about growth in unemployment.

Madam, the Minister has stated that the Government is taking all possible measures but he has not stated those measures. He has mentioned stimulus packages but we would like to know what measures have been taken by the Ministry of Labour to prevent the workers from losing their jobs. We know that there is an Act called the Industrial Disputes Act of 1947. We have a number of labour laws and in this House we had discussed how the labour laws are being blatantly violated. The Industrial Disputes Act is also being violated. The workers are being retrenched.

MADAM SPEAKER: Please ask your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA : They are being laid off. You will be surprised to know that the share of wages in net value addition in India is the lowest in the world.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please ask your question. Unless you ask your question, how will the Minister reply?

SHRI BASU DEB ACHARIA: According to NSS data, it came down to 12 per cent in the year 2006 from 30 per cent in the nineties. I would like to know from the Minister what concrete measures he has taken so far to prevent or to overcome this situation. I would like to know from the Government when the stimulus packages are being given, whether a condition is also being put that no retrenchment will take place. When the Government is providing stimulus packages, financial assistance, reducing the tax, and reducing the interest rates, will the Government also ensure that there is no retrenchment?

MADAM SPEAKER: Thank you very much. Now, Shri A. Sampath would speak and whatever Shri Sampath says that only will go on record. Please take your seat.

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: Mr. Sampath, please start speaking. Only what Shri Sampath says, that will go on record.

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you, Madam Speaker. In a way, the seniors have made the point clear. So, I will be very precise and I will limit my speech to five minutes' time allotted to me.

Madam, in the notice for this Calling Attention itself, I have very specifically stated:

> "...situation arising out of large-scale loss of jobs due to retrenchment and closure of industries, including IT sector, and steps taken by the Government in this regard."

---

* Not recorded

But to my surprise, unfortunately, in the reply given by the hon. Minister of Labour, there is not even a mention of a single word about the IT sector. We all know that the population of our country is on the rise and unemployment is also on the rise. Whatever reason one may attribute to it what is happening is that the permanent employees are now being termed as temporary employees and workers. After some time they would be termed as casual employees and workers and some day some other term will be used to describe them as employees and workers on daily wages and then the employers would finally ask them to rest in peace. The only course then left to them would be to commit suicide. There would be no other alternative left. Our nation has the largest population in the world and so is the rate of unemployment, under-employment and jobless people in this country. This is the time when we have to take into account all these factors. We must have definite agenda and specific goals to protect the interest of the working class, the employees of this nation.

Madam, I am coming to my questions. We all know about the plight of the migrant workers. From every State people migrate to other States for some reason in search of jobs. I am coming from a State where more than 30 lakh people have migrated to different places, including going abroad, to earn their livelihood. I come from the State of Kerala and people from my State work outside and remit precious foreign exchange which amount to 7 times more than the amount of Budgetary support provided by the Union Government to the State of Kerala. It is not only the case in respect of my State, but other states like Tamil Nadu, Punjab, Andhra Pradesh, even Delhi are faced with a very peculiar situation. The problems being faced are firstly, closure of many industries; secondly decision of the management to cut down on wages; thirdly, retrenchment of staff and fourthly, delay in payment of salaries and wages. There is no other alternative for these employees but to return to their native States. But what would happen after their return? Who is going to provide them the avenues for earning their livelihood?

Who is going to protect them? This has created a major social problem in many of the States.

Madam, amongst the migrant workers the most affected is the womenfolk. For women there is no choice, it is either take it or leave it. In many sectors the suggestions of the employers is that if one is a women employee then she should not marry; if at all she marries, then she should not conceive and even if she conceives, then she should not give birth to a child and in the event of such a thing happening they would have to leave their jobs. This is a pity. The womenfolk are exploited to the maximum.

Madam, through you I would like to know from the hon. Minister as to what specific measures have been taken by the Government, especially the Ministry of Labour to protect the interest of the women employees and workers… (*Interruptions*) Madam, I seek your protection… (*Interruptions*) Some of my friends are trying to obstruct me from speaking such things in this House… (*Interruptions*) It is a matter of life and death… (*Interruptions*) I seek your protection in the matter… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You please ask your question.

SHRI A. SAMPATH : Every State is faced with such a peculiar situation. So, in this context I would like to know from the hon. Minister as to what specific measures are being taken by the Government to tackle this problem. It has been estimated that more than 20 crores of people in the whole nation do not get two square meals a day. It means they are starving and to that, we are adding more and more jobless people. Migrant workers and women folk are adding to that stock.… (*Interruptions*)

Madam, I am specific on the plight of migrant workers. They do not get any job in their home State and hence, they are migrating. Even in Delhi, we know what had happened. Yesterday, the hon. Minister has given the reply on it. We know that around 100 people have been killed during the construction operation of

Delhi Metro. Among them, there was only one engineer and all others were workers. Majority of them were migrant workers.

I am concentrating my question on the specific measures which are going to be taken by the Minister for Labour to protect the interests of the domestic migrant workers as well as those migrant workers who have migrated to other countries seeking jobs.

**श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्य श्री गुरुदास जी, बसुदेव जी और सम्पत जी, तीनों ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, ये लेबर समस्याओं की मालूमात रखते हैं। मैं इनका आदर करता हूं लेकिन इन्होंने बात कही है कि लेबर मिनिस्ट्री की ओर से यह जो स्टेटमेंट आया है, यह फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तैयार करके दिया है, इसे लेबर मिनिस्टर ने यहां आकर पढ़ा। I can say that they are far from truth. यह ठीक नहीं है। हर स्कीम जो चलती है, हर काम जो होता है वह पैसे के बगैर नहीं होता है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेबर, इंडस्ट्री, हाउसिंग, कन्सट्रक्शन, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मदद नहीं करेगी तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। हमें उनसे जो कुछ मिलता है, जो मदद मिलती है उसके बारे में इस हाउस को बताना जरूरी है कि हमें इन चीजों से फायदा होता है, इन चीजों की वजह से इम्पलाएमेंट बढ़ती है। ...(व्यवधान)

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** कानून लागू करने के लिए पैसे की क्या जरूरत है?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon Member, please sit down. Let him reply.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप चुप रहें। आप क्यों खड़े हो गए हैं?

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** मैं पहली बार पार्लियामेंट में, इस सदन में आया हूं और नौ बार असैम्बली में रहा हूं। मैं समझता था कि यहां पर गुरुदास दास गुप्ता जैसे सदस्य नए सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। हम यह समझते थे कि ट्रेड यूनियन के लोग लेबर मिनिस्टर को अच्छे सुझाव देंगे, सलाह देंगे, हमने जो काम किए हैं उसे एप्रिशिएट करेंगे। जो नहीं किये हैं, उनके बारे में आप टीका कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हमने जो प्रोग्राम लोगों, जनता और देश के सामने रखे हैं, उनके

बारे में हमने बताया। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि यह पूरा फाइनैन्स डिपार्टमैन्ट का ही स्टेटमैन्ट हैं, लेबर डिपार्टमैन्ट का नहीं है।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हर सरकार किसी न किसी स्टेटिस्टिक्स पर डिपैन्ड होती है। चाहे बंगाल की सरकार हो, केरल की सरकार हो या जब कभी आप यहां पर बात करते हैं तो किसी न किसी स्टेटिस्टिक्स के आधार पर ही करते हैं। आज आपने जो स्टेटिस्टिक्स दिये, उनका भी कोई आधार होगा, जिसके ऊपर दिया। लेकिन हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वे लेबर ब्यूरो ने 2581 यूनिट्स में बीस सैन्टर में कम से कम 11 राज्यों और यूनियन टैरिटरीज मिलाकर जो सैम्पल सर्वे कंडक्ट किया है, उसके मुताबिक अक्टूबर, दिसम्बर, 2008 में कम से कम पांच लाख जॉब लॉस हुए। इस बात को हमने लेबर ब्यूरो की तरफ से सैम्पल सर्वे करके जो किताब आई, उस किताब के बारे में आपको मालूम है, आप वैबसाइट पर देखते हैं। यह परिस्थिति उस वक्त की थी। उसके बाद जनवरी और मार्च में जो सर्वे किया गया, उसमें बहुत से सैक्टर्स में जैसे माइनिंग, टैक्सटाइल, मैटल्स, जैम्स, ज्वैलरी बहुत से सैक्टर्स में बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी नही हुई। लेकिन यह सत्य है, हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा। हम एक डाकूमैन्ट पर बिलीव करते हैं और दूसरे डाकूमैन्ट पर बिलीव नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए उसी डाकूमैन्ट के मुताबिक, जिस डाकूमैन्ट की आप बात कर रहे थे, आज की स्थिति यह है कि जैम्स एंड ज्वैलरी सैक्टर में इम्प्रूवमैन्ट हुआ है। टैक्सटाइल सैक्टर में भी थोड़ा इम्प्रूवमैन्ट हुआ है। आई.टी., बी.पी.ओ. जिसके बारे में सम्पत जी ने कहा, लेकिन मैं यहां पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योकि आई.टी. सैक्टर में रहने वाली जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, उन्हीं का कहना है कि इसमें अब इनक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा है। हालांकि पहले जिस स्पीड में, जिस ढंग से वह बढ़ता था, उसमें कमी हो सकती है, लेकिन बहुत गिरावट नहीं है। आज यह इनक्रीज हो रहा है, यह उन्हीं का कहना है। हमारे सर्वे के मुताबिक भी उसमें बहुत सा इम्प्रूवमैन्ट है। लेकिन लैदर, ट्रांसपोर्ट और मैटल्स इन सैक्टर्स में अभी भी थोड़ी कमी है। इसलिए लेबर लॉज के बारे में या लेबर के बारे में हमें चिंता नहीं है, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं और इसके बारे में प्रेसीडैन्ट ऑफ इंडिया की स्पीच में भी कुछ नहीं है। लेबर मिनिस्टर के स्टेटमैन्ट में भी कुछ नहीं है। यह कहना गलत होगा। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स यह कहते हैं कि अब ज्यादा इम्प्रूवमैन्ट हो रहा है। एक तरफ आप बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है और जब एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो नेचुरली आपको मालूम ही है कि ज्यादातर टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गारमैन्ट इंडस्ट्रीज, आई.टी. जैसे सैक्टर्स जब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इम्पलॉयमैन्ट भी मिलता है और उसके लिए अगर फाइनैन्स मिनिस्टर एक्साइज ड्यूटी में कंसैशन दे तो उसे गलत बोलते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** वह अच्छा है, गलत नहीं है...(व्यवधान) किसने बोला ...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): What about the retrenched workers?… (*Interruptions*)

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** मुझे एक मिनट मौका तो दो। आपने तो कहा...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** सॉरी। माननीय सदस्य ने तो कहा कि हम एम्पलायर की तरफ देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ देख रहे हैं, लेबर की तरफ हमारी तवज्जह नहीं है...(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य :** मैं पैकेज के बारे में पूछ रहा हूं...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप मिनिस्टर साहब को उत्तर देने दीजिये। बीच में टिप्पणी मत कीजिये।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** हमने जो पैकेज दिये हैं और आपके सामने अनाऊंस किये हैं, ये इसलिये किये हैं कि इनफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज्यादा पैसा लगाया है तो ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। अगर हमने रूरल डेवलेपमेंट में ज्यादा पैसा लगाया है तो बहुत से गरीब लोगों को काम मिलेगा। यही हमारा उद्देश्य है । एक्सपोर्ट और इकोनोमिक कन्सैशन दिये हैं, ये किसी को खुश करने के लिये नहीं हैं। हमने एम्पलायमेंट को बढ़ावा देने के लिये कन्सैशन दिये हैं लेकिन फिर भी इस पर टीका हो रही है, यह बात ठीक नहीं है। अगर हमारी बात ठीक नहीं है तो मैं माननीय सदस्य पूछना चाहता हूं कि आप जिस जगह रूल करते हैं, उस जगह आप क्या करते हैं? एम्पलायमेंट को बढ़ावा देने के लिये आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Let him reply.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr. Minister, I compliment you for your intelligence and wisdom.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** जब ये मुझ पर हमला करते हैं तो मैं चुप बैठता हूं और जब मैं करना शुरु करता हूं तो? आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप मंत्री महोदय की बात में क्यों बाधा डालते हैं?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. You have had your turn. Please take your seat. Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

*(Interruptions) …* *

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** अध्यक्ष महोदया, आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया में इकोनोमिक रिसैशन है और नेचुरली इसका इम्पैक्ट थोड़ा-बहुत हमारे देश पर भी पड़ा है। आप सब को मालूम है कि आई.एल.ओ. में सारे देश, चीन जैसा देश भी यह कह रहा था कि हमारे यहां भी अनएम्पलायमेंट बढ़ रही है और वह यह भी जानता है कि हर जगह यही प्राब्लम है। लेकिन भारत में जितना घटना चाहिये था, वह नहीं हुआ। इसलिये कि यहां के प्रधानमंत्री जी ने और फाइनैंस मिनिस्टर जी ने जो स्टैप्स लिये, उनकी वजह से यहां अनएम्पलायमेंट को रोक दिया है। मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह से रोक दिया है। We have stopped it to some extent and we have been successful compared with other countries. अगर भारत के बारे में विचार किया जाये तो एम्पलायमेंट जनरेशन के बारे में या जो एम्पलायमेंट खोए हुये हों तो यहां की स्थिति काफी कुछ ठीक है, अच्छी है। इसके अलावा हमें बहुत कुछ करना है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ करना है। हमने जो काम किये हैं, कम से कम उनकी तारीफ तो करें .या कम से कम एक-दो अच्छे शब्द बोलिये।

इसलिये, मैं ज्यादा लम्बी बहस में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हमने क्या एक्शन लिया? हमने कहा कि पहला स्टिमुलस पैकेज, दूसरा स्टिमुलस पैकेज और तीसरा स्टिमुलस पैकेज और बजट 2009-10 में स्टिमुलस पैकेज। उसके बाद...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please have some patience.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** यह हमारी सरकार का कार्यक्रम है।

**13.00 hrs**

महोदया, उदाहरण के तौर पर अगर इस मुल्क में 10 लाख मकान बन रहे हैं तो क्या उसमें वर्कर्स को काम नहीं मिलता है। जब रूरल डवलपमेंट में 144 परसेंटेज इंक्रीज हुआ, मोर दैन 39 हजार करोड़ की बढ़त हुई, तो क्या यह नहीं होता है। उसी तरह से जब ब्रिज, रोड आदि बनते हैं, तो वर्कर्स को काम मिलता है। ऐसी कई चीजें हैं, दूसरी चीज जो हमने रिलीफ मेजर्स किये हैं, मैंने पहले भी बोला है और अभी भी यह कहता हूं कि रिलीफ मेजर्स हमने दिये हैं, वे जनहित में दिये हैं। हम किसी एम्पलायर को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यह क्लियर बात है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज लेबर डिपार्टमेंट के पास बहुत से कार्यक्रम हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सम्पत जी ने पूछा। माइग्रेट वेलफेयर एक्ट के मुताबिक हमें जो कुछ करना चाहिए, उसके बारे में हमें जो सोचना चाहिए, वह हम जरूर सोचेंगे। जो चीजें हमने यहां

---

* Not recorded.

बतायी हैं, खासकर आचार्य जी को भी मालूम है, गुरूदास गुप्ता जी को भी मालूम है। फरवरी में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें मानकर चले हैं और उसी के मुताबिक गवर्नमेंट आज काम कर रही है। इसके बावजूद कह रहे हैं कि हमें पूछा नहीं है, हमें इनवॉल्व नहीं किया है, यह ठीक नहीं है। फरवरी की मीटिंग में आप भी थे, ट्रेड यूनियन के लोग भी थे, और दूसरे लोग भी थे। जो कुछ भी यह गवर्नमेंट करेगी वह लोगों के हित में, वर्कर्स के हित में करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है और हम वर्कर्स का पक्ष ही लेंगे। इसके लिए हम बहुत सी स्कीम्स लाये हैं, और भी स्कीम्स लाएंगे और अगर इनमें कुछ खामियां हैं तो मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं क्योंकि यह लेबर का प्रश्न है। लेबर वैलफेयर के लिए आप जो कुछ भी हमारे सामने अच्छे सुझाव रखेंगे, उनका मैं स्वागत करूंगा। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam Speaker, workers are committing suicide. We are not satisfied with the hon. Minster's reply. So we are walking out in protest.

**13.03 hrs**

*(At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House.)*

---

**13.04 hrs**

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 3rd of August, 2009, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the Rubber (Amendment) Bill, 2009.
3. Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Ninth Amendment) Bill, 2009, after it is passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and passing of the National Green Tribunal Bill, 2009.

**श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** माननीया अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. विदेशों में कार्यरत नर्सो एवं पैरामैडिकल स्टाफ की महिलाओं को, अनेकों तरह के शोषण के शिकार बच्चों की तरफ केंद्र सरकार को अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. बुंदेलखंड के टीकमगढ़ छतरपुर जिलों के जिन किसानों की भूमि ललितपुर सिंगरोली रेलवे लाइन के लिए अधिगृहीत की गयी थी, उनके परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी देने के बारे में कदम उठाने के संबंध में विचार किया जाए।

**श्री रामकिशुन (चन्दौली):** माननीया अध्यक्षा जी, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित कर लिया जाएः-

1. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज एवं पूर्वांचल विकास प्राधिकरण का गठन किये जाने के संदर्भ में।

2. रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का सदुपयोग करने की मांग के संदर्भ में।

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Madam, the following issues should be included in the next week's business:-

1. Setting up of Food Processing Park in Rajasthan with special focus on oilseed, orange processing etc.

2. Discussion in regard to opium farmers and the hardships faced by them in Rajasthan and Madhya Pradesh.

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

(1) उत्तर प्रदेश में सन् 2001 से गरीबी रेखा के नीचे की सूची का पुनरीक्षण न किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने हेतु।

(2) पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से बड़ी संख्या में लोगों को मौत से बचाने के लिए एक वैक्सीन की फैक्ट्री स्थापित किये जाने हेतु।

**श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर):** महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

(1) उड़ीसा के क्योंझर जिले में खान-उत्खनन से होने वाले कार्य से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने का कार्य।

(2) उड़ीसा में खनन क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध कार्यों के खिलाफ सख़्त कार्यवाही किये जाने का कार्य एवं खनन क्षेत्र के आस-पास जिलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को सुविधा दिये जाने संबंधी कार्य।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

(1) दनियाँवा-शेखपुरा रेलवे लाइन को यथाशीघ्र चालू करना।

(2) हरनौत रेल कोच फैक्ट्री को यथाशीघ्र उत्पादन के लिए चालू करवाना।

(3) राजगीर ऑर्डिनैन्स फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए यथाशीघ्र चालू करवाना।

(4) पान रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामपुर (नालन्दा) में वैज्ञानिकों को पोस्टिंग कर रिसर्च कार्य शुरू करवाना।

(5) राजगीर-तिलैया लाइन् पर परिचालन शुरू करवाना।

(6) एकंगरसराय-जहानाबाद संभावित रेलवे लाइन के लिए सर्वे करवाना।

**अध्यक्ष महोदया :** आप सिर्फ सब्जैक्ट मैटर बोल दीजिए, शीर्षक बोल दीजिए। पूरी विषय-वस्तु मत बोलिये।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को बहस के लिए शामिल किया जाए:-

(1) अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू करने में जो गड़बड़ी है और नियुक्ति में जो पिछला बकाया है, उसको पूरा करने के लिए सदन में चर्चा की जाए।

(2) बिहार में सड़क निर्माण का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा इरकॉन कंपनी कर रही है। उसमें विलंब हो रहा है। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। ये केन्द्रीय कंपनियाँ निर्माण में भारी गोलमाल कर रही हैं। उस पर सदन में चर्चा की जाए।

**श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया):** महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

(1) बिहार राज्य के खगड़िया एवं सहरसा जिला को जोड़ने वाली पथ निर्माण विभाग की सड़क मानसी से सहरसा वाया बदला - माठा चौक - सोनवर्षा कचहरी पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

(2) पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर से सोनवर्षा कचहरी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे समपार संख्या 17 सी जो एन.एच.107 पर अवस्थित है, पर रेल रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए।

**13.09 hrs**

## MOTION RE: FIFTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move:

> "That this House do agree with the Fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th July, 2009."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th July, 2009."

*The motion was adopted.*

---

**<u>13.10 hrs</u>**

## LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2009 *

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Life Insurance Corporation Act, 1956.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, I have given a notice to oppose introduction of the Bill.

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, you have given a notice of objection, but according to Rule 72 (2), no specific reason has been given by you in the notice. So, I am not allowing it.

SHRI BASU DEB ACHARIA : That I will explain. While speaking, I will explain it.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down, I am not allowing it.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Dr. Dome, you have given a notice and you have said that the Bill has not been circulated. It was circulated on 28th July, 2009. So, I am not allowing it.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Life Insurance Corporation Act, 1956."

*The motion was adopted.*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce* the Bill.

---

* Introduced with the recommendation of the President.

**13.11 hrs**

## NATIONAL GREEN TRIBUNAL BILL, 2009*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

SHRI JAIRAM RAMESH: I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.

**13.12 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.*

**14.10 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Ten Minutes past Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

## STATEMENT BY MINISTER

### Import of Raw and White/Refined Sugar

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister to make a Statement.

Shri Sharad Pawar.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the production of sugar in the current 2008-09 sugar season is provisionally estimated in the range of 150 to 155 lack  ones as compared to about 263 lack  ones of sugar produced in 2007-08 sugar season. The lower production of sugar in the current sugar season has put pressure on sugar prices. The Central Government had taken a slew of measures to augment domestic stocks of sugar and moderate sugar prices. The Government has again reviewed the position.

2. The Government had, in January, 2009, decided to allow duty free import of raw sugar by sugar factories up to 30.7.2009 under Advance Authorization Scheme. Thereafter, in April, 2009, it had opened up duty free import of raw sugar by sugar factories under OGL up to 1.7.2009. The Government has now decided to extend the terminal date for import of duty free raw sugar under Open General Licence (OGL) by sugar factories from 1.8.2009 to 31.3.2010.

3. The import of raw sugar has also been opened up to the private trade up to 31.3.2010 for being processed by domestic factories on job basis.

4. Like in the earlier case of duty free raw sugar imports under AAS and OGL by sugar factories allowed up to 30.9.2009 and 1.8.2009 respectively, the imports

of raw sugar under OGL up to the extended date of 31.3.2010 by sugar factories and private trade have been kept free of levy obligations. Further, accelerated release of processed sugar made from raw sugar would be allowed but if the concerned importer does not sell the processed sugar within the prescribed period, it shall be converted into levy sugar.

5. The Government had, in April, 2009, also decided to allow duty free import of white/refined sugar under OGL up to 10 lack □ ones by designated agencies, namely, STC/MMTC/PEC/NAFED till 1.8.2009. This has now been extended up to 30.11.2009. Furthermore, the duty free import of white/refined sugar under OGL has been opened to other Central/State Government agencies and to private trade in addition to existing designated agencies.

6. Like in the case of existing duty free import of white/refined sugar under OGL by designated agencies up to 1.8.2009, import of white/refined sugar by such agencies up to the extended date of 30.11.2009 as well as similar imports by other Central/State Government agencies and private trade up to that date have been kept free of regulated release mechanism as well as levy obligation.

7. It is expected that with these decisions, domestic availability of sugar would get further augmented and sugar prices in the country would remain at reasonable levels.

[Placed in Library, see LT-593/15/09]

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री, श्री कपिल सिब्बल।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, the hon. Speaker assured us this morning that our Members would be allowed to raise their issues in the 'Zero Hour'. When is the 'Zero Hour'?

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस दिन यह तय हो चुका है कि जनरल बिजनैस को खत्म करने के बाद, यानी शाम को 6.00 बजे के बाद विशेष उल्लेख के विषय लिए जाएंगे। अतः कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए।

---

**<u>14.15 hrs</u>**

## RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION BILL, 2009

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move:*

> "That the Bill to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं?

**श्री कपिल सिब्बल :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सामने दो-चार बातें रखना चाहता हूं। 1947 में जब हम आजाद हुए, उस समय हिन्दुस्तान में शिक्षित लोगों की संख्या 14 प्रतिशत थी और हमारे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी। यदि महिलाओं की शिक्षा पर गौर किया जाए, तो उस समय 7 प्रतिशत से भी नीचे महिलाएं शिक्षित थीं। इस प्रकार देखें, तो 30 करोड़ की आबादी में से केवल 4 करोड़ लोग शिक्षित थे।

महोदय, अब हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। शिक्षा के मामले में आज जो स्थिति है, यदि उसे देखें, तो वर्ष 2001 की सैंसस के अनुसार लगभग 64.8 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। इसका मतलब है कि देश में 60-65 करोड़ लोग शिक्षित हैं, अर्थात् 1947 में जहां 4 करोड़ लोग शिक्षित थे, वहां आज 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग शिक्षित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह जो उड़ान रही, यह कोई छोटी-मोटी उड़ान नहीं थी।

महोदय, लोक तंत्र में सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों को शिक्षित करे। इसमें प्राइवेट सैक्टर की भी भागीदारी होनी चाहिए। प्राइवेट सैक्टर की शिक्षा के क्षेत्र में जो भागीदारी हुई, वह पिछले कुछ ही वर्षों से हुई है और अब उसमें गति देखने को मिल रही है।

महोदय, जहां तक महिलाओं का सवाल है, आज हिन्दुस्तान में जो महिलाएं हैं, वे हमारे देश की आबादी का लगभग 54 प्रतिशत शिक्षित हैं। इसका मतलब है कि आज यदि हम अपने देश की आबादी 100 करोड़ मान लें और उसमें कुल 65 करोड़ लोग शिक्षित हों, तो 65 करोड़ में से 54 प्रतिशत, यानी 30

---

* Moved with the recommendation of the President.

करोड़ से भी अधिक महिलाएं शिक्षित हैं। आज की तुलना में आजादी के समय बहुत कम संख्या में महिलाएं शिक्षित थीं। The point that I was trying to make is that we have travelled, though we have not travelled far enough, and the real problem in our country today is not only the fact that only 64 per cent are educated. I am talking about this based on the 2001 census. The new census of 2011 will, perhaps, show a jump of more than 10 per cent because if you look at the 1991 census, the jump was almost 14 per cent. So, by the time we get the 2011 figures, hopefully the national average will be more than 74 to 75 per cent. So, we cannot possibly be satisfied with these numbers. We must ensure that all children in our country get education of an appropriate quality because today it is not a question of knowing how to read and write. It is the question ultimately of using your educational skills or the skills that you develop in the course of your education to compete with the rest of the world and to get jobs and opportunities in employment.

So, we thought and the UPA Government was always committed to the fact that we must bring about a Bill in which we provide for free and compulsory education for children between the age of 6 and 14.

इसको भी बड़ा वक्त लगा। कोई ऐसी बात नहीं कि यह जल्दी हुआ। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1993 में उन्नीकृष्णन का जजमेंट हुआ। उसके अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि बच्चों का एक मानवाधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनकी उम्र 6 और 14 वर्ष के बीच की है। यह पहले डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ था। यह सरकार का एक कर्तव्य भी था, लेकिन 1993 के बाद इतना अर्सा लगा, फिर 2001 में कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेंट आया। उस समय एन.डी.ए. की सरकार थी। उस समय आर्टीकल 21(ए) सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। लेकिन आर्टीकल 21(ए) में यह लिखा था कि यह जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की बात है, यहां एक विधेयक लाना पड़ेगा, जब तक विधेयक नहीं आएगा तो उस आर्टीकल 21(ए) का कोई मायना नहीं था, क्योंकि यह लिखित में कांस्टीट्यूशन में बात थी, लेकिन वह कंडीशनल थी और वह 2001 में हुआ। आज 2009 हो गया। कहने का मतलब है कि उसको भी आठ साल लगे। उस प्रयास को भी आठ साल लगे, मतलब कि 16 साल के बाद आज मैं आपके बीच खड़ा हूं और लोग आज भी कहते हैं कि साहब, इसमें यह करो, इसमें वह करो। यह जो विधेयक हम लाये हैं, यह अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम है।

I do believe that this will receive the support of every political Party in this House, every hon. Member of this House because this has nothing to do with politics. Education is something which is integrated with the future of this country. In the 21st century the assets that are most valuable are not physical assets but intellectual assets. The creativity of the human mind provides that intellectual asset which forms the wealth of the country. Any impediment in the creation of that wealth, I believe, is anti-national. We must do everything at the level of the Central Government and the State Governments to move forward as quickly as possible, to ensure that we create an environment in which children between 6 to 14 get quality education. स्टेट्स में होता क्या था कि लोग स्कूल तो बनाते थे, लेकिन अध्यापक ही नहीं पहुंचते थे। एक कमरे में एक ही टीचर होता है, कई बार तो स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती है और कई ऐसी प्राइवेट संस्थाएं आज के दिन भी प्रदेशों में हैं, जहां न कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है और अगर है तो अध्यापक की व्यवस्था नहीं है। आज के दिन अगर आप किसी देहात के स्कूल में चले जाओ और पांचवीं क्लास के लड़के को पूछो कि तू यह किताब पढ़ तो लगेगा कि जो दूसरी क्लास का लड़का है, उतनी ही उसको नोलिज है। न वह पढ़ सकता है, न वह ठीक तरह से अर्थमैटिक कर सकता है। यह ऐसा ही चलता है, यह जो एटीट्यूड है, वह नहीं चलेगा।

It is with this in mind that the UPA Government considered - I thank the hon. Prime Minister of India and I thank Mrs. Gandhi - that this was, as far as we are concerned, a matter of national importance and I thank them both for carrying this agenda forward and here I stand today before you for the passing of this Bill in this House.

I will just mention two-three things. This Bill is not just about getting children to school. This is a Bill which talks about providing quality education.

क्योंकि, इसको शैड्यूल में अगर आप देखोगे तो वहां फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, जो टीचर प्युपिल रेश्यो है, वह कितना होना चाहिए और साथ-साथ इसमें यह भी भावना है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और उनके पास एडीक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है, जो हम तय करेंगे, जो एकेडमिक काउंसिल बनेगी, वह तय करेगी, एलीमेंटरी एजुकेशन के लिए तो पांच साल के अन्दर उसको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी।

पांच साल के अंदर उसको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। जो पढ़ाने वाले हैं, उनके पास एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल के पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अगर वह शेड्यूल के अंतर्गत नहीं बना हुआ है, तो उसको तीन साल के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अगर वह तीन साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो स्कूल की रिकग्नीशन को रद्द कर दिया जाएगा। ये सब प्रावधान यहां हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे देश में अगर शिक्षा की बात हो, तो एक यूनीफार्म क्वालिटी की शिक्षा देश के बच्चों को मिले। यह हमारी सोच है और इस विधेयक द्वारा इस सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि this Bill is called Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. What does this mean? It means that it is free for the children and compulsory for the State. It is very important to understand that. A child between the age of 6 years and 14 years is entitled as of right, and now it is a constitutional right, to receive that education free of cost and it is an obligation and a compulsion on the Government, both the State Government and the Central Government, to provide that education to that child. The compulsion is not with the parents, it is with the State. This distinction ought to be fully appreciated.

जब तक राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार तालमेल के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक जो सपना हम साकार करना चाहते है, वह साकार नहीं होगा। इसमें एक साझेदारी की जरूरत है, एक भागीदारी की जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि आपको इस विधेयक में नेबरहुड स्कूल की डेफिनीशन देनी चाहिए थी। हमने उसे जान-बूझकर नहीं दिया, क्योंकि राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि किस आबादी में स्कूल होना चाहिए, कितनी दूरी में आबादी से होनी चाहिए? अगर दो-चार आबादियां हैं, तो स्कूल कहां होना चाहिए, अगर ट्राइबल एरिया है, तो कहां होना चाहिए, अगर हिल एरिया है, तो कहां होना चाहिए? यह निर्णय राज्य सरकार को लेना है। यह निर्णय केंद्र सरकार को नहीं लेना है, क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह तय करे कि उनकी लोकल कम्युनिटीज में कहां स्कूल होना चाहिए? आपको जल्दी से जल्दी स्टेट में एन्टिटी को नियुक्त करना पड़ेगा, जो रिकग्नीशन एन्टिटी होगी, क्योंकि हर प्रदेश के स्कूल को रिकग्नीशन लाजिमी है। रिकग्नीशन तभी दी जाएगी, जब ये प्रावधान जो इस विधेयक के माध्यम से हमने आपके सामने रखे हैं, वह उसे पूरा करेगा, अन्यथा रिकग्नीशन नहीं दी जाएगी। आप तय कीजिए और जल्द से जल्द तय कीजिए कि कहां स्कूल शुरू होना है? यह प्रोग्राम आप

अभी बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे ही यह बिल पारित होगा, इसके बाद सैक्शन 7 के अंतर्गत हम तय करेंगे कि केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी और राज्य सरकारें कितना खर्च करेंगी?

आपको मालूम है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भागीदारी थी, उसमें पचास प्रतिशत भागीदारी स्टेट की होनी चाहिए थी और पचास प्रतिशत भागीदारी केंद्र की होनी चाहिए थी। आज के दिन 65 प्रतिशत भागीदारी केंद्र सरकार की है और 35 प्रतिशत राज्य सरकारों की है। वह कितनी होगी, उसे हम तय करेंगे। कितनी ग्रांट्स इन ऐड द्वारा स्टेट को देंगे, इस विधेयक के अंतर्गत वह हम तय करेंगे। कितना राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, वह भी हम तय करेंगे। जहां हमें लगेगा कि किसी राज्य सरकार को कोई मुश्किल है, कोई प्राब्लम है तो इस विधेयक में हमने वह भी प्रोवाइड किया है कि उसे हम फाइनैंस कमीशन के सामने रखेंगे। फाइनैंस कमीशन का टर्म नवंबर में खत्म होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यह बात फाइनैंस कमीशन में जाना हो तो जाए, ताकि वह तय करे कि कहां से स्टेट अपना फाइनैंसेज प्रोवाइड करे, अगर उसमें कुछ कमी है, उसमें भी हम आपका साथ चाहते हैं, उसमें भी हम आपका सहयोग चाहते हैं।

एक तो क्वालिटी की बात हुयी, दूसरी फ्री एजुकेशन की बात हुयी, तीसरी स्टेट के कंपल्शन की बात हुयी और चौथी बात, करिकुलम है, जो वह इस विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, यह है to provide free education to children and a compulsion on the State. What is to be provided in the curriculum? उसे एक ऐकेडैमिक कमेटी डिसाइड करेगी और एक यूनीफार्म करिकुलम सारे स्कूलों में करना पड़ेगा। यह भी इसमें तय किया गया है। जो करिकुलम है, हमारे संविधान के अंतर्गत जो वैल्यूज़ हैं, उसी हिसाब से बनेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो देश के संविधान को अलग रखे। इसे हम न मानेंगे और न चाहेंगे। यह बात भी इसमें उल्लिखित है। साथ ही इसमें इक्विटी की भी कई बातें हैं, जैसे हमने कहा है कि हिन्दुस्तान में चार किस्म के स्कूल हैं - एक, जो स्कूल सरकार बनाती है और हम जो बनाने जा रहे हैं, दूसरा, सरकारी एडेड स्कूल हैं, तीसरा, प्राइवेट स्कूल हैं और चौथा स्पैसीफाइड स्कूल हैं, जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल हैं। ये स्पैसीफाइड स्कूलों की कैटेगरी में आते हैं। हमने तय किया है कि जहां तक प्राइवेट स्कूलों की बात है, आज के दिन दिल्ली या हिन्दुस्तान में जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहा है, उसे 25 प्रतिशत नेबरहुड के लोग, जैसे ही यह बिल पारित होगा, जो डिसएडवांटेज सैक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसे क्लास वन में दाखिला देना पड़ेगा। यह इक्विटी की बात है, इंसाफ की बात है। जो डिसएडवांटेज लोग हैं, इकनौमिकली वीकर सैक्शन हैं, उनकी डैफिनेशन राज्य सरकार तय करेगी। हमने वह हक भी राज्य सरकार को दिया है

ताकि वे जिन कम्युनिटीज़ को समझते हैं कि वे शिक्षा में पीछे रह गई हैं, उस हिसाब से वे उन्हें रिजर्वेशन दे सकें। हमने शिक्षा से संबंधित सारे मुद्दों के ऊपर गौर किया है और कोशिश की है कि उन्हें समाने रखते हुए हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई विधेयक और कोई भी नेशनल इंटरप्राइज़ अपने आप में कहे कि परफैक्ट है, कोई चीज परफैक्ट नहीं होती। आज की बहस से हम चाहेंगे कि आप हमें अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार हमारे सामने रखें और जैसे ही यह अभियान आगे बढ़ेगा, as we march along with our children into the 21st Century and provide them with the foundation of quality education, we will take on board your suggestions and we will move along together, with the State Government, to ensure that India rises to the level of our expectations. The world is looking upon India in the hope that we would meet out national aspirations, and provide our children with opportunities to move on to college and beyond. I am saying this because at the moment only 12 children -- out of every 100 children that pass out of school -- reach college. 88 बच्चे कॉलेज पहुंचते ही नहीं हैं। अगर 100 में से 88 बच्चे कॉलेज ही नहीं पहुंचे तो हम कैसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं? 14 साल के बाद भी हम अधिनियम के अनुसार एक माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाना शुरू कर रहे हैं, ताकि वहां भी एक कम्पलसरी योजना बनाई जाए। उसके बारे में सोच-विचार हो रहा है, ताकि 18 साल तक बच्चे स्कूल जरूर जाएं so that we get a critical mass of young children who move into higher education. हम हायर एजूकेशन में रिफॉर्म लाने की जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आने वाले 15-20 वर्षों में हिन्दुस्तान को नॉलेज पावर बनाने जा रहे हैं और उसका पहला ठोस कदम यह विधेयक है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved:

> "That the Bill to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

**श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे कॉलेज से मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैं इन्हें सर ही कहूंगा। सर, आपने कॉलेज में इतिहास पढ़ा और मैंने भी इतिहास ही पढ़ा है। ...(व्यवधान) I definitely welcome the move. शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस समय देश में दो चीजें बहुत अनिवार्य हैं और सोच का विषय बनी हुई हैं।

एक - जनसंख्या पर नियंत्रण, जिसके बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्री से अभी सुना। उन्होंने कहा कि आप छः से बारह बजे तक टेलीविजन देखें, तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। दूसरा, जो बिल मूव किया गया है - राइट टू एजुकेशन बिल। मैं इस उद्देश्य का तो समर्थन करता हूं, लेकिन इसके स्वरूप से हमें काफी आपत्तियां हैं। आपने अपने भाषण में उन सारी आपत्तियों को खुद ही बोल दिया। आप सब जिम्मेवारी राज्य सरकारों को ही दे देंगे, तो राइट टू एजुकेशन बिल को आप स्टेट बिल बना दीजिए। इस बिल को केन्द्र से पास कराने की जरूरत ही क्या है? आपने कहा कि आज 64 प्रतिशत लोग हमारे देश में शिक्षित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा की डेफीनेशन क्या है, मानक क्या हैं? साक्षर हैं, तो किस स्तर के साक्षर है? आपने बात शुरू की है, तो मैं पहले उसी के बारे में कह रहा हूं।

आप जिस व्यवसाय से आते हैं, मैं उसका आदर करता हूं। आप बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। मैं क्रिकेट खेलता था और चौके-छक्के मार लेता था। मैं शायद आपकी शैली में बात न कर सकूं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस श्री दलबीर भंडारी का नाम तो सुना ही होगा, मैं उनकी बात आपके सामने रखता हूं। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, उसे मैं यहां कोट करना चाहता हूं। आप जिस साक्षरता की बात कर रहे हैं, उसके बारे में वे कहते हैं -- "The quality of education is equally troubling." अब यह 64 प्रतिशत साक्षरता का क्या अर्थ है, उस बारे में मैं जानना चाहूंगा। आप इससे उसे मिलाकर देखिये तो स्पष्ट हो जाएगा।

> "For classes I and II only 78.3 per cent of students surveyed could recognise letters and read words or more in their languages. In 2006, it was even worse. Only 73.1 per cent could do so. It is disheartening to peruse that statistics for classes III to V where only 66.4 per cent could read class I text or more in their own language in 2007."

यह मानक आपने तय किया है कि हमारे देश में 64 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, तो वे कौन हैं? आप इस बिल को लेकर आये हैं। इस बिल पर हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन इसमें इतनी अधिक विसंगतियां हैं, त्रृटियां हैं, जिनके बारे में आपने खुद कहा और फिर पाला दूसरे के क्षेत्र में डाल दिया। हम गेंद बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं, लेकिन आपने अपना सारा भार दूसरी राज्य सरकारों पर डाल दिया। कोई मानक तय ही नहीं है। आपने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी कि नेबरहुड्स स्कूल्स और गुरूकुलों की संख्या और संज्ञा क्या होगी? राज्य सरकारें तय करेंगी कि कहां पर स्कूल होने चाहिए और कहां नहीं होने चाहिए। वह बात समझ में आती है। शिक्षकों की गुणवत्ता और योग्यता क्या होगी, उस बारे में आपने कहा कि पांच साल बाद तय होगा जबकि बिल आप आज लेकर आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को मालूम

नहीं है। आपने कहा कि पैसे राज्य सरकारों को खर्च करने पड़ेंगे और हम अपना योगदान देंगे। आपकी खुद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, जो आपके सामने है, वर्ष 2009 में उसकी दो ही मीटिंगें हुई हैं। वर्ष 2005 में ड्राफ्ट बिल तो जरूर आया था। लेकिन वह ड्राफ्ट बिल जब निकला, तो आपने पूरे देश भर में लोगों से कहा कि आप हमें अपने सुझाव दीजिए। मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि कहीं कोई संकलन होगा, जिसमें मैं कुछ निकाल सकूं, लेकिन वह संकलन कहीं नहीं मिला। जब हमने आपकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी, तो पता लगा कि यह सब होने के बाद जनवरी, 2009 में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गवाह के रूप में केवल एलीमेंट्री शिक्षा के सचिव पहुंचे। उसमें काफी आपत्तियां दर्शाई गयीं, जिनका आपने इस बिल में कहीं उपयोग नहीं किया। वे ऐसी आवश्यक टिप्पणियां थीं, जिनके बारे में, मैं समझता हूं कि सरकार को उनका उपयोग करना चाहिए था। आपने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया।

आपने कहा कि हम फंडिंग करेंगे। मैं आपका ध्यान Financial Estimates, Chapter III, Clause 7, recommendation of the Department Related Standing Committee on Human Resource Development:

> "The Committee observes that the projected financial requirement does not reflect the actual distribution of the burden between Centre and the States. The Government cannot afford to ignore the facts that many State Governments have expressed their inability to bear the huge financial estimated for the implementation of the Act."

बहुत सारे राज्य ऐस हैं, जिनमें इतनी ताकत या हिम्मत नहीं है कि वे इसे कर सकें। मैं आपका वक्तव्य कहीं पढ़ रहा था, जिसमें कहा गया था कि सर्वशिक्षा अभियान का पैसा भी लोगों ने परिवर्तित कर दिया। ऐसा भी कहीं वक्तव्य दिया गया है, जिसे मैंने देखा था:

> "In fact, some States have advocated that the Central Government should assume full financial responsibility for the same. This was the recommendation. The Committee is of the view that this formula that is, for sharing of funds between Centre and States should be finalised and reflected in the Financial Memorandum of the Bill. The formula for sharing the funds should be clearly stated and in the absence of any credible formula, should state that till a revised formula is worked out throughout appropriate consultations, the present sharing formula will continue."

> "The Committee feels that for enabling the financial commission to make appropriate recommendations both the overall finance costs as

> well as the sharing formula between the Centre and the States must be settled."

आपने इसका निपटान नहीं किया है। आप तीन साल में क्या निपटान करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है।

> "The Committee recommends that necessary steps be taken to ensure that the State Governments discharge their basic responsibility of providing elementary education."

आपने कुछ तय किया नहीं है। फाइनेंस में बड़ी सीधी दो ही बातें सामने आती हैं। वे दो चीजें यह होती है कि इस काम में पैसा कितना लगेगा और आएगा कहां से? वह फार्मूला आपने तय नहीं किया है। मैं फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि आपको यह तय करना होगा, आप संसद से ब्लैंक चेक नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब तक फाइनेंस तय नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि किसी चीज का कोई औचित्य नहीं है। मैं यहां इसकी केवल आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सकारात्मक आलोचना करूंगा। It will be constructive criticism. यहां फाइनेंस के बारे में आपने कोई भी ऐसी बात हमारे सामने नहीं रखी है जिसको लेकर हम आश्वस्त हो सकें कि वह गरीब जहां पर आप शिक्षा का अधिकार लेकर आना चाहते हैं, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इसको पूर्ण रूप दे सकें और जो सपना आपने दिखाया है वह पूरा हो सके।...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप लोग क्रॉस-टॉक्स न करें। शान्त रहिए।

**श्री कीर्ति आज़ाद :** महोदय, आपने और मैंने सेंट स्टीफेन्स से पढ़ाई की, अच्छे संस्थान में चले गए। आपने बताया 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप यह जो बिल लेकर आए हैं, मुझे नहीं मालूम यह कितना सफल हो पाएगा। मानक तय करने के लिए आपने राज्यों को कहा है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि नेबरहुड स्कूल का स्वरूप क्या है। हम तो सुना करते थे, अगर आप ऐतिहासिक-धार्मिक बातों को सुनें, ऋषि संदीपन के यहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। उनमें से एक राजा का बेटा था और दूसरा गरीब का था। उस जगह पर सभी को बराबरी की शिक्षा मिलती थी। यह बात आपको माननी पड़ेगी कि अपना देश केवल एक समतल क्षेत्र नहीं है। इसमें पहाड़ी इलाके भी हैं, नदी-नाले भी हैं, रेगिस्तान भी है और सपाट मैदान भी हैं। गांव और देहात में अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव में चले जाएं, मैं पांच लाख गांवों की बात कर रहा हूं, वहां सभी जगह जातीय आधार पर अलग-अलग टोले, छोटे-छोटे गाँव में बंटे हुए हैं - कोई इस जाति का टोला है, कोई दूसरी जाति का टोला है, कोई डेढ़

किलोमीटर दूर है, कोई दो किलोमीटर दूर है। ऐसे में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसे मेरा क्षेत्र दरभंगा या उत्तरी बिहार या उत्तरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखें, आप उत्तर पूर्व के क्षेत्र देख लें, बंगाल के क्षेत्र देख लें, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जो नेपाल की तराई से लगते हैं, जो पहाड़ों से लगते हैं। अगर आप वहां जाइए तो एक गांव किसी बाढ़ में, जल प्रवाह के कारण दो हिस्सों में बंट जाता है, चलने में लोगों को असुविधा होती है, सड़क पार करना मुश्किल है, सड़कें टूट जाती हैं जो सालों-साल नहीं बनती। ऐसे में एक बच्चे को उसके घर से डेढ़ से दो किलोमीटर दूर ले जाकर पढ़ाना बहुत कठिन है। पहाड़ों के ऊपर बच्चा दो किलोमीटर नीचे आकर पढ़ेगा या दो किलोमीटर ऊपर जाकर पढ़ेगा। वहाँ छोटे-छोटे, दस-दस, पंद्रह-पंद्रह घर होते हैं, उसमें आप कैसे तय करेंगे। राज्य सरकार भी कैसे तय करेगी? अगर कहीं पर गांव की दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर 20-20, 30-30 या 50-50 घर और बच्चे होंगे तो क्या हर जगह पर स्थानीय स्कूल बनेगा और अगर स्थानीय स्कूल बनेगा, तो राज्य सरकार उस पैसे को कैसे पूरा करेगी? यह सारी चीजें हैं। आपने यह तो कह दिया कि मुफ्त व निष्पक्ष शिक्षा देंगे, यह तो कह दिया कि संसाधन बनाएंगे, संसाधन के लिए जितना हम दे सकते हैं, देंगे बाकी राज्य सरकार अपनी ओर से करें, लेकिन आपने यह सुनिश्चित नहीं किया कि अगर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो उसका दण्ड क्या होगा। आपने कह दिया कि राज्य सरकार स्थानीय अफसर, अभिभावक, मुखिया, जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए जाए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं गया तो उसके लिए आपने क्या दण्ड रखे हैं?

आपने बाँट दिया है और बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी तय कर दी है, लेकिन अगर बच्चा न जाए, तो ले जाने वाले पर जो जिम्मेदारी तय की है, उसे क्या दंड दिया जाएगा? होगा यही कि एक दूसरे पर भार डालते रहेंगे, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे और इस शिक्षा का अधिकार बिल पर पानी फिर जाएगा। ये कुछ ऐसे मानक हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इनका अवश्य जवाब दें।

हमारे देश को आजाद हुए 62 साल हो गए हैं। सरकार का एक सर्वे हुआ है, जिसके अनुसार देश में 60 प्रतिशत से अधिक लोग रोजाना 20 रुपया कमाते हैं। यह अर्जुन सेन गुप्त जी की रिपोर्ट है, जो आपकी ही पार्टी के हैं। वह व्यक्ति जो रोजाना 20 रुपया और उससे भी कम कमाता है, वह तो यही सोचेगा कि मैं अपने बच्चे के हाथ में कलम थमाऊं, उससे अच्छा तो यही है कि उसके हाथ में औजार दे दूं, जिससे वह भी दो-चार रुपए कमाए। अब आप ही सोचें कि वह बच्चा क्या स्कूल जा पाएगा, क्योंकि उसके बाप को लगता है कि अपना हाथ जगन्नाथ यानि जितने हाथ होंगे कमाने वाले, उतना ही फायदा होगा। इसलिए आपको कुछ न कुछ ऐसी प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए और ऐसे मानक तय करने चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल जाने को प्रेरित हो और उसके मां-बाप भी प्रेरित हों। आपने कहा है कि इसके लिए एक परामर्श समिति बनाएंगे, उसमें सब कुछ तय होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया उसमें सेवानिवृत्त

आईएएस, आईपीएस, सचिवों या संयुक्त सचिवों को न रखें, बल्कि जो शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में जाकर न केवल शिक्षा दी है, अपितु पिछड़े स्थानों पर जाकर यह देखा भी है कि शिक्षा में किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें जगह दें। ए.सी. कमरों में बैठकर इसे तैयार करना बड़ा आसान है, लेकिन स्थानीय स्थिति को समझकर, वहां जाकर देखकर फिर कोई चीज तैयार करना बहुत कठिन है। इसलिए आपको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल जाए।

आपने यह भी कहा है कि मिड डे मील जैसा कार्यक्रम बनाएंगे, रसोई बनाएंगे। उसके लिए राज्य सरकारों से बात करेंगे और उसके मानक तय करेंगे। इसमें भी अगर पांच साल का समय लग जाएगा, तो फिर आपका यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको खेलों के सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए। बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है और उसके माता-पिता बछिया के ताऊ की तरह काम करते हैं। अगर वह खेलों में रुचि लेता है तो उस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए और खेलों के प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप जो अध्यापक रखेंगे, मेरा सुझाव है कि वे प्रशिक्षित होने चाहिए। आपने कहा है कि इस योजना के तहत तीन से पांच सालों के बीच सरकार 60 लाख शिक्षकों को चिन्हित करेगी। मेरा कहना है कि क्या इस अवधि में आपको इतने शिक्षक मिल पाएंगे? मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश में 44 प्रतिशत ऐसे शिक्षक हैं, जो पांचवीं कक्षा के सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। उनसे जब यह कहा गया कि आप 'Success' के स्पेलिंग लिखकर बताओ, तो गलत लिखा। उनसे कहा गया कि भगवान, ईश्वर या अल्लाह के नाम लिखकर दो, तो वे नहीं लिख सके। क्या ऐसे शिक्षकों के साथ आ गुणवत्ता शिक्षा देने की जो बात करते हैं, वह पूरी हो पाएगी? जो शिक्षक भगवान, ईश्वर या अल्लाह का नाम नहीं लिखकर दे सकता और पांचवीं कक्षा के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, उससे आप अपेक्षा करेंगे कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत में अंतर नहीं मालूम और उनसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि वे बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे, भारत शिक्षा के मामले में आगे बढ़ जाएगा। ये ऐसे बिंदु हैं, जिन पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

आपने कहा कि राज्य सरकारों से हम बात करेंगे, फिर तय किया जाएगा, वित्त आयोग से बात करेंगे। यह कोई बात नहीं है, यह तो हवा में उड़ाई गई बात है। इससे आपका विजन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आपको याद होगा कि यहीं एक बिल पास हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 7 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन जारी किया था और वह कानून बन गया था। उसके बारे में आपने प्रचारित किया था -राजीवज़ ड्रीम, यूपीए कमिटमेंट, वह ग्राम न्यायालय का बिल था। आपने देश में 5067 ग्राम न्यायलय बनाने

की बात कही थी। उसमें 300 पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने थे। आपने तय किया था कि एक ग्राम न्यायालय का संसाधन बनाने के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसको सालाना चलाने के लिए 6.4 लाख रुपये दिये जाएंगे। तीन सौ पायलट प्रोजैक्ट्स की बात आपने की थी। खेद की बात है कि एक भी पायलट प्रोजैक्ट आज धरातल पर दिखाई नहीं देता है, जबकि सात महीने उस एक्ट को पास हुए हो चुके हैं। राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। मैं केवल 5067 ग्राम न्यायालयों की बात कर रहा हूं जिनके लिए इन राज्यों ने हाथ खड़े कर दिये हैं, यहां आप पांच लाख गांव में न जाने कितने अरब रुपयों की बात कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सिर पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए।

अभी हमने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर बात की। आप 2012 तक का लक्ष्य बताते हैं लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं जहां उस पर 5 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। आपके पावर-ग्रिड के लोग आये थे, वे वहां से भाग गये। कहां गये, समझ नहीं आ रहा है, हम उन्हें ढूंढे जा रहे हैं। हमने सोचा कि भागते चोर की लंगोटी सही, लेकिन वह लंगोटी भी दिखाई नहीं देती है। यह परिस्थिति बनी हुई है। इसलिए केन्द्र सरकार जब भी कोई योजना लाए, ठोस लाए, अच्छी लाए। मैं इसका समर्थन जरूर करता हूं लेकिन कहां तक यह सफल होगी, मुझे समझ नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कॉलेज में इतिहास पढ़ा है, मैं अपनी ओर से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, जिससे किसी को बुरा लगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। एक बादशाह था जिसका इतिहास में बड़ा नाम हुआ है। उसकी सोच बड़ी अच्छी थी, सोच-विचार में बड़े जबर्दस्त थे, सोच बड़ी अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल गड़बड़ था। उनके तुगलकाबाद का 2.4 करोड़ रुपये में नवीनीकरण का काम चल रहा है। उनका नाम मौहम्मद-बिन-तुगलक था। कृपया इसको गलत न लें, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, सर रहेंगे, यह न समझें कि मैं आपको कह रहा हूं लेकिन मन में दुविधा है, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या होती है, एक बकरे के बदले में गाय देनी पड़ती है, एक घोड़े की जगह गधा बदलना पड़ता है। अब चूंकि गधे का दाम घोड़े से कम है इसलिए यह बार्टर-सिस्टम नहीं चलेगा, मैं सिक्के बनवाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसने सिक्के बना लिये, लेकिन न सिक्के का शेप था न साइज था, न सिक्के पर कोई सील थी। पता चला कि हर घर में सिक्का बनना शुरू हो गया और मौहम्मद-बिन-तुगलक का जो खजाना था, वह खत्म हो गया। नॉर्थ-वैस्ट फ्रंटियर से बहुत हमलावर आया करते थे। उन्होंने कहा कि दौलताबाद में हम अपनी राजधानी को ले जाते हैं।

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** कीर्ति जी, सिक्के घर में बने तो ज्यादा बन गये होंगे?

**श्री कीर्ति आज़ाद :** सिक्के ही चलने लगे, बाकी सब खत्म हो गया। वे नकली नोट हो गये ना। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि नकली नोट हिंदुस्तान में बनें, तब जाकर शिक्षा पूरी होगी। ...(व्यवधान) बादशाह ने कहा कि हमले से बचने के लिए अपनी राजधानी दौलताबाद ले जाएंगे। दौलताबाद तो चले गये, लेकिन लाखों लोग रास्ते में मर गये और उन्हें "द वाइजैस्ट फूल" की संज्ञा मिली। सर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। उस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने न आये, ऐसा कुछ होना चाहिए। आपके पास कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। आपने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा देंगे, लेकिन ड्रॉप-आउट्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि जिस उम्र का बच्चा है उसे उस क्लॉस में दाखिला दे दिया जाए। आपके एक्ट में है कि अगर बच्चा आठ साल का है, उसे अगर तीसरी क्लॉस में जाना चाहिए तो आप उसे सीधा तीसरी क्लॉस में ले जाएं, चाहे उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही क्यों न हो। इस कम्प्टीशन के जमाने में आपको कोई निगरानी समिति तो रखनी ही पड़ेगी। आपकी जो स्टेंडिंग कमेटी थी उसने सुझाव दिया था कि कोई न कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आप अवश्य रखें। कोई बच्चा अगर क्लॉस में शरारती है तो आप उसे क्लॉस से निकाल नहीं सकते। एक बच्चे के कारण तीस बच्चों के साथ समस्याएं होती रहें, पूरी क्लॉस बर्बाद होती रहे, लेकिन आप उस बच्चे को निकाल नहीं सकते, वह बच्चा बाहर नहीं जा सकता। आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने रिक्मेंडेशन की है कि उसकी कौंसलिंग होनी चाहिए। कौंसलिंग नहीं हो तो यह किया जाए कि उसे एक स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए। लेकिन आपने स्टैंडिंग कमेटी का इस प्रकार का कोई भी प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया है। वह बच्चा पूरी क्लॉस को बर्बाद करता रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसे सिखा सकें, कुछ बता सकें, ऐसा कुछ नहीं है। आज जहां इतना कम्प्टीशन है, उस कम्प्टीशन के अंदर सभी को हम एक साथ घुसाकर चलेंगे तो फिर आपने जो गुणवत्ता शिक्षा की बात रखी है, उस गुणवत्ता शिक्षा का आगे क्या होगा? इसलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता था। इसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आज के जमाने में अगर मान लीजिए कि वह 8वीं पढ़कर निकल जाएगा तो कम से कम व्यावसायिक शिक्षा ले लेगा तो कुछ सीख लेगा। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूलों के अंदर कराई जाए। शिष्टाचार के पाठ पढ़ाए जाएं। बच्चे क, ख, ग, अलिफ, बे, पे, ते, ए,बी, सी, डी, ये तो सीखेंगे ही लेकिन स्कूलों में शिष्टाचार के भी पाठ पढ़ाएं जाएं, यह भी आज के जमाने को देखते हुए आवश्यक है। पब्लिक अवेयरनैस, सिविक अवैयरनैस के भी पाठ

रखे जाएं। पर्यावरण की हम लोग बात करते हैं, गांवों के अंदर लोग लकड़ियां काटकर उन्हें जलाकर ईंधन का उपयोग करते हैं। बच्चे जब अपने घर में बोलते हैं, हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो कुछ बोला करते थे, बच्चे उस बात को सुनते हैं, जबर्दस्ती पीछे पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शिष्टाचार के पाठ्यक्रमों को भी सिखाया जाए। अगर एक डॉक्टर, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से आकर प्रत्येक सप्ताह कक्षा ले और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताए, अगर वहां का बीट कांस्टेबल अपने एरिया के लोगों को जाकर यातायात नियमों को बताए। अब देखिए कि सड़कें जिस प्रकार से अभी बननी शुरु हुई हैं, आप जयपुर के रास्ते चले जाइए, आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा भैंस के ऊपर बैठा हुआ है और आपकी गाड़ी 120 की रफ्तार से जा रही है लेकिन वह सड़क पर आराम से आपकी गाड़ी के सामने चलता चला आ रहा है, आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है कि पहले भैंस क्रॉस कर जाए, उसके बाद गाड़ी आगे जाएगी। इस तरह से इन नियमों के बारे में सिखाया जा सकता है।

हम अनेकों बार यहां खेलकूद की बातें करते हैं। हमारी मलेश्वरी बन जाती है, अभिनव बिन्द्रा बन जाते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक ले आते हैं, तो आप उन्हें करोड़ों रुपया देकर पहचानते हैं कि ये हमारे खिलाड़ी हैं। अगर आप गांवों के स्तर से प्रशिक्षित खेल शिक्षक को रखें और वे प्रतिभाएं वहां से निकालें तो मैं इतना आपको कह सकता हूं कि और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी तो नहीं होती है कि केवल क्रिकेट ही हमारे देश में ऐसा खेल है जिसको लेकर न जाने कितनी बार संसद में भी इस पर बहस हो चुकी है लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर अवश्य कह सकता हूं जिस समय हम लोग खेला करते थे, अधिकतर बड़े शहरों से लोग आया करते थे, आज क्रिकेट के अंदर क्योंकि इस खेल ने गांवों-गांवों को प्रभावित किया है, लोग टेलीविजन पर इसे देखते हैं और सीखते हैं। आज हमारे पास छोटे-छोटे गांव और कस्बों से भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी दिख रहे हैं। वह बात दूसरी है कि इन खेल संस्थाओं के बारे में यहां टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट लोगों के बीच में चला गया क्योंकि उसने अपने आपको फैलाया, अपने कार्यक्रमों को जारी रखा, अगर हम यही सरकार के माध्यम से इन तथाकथित विद्यालयों को जिनका स्वरूप तैयार नहीं है, इसलिए तथाकथित मुझे कहना पड़ेगा। The so called neighbourhood schools as you have advocated. जब इसमें आप ये प्रशिक्षित खेल शिक्षक रखेंगे तो अवश्य ऐसी प्रतिभाएं निकलकर बाहर आ सकती हैं जो आगे चलकर हमारे देश का नाम आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब आप एक पूर्ण शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं तो मैं यहीं कहना चाहूंगा कि आधे अधूरे लेजिस्लेशन को सामने लाकर कार्य न किया जाए। यह मेरा आपके लिए एक अलग सुझाव होगा। मुझे केवल संशय इस बात पर होता है, आप जिस व्यवसाय से रहे हैं, मैं केवल आपके

सामने कई ऐसे लोगों के नाम लेना चाहता हूं, जिनके मन में इस बिल को लेकर संशय रहा है और उन्होंने यहां तक कहा है, The experts say that the Bill is a betrayal. आपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए तो कह दिया लेकिन जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी क्या पढ़ाई होगी, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। प्री- स्कूल राज्य सरकारें चलाएंगी, वे सुनिश्चित करेंगी, गरीब राज्य सरकारों से अपनी सड़कें तो अभी बनाई नहीं जाती, बिजली पूरी दे नहीं पाती और आप चाहते हैं कि शिक्षा वह पूरी दिला पाएंगी। यह संभव नहीं है, आपको समर्थन पूरा देना पड़ेगा। आपके जस्टिस विश्वनाथ साहब हैं, जस्टिस राजीव भल्ला साहब हैं, अनेकों लोग हैं जिन्होंने इस बात को रखा है और आपके सामने प्रोफेसर पी.एम.भार्गव हैं, जो वाइस-प्रेसीडेंट, नेशनल नॉलेज कमीशन, हैदराबाद से हैं।

**15.00 hrs**

उन्होंने कहा है -

> "RTE Bill: Bane for the poor. Discriminatory, lopsided and myopic, the Right to Education Bill will further increase the divide between the rich and the poor."

आपने अभी 25 प्रतिशत की बात कही, ट्यूशन फीस माफ करने की बात कही लेकिन कंप्यूटर की फीस लगती है, बिल्डिंग फीस लगती है, वह कौन देगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा अलग-अलग अंदर और बाहर की फीस होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

> "As education becomes more inaccessible for the poor than ever before, the State must decommercialise the existing structure and adopt a common school system providing free and compulsory education."

इस तरह का संशय हमारे मन में है। He goes on further to add:

> "If school education is not taken care of, I predict there would be a bloody revolution in this country in the next 15 years. Therefore, if the Right to Education Bill is passed in its present form, there would be no immediate choice but to engage in a public interest litigation which may turn out to be the most important one ever fought in the history of this country."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी ने मेरी बात को जरूर पहले सुना होगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूँ -

> "If the Right to Education Bill is passed in its present form, there would be no immediate choice but to engage in a public interest

> litigation which may turn out to be the most important one ever fought in the history of this country."

आप इतने जबरदस्त नामी वकील हैं, मैं आपका फैन हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस तरफ होते तो आपने भी इस बिल के चिथड़े उड़ा दिए होते लेकिन मैं इस तरह नहीं कर पाया। आप कभी अकेले में मिलें तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर मुझे इस बारे में कभी और बोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें क्या कमजोरियां हैं।

**श्री कपिल सिब्बल :** आपको जरूर बताऊंगा। जो बातें छूट गई हैं आपको समझा दूंगा।

**श्री कीर्ति आज़ाद :** निश्चित रूप से वरिष्ठ को कनिष्ठ को समझाना ही चाहिए। मेरे पास प्रमाणित करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ मामले हैं। मैं कुछ बुलेट प्वाइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। There are no specific penalties if the authorities fail to provide elementary education. मैंने आपके सामने यह बात पहले रखी थी कि किसे दंडित करेंगे। आपने ड्रापआउट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। माननीय कृणा जी, आप सुन लीजिए, अगर मैक्सिमम लड़कियों की ड्रापआउट का सबसे बड़ा कारण है कि वहां टायलेट नहीं हैं। लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन शौचालय नहीं हैं। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर बिहार में किए जा रहे कार्यों को रखना चाहता हूं। आज अगर सबसे अधिक कहीं लड़कियां पढ़ रही हैं तो बिहार में पढ़ रही हैं। आप व्यवस्था लेकर आए हैं और मैं ग्रामीण लड़कियों की बाबत बात कर रहा हूं। वहां लड़कियों को 800 रुपए वजीफे के रूप में मिलता है। आठवीं कक्षा पास करने के बाद साईकिल मिलती है, वर्दी और पढ़ने के लिए मुफ्त कापी किताबें मिलती हैं। यह योजना तब से अच्छी तरह से चल रही है जब से हमारी सरकार आई है। आपने पिछड़े को विशेा रूप से वर्णित किया है, हमारी सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महा दलितों को, यदि वहां स्कूल नहीं भी है तो शिक्षकों को रखकर नियमित रूप से पढ़ाने का इंतजाम किया है और साथ ही साथ इन बच्चों को वजीफा भी दिया जाता है। यदि बच्चे 12वीं कक्षा पास करते हैं तो अल्पसंख्यक को 10,000 रुपए वजीफा मिलता है कि आप उच्चतर माध्यमिक पास कीजिए और 10,000 रुपए का वजीफा लीजिए। इस प्रकार के कार्य हमारे राज्य में शुरू हुए हैं। आप चाहें तो किसी को भेज सकते हैं। आप वहां से नमूना सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार इतनी वित्तीय समस्याओं के बावजूद लोगों को आगे पढ़ाई करवा रही है। आप वकील हैं, आप मेरे मन के संशय दूर कर दीजिए। You have not excluded minority schools. They are not exempted from the provisions of this Bill. Is it possible that it will conflict with article 30 of the Constitution which allows minorities to set up and administer educational

institutions? यह भी एक बात है जो कि आगे चलकर समस्या पैदा कर सकती है। क्या इसे दूर करने के लिए आपके मन या बिल में कोई सुझाव है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इस चीज पर बात कर लें, क्योंकि जो वक्तव्य आपने दिया है और जो बिल हमने देखा है, उससे यही लगता है कि यह बिल तो जरूर यहां लाया गया है, ताकि आप हमसे ब्लैंक चैक ले रहे हैं। लेकिन यह राज्य सरकारों के साथ बैठकर तय होगा। क्योंकि ग्राम न्यायालय बिल पारित हो जाने के सात महीने बाद तक जिसका स्वरूप धरती पर न उतर पाया, आप इनमें से एक भी न्यायालय को नहीं चला पाये तो मुझे यह लगता है...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

**श्री कीर्ति आज़ाद :** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इसी चीज का संशय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बिल पारित होने के बाद छः महीने तक जिस बिल ने सुबह न देखी हो, ऐसे में पूरे देश के अंदर पांच लाख गांव में शिक्षा का अधिकार बिल आप आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, मेरे मन में इस बात की बड़ी दुविधा है और मुझे यह शंका है कि यह हो पायेगा या नहीं हो पायेगा। यह संशय मेरे मन में सदैव बना रहेगा।

इतनी बातें रखकर मैं इस बिल का समर्थन अवश्य करता हूं, लेकिन संशोधनों के साथ आशा करता हूं कि आपने अपनी जिन बातों को यहां रखा है और सारी राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी मढ़ दी है, मैं आशा करता हूं कि कुछ जिम्मेदारियां आप भी लेंगे तथा शिक्षाका अधिकार जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वह शिक्षा गुणवत्ता दिलाने में सक्षम होंगे।

**डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठी हुई सोच रही थी कि आजाद जी का भाषण बहुत अच्छा रहा। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देती हूं। छक्के और चौके मारना वह अभी भी भूले नहीं हैं। ...(व्यवधान) लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा पर, शिक्षा के मूल्यों पर और शिक्षा की इतनी कवायद पर हम लोग चर्चा करें तो निश्चित तौर पर इसमें विचारणीय बिन्दु भी हैं। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन हमने बहुत कुछ किया भी है। हम गांधी जी को इसलिए नहीं भूल सकते, क्योंकि आजादी के पूर्व उनकी धारणा थी कि शिक्षा सबको मिले और इसीलिए हमारे कांस्टीट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में इसकी व्याख्या है, पालिसी है। लेकिन उस सबसे बावजूद उन्होंने जो सपना देखा था, वह पूरा नहीं हो पाया। यदि हम उस सपने के तहत आगे जाएं

तो मैं स्व.श्री राजीव गांधी के बगैर शिक्षा में आज भी जो कुछ हो रहा है, उन्हें धन्यवाद दिये बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बेबाकी के साथ देश के प्रधान मंत्री ने उस समय कहा कि हमें यह स्वीकार है कि हमारे स्कूलों में कमरे नहीं हैं। हमें इस बात को सोचना होगा कि स्कूल एक टीचर से नहीं, बल्कि बिना टीचर के चल रहे हैं। हमें देखना होगा कि बच्चे आज भी कुओं से पानी लाकर एक-दूसरे को पिला रहे हैं। हमें देखना होगा कि स्कूलों में ब्लैक बोड्र्स तक नहीं हैं और बेबाकी के साथ उन्होंने केवल इसे स्वीकारा ही नहीं, बल्कि नई शिक्षा नीति के रूप में सम्पूर्ण देश भर को जगाया और फिर नई नीति का आगाज किया। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसी सोच को फिर दोहराया है, क्योंकि वह दौर उसके बाद फिर आया है। बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी ने यहां जब जवाब दिया था, उस वक्त कहा था कि शिक्षा में जो कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इस हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे भी बहुत कुछ करना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं क्लाजेज की बात करूं। परंतु इस बात के पहले मैं उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती। यदि हम क्लाज - 6 से शुरू करें तो इसमें प्रत्येक नेबरहुड में एक स्कूल की व्याख्या है, एक स्कूल के बारे में कथन है। क्लॉज-8 इस बात की गारंटी देता है कि फाइनैंशियल रैस्पौंसिब्लिटीज सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर तय करेंगी। यह क्लॉज़ इस बात के लिये भी कहता है कि एप्रोपरिएट गवर्नमेंट ड्यूटीज को प्रावोईड करेगी, क्लॉज-9 लोकल अथौरिटीज की बात करता है, क्लॉज-10 गार्जियन्स और पैरेंट्स की रैस्पौंसिब्लिटीज को फिक्स करता है लेकिन 11वें क्लॉज़ तक आते आते रुक जाते हैं। प्री-स्कूलिंग का दायित्व राज्य सरकारों पर डालने की बात इसमें कही गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगी कि केवल 0-6 साल की उम्र के बच्चों का ही तो भविष्य सुनिश्चित करना है कि वे आगे कहां जायें? हम बच्चों को आज ICDS के भरोसे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं.। अगर बच्चों को छोड़ना है तो हम लोगों को कुछ नीतिगत फैसले करने होंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि 0-6 साल की उम्र के बच्चों के लिये जब सरकार नियम बनाये तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर हो कि प्री-एजुकेशन को हम कहां पर लागू करना चाहते हैं? मैं इस बात के लिये मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि कैपिटेशन फीस को इस बिल में पूरी तरह से नकारा गया है। जो गरीब बच्चे हैं या जो ऐसे तबके से आते हैं जिनको प्रतिदिन 25 से 30 रुपये मिलते हैं, उन लोगों के लिये एक रास्ता खुलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज-12 फ्री एजुकेशन और कम्पलसरी एजुकेशन की बात करता है, उसकी हम तारीफ करना चाहते हैं। प्रोवीजो-15 जो एफिडेविट ईयर और टाइम आदि का जिक्र करता है, उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। खासकर क्लॉज़-17 की जितनी तारीफ की जाये, वह कम है। इसमें फिज़िकल पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। आप टी.वी.देख रहे होंगे या अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में पनिशमेंट जिस तरह से दी जा रही है, उससे अनेक बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इसे रोकने के लिये मंत्री जी द्वारा किये गये प्रयासों की मैं सराहना करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज-23-27 और 28 तक टीचर्स के बारे में बताया गया है। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूं कि रूल्स में इस बात का ध्यान रखें कि उन लोगों के लिये जहां बी.एड की ट्रेनिंग कम्पलसरी है वहां दो कक्षों में , जिस तरह से मशरूम ग्रोथ हुई है, बीएड कालेजेज की, मैं कुछ स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहती, वहां 50-60 हजार रुपये फीस लेकर कुछ टीचर्स बनने का सर्टिफिकेट ले सकते है। इन पर रोक लगनी आवश्यक है। इसलिये इस बात को इस में रखना होगा। जब प्रवेश होना हो तो किसी न किसी टैस्ट की आवश्यकता महसूस होगी। लेकिन प्राइवेट ट्यूशन को बंद करना एक बहुत बड़ा दिशा-निर्देश है, ऐसा मैं सोचती हूं।

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह क्लॉज-31,32,33,34 और उसके बाद क्लॉज-37 में इस बात का जिक करने से हमें आशा बंधती है कि इसमें नोटिफिकेशन एप्रोपरिएट खासकर रूल्स के बाद होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अपेक्षा करती हूं कि वह जब रूल्स बनायें, तब इस संबंध में जरूर ध्यान दें। अभी माननीय सदस्य इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बिल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे स्टेट सब्जैक्ट बना दिया गया हो। मैं इस बात से इन्कार करती हूं। यह बिल इस बात के लिये बनाया गया है कि शिक्षा एक राज्य का विषय है। जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय न केवल उनकी मंशा थी बल्कि उसने यह कहा भी था कि यह राज्य का विषय है और राज्य का ही विषय रहने देना चाहिये। देश के 18 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा से संबंधित स्वयं का विधान है लेकिन उनके हालात क्या है? कानूनों के कार्यों संबंधी अनुभव उत्साहजनक नहीं हैं। वास्तव में, इन राज्यों में उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सब से बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्वरूप ही नहीं है। इसलिये यू.पी.ए. सरकार ने सोचा कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में कानून लाना होगा। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की, माननीया सोनिया जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की जितनी तारीफ करूं, वह कम है। मुझे एक शिक्षाविद ने आज सुबह ही फोन किया था कि इस विभाग पर चर्चा होते हुए, आप गौरान्वित हों, क्योंकि 60 साल की लगातार कवायद के बाद यह बिल आया है। यह हमारे लिए, प्रजातंत्र के लिए निश्चित तौर पर गौरव की बात है, लेकिन इस पर गर्वित मत होइए क्योंकि इसे लाने में 60 साल लगे हैं। इसके बीच की

तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि कम से कम यूपीए की सरकार ने हिम्मत की, कि यह बिल केंद्र से आये, पास हो और शिक्षा का अधिकार सभी को मिले। इस बात के लिए मैं जितना धन्यवाद देना चाहूं, उतना कम है।

महोदय, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण देश की स्वतंत्रता के समय से ही एक चिर-परिचित स्वप्न रहा है और आज यह सपना सच होने जा रहा है। इस बात को देखा जाए, तो मैं समझती हूं कि इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, वह कम है। ये सब बातें सरकार की सोच और विशेषकर राज्य सरकारों की सोच पर निर्भर करेगा। इस पूरे बिल में कुछ बातें विशेष तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, और मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हालांकि मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है। यह पहला बिल है, जिसने कोई भी विषय-वस्तु नहीं छोड़ी है और इस विषय-वस्तु के जरिये इसमें इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है कि चाहे वह स्कूल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे क्वालिटी की बात हो और चाहे ग्रीवेन्सेज रीड्रेसल्स की बात हो, इन सब बातों का जिक्र एक बिल में लाकर, इस बात को दर्शाने की कोशिश की गयी है। इस बात की प्रतिबद्धता को दिखाने की कोशिश यूपीए की सरकार कर रही है, हालांकि विलंब हुआ है, लेकिन राज्य सरकारों पर छोड़ा हुआ विषय अब इस नये रूप में सामने आएगा। हम राज्य सरकार से सहायता तो लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर मॉनीटरिंग करते हुए, उन सभी विषयों को जो छूटे हुए और अलग-अलग हैं, उन्हें संग्रहित करके एक-साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।

महोदय, मैंने जिस बात का जिक्र किया कि हमारे संविधान में इस बात का जिक्र था, इस बात का जिक्र है और इस बात का जिक्र आपने अभी किया कि वर्ष 1993 में जब यह पास होकर, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, यह बात निकलकर आयी, जिसमें नीति-निर्देशक तत्व से माहिनी जैन के मामले में, कि इसे नीति-निर्देशक तत्व से हटाकर फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा जाए। अगर हम विश्व भर में देखें तो Article 26 of the UN Declaration on Human Rights and Article 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, उसके बाद the Right to Education has also been reaffirmed in 1960 in the UNESCO Convention against Discrimination in Education, the First Protocol on ESHR and the 1981 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women. इसमें इस बात को बार-बार दोहराया गया कि सभी राज्यों को, सभी राष्ट्रों को कंपलसरी एजुकेशन लेना चाहिए।

महोदय, क्योंकि हमारा स्वरूप ऐसा था। राज्य सरकार को केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही थी। मंत्री जी ने यदि यह बात कही है तो मैं समझती हूं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। राज्य सरकारें पूरी तौर पर कभी भी शिक्षा के प्रति चैतन्य नहीं रही हैं, कुछ राज्य सरकारें रहीं तो उन लोगों ने छलांग लगाकर शिक्षा के प्रतिशत को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक विल के साथ, एक संकल्प के साथ उसे क्रियान्वित किया। जो राज्य पिछड़े हुए हैं, उनमें उनकी राज्य सरकारों का दोष है, लेकिन केंद्र सरकार ने और विशेषकर जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, उसकी सोच हमेशा यह रही है कि बिना एजुकेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

महोदय, कुछ गैप्स भी हैं, यदि मैं केवल तारीफ ही करती रहूंगी तो शायद मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी तरह नहीं कर पाऊंगी। यह सच है कि इस बजट में शिक्षा के लिए काफी प्रावधान हैं, लेकिन विशेषकर बच्चों के संबंध में 4.13 पिछले बजट में प्रावधान था, वह केवल 4.15 हुआ है, उसमें केवल .02 की ही बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इतना ही सही, लेकिन यदि इसका पूरा सदुपयोग किया जाए तो वह काफी होगा।

हमें यह नहीं भूलना है ताकि हम आज भी बेबाकी के साथ राजीव गांधी जी की तरह यह सोच रख सकें और हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भी 35 प्रतिशत भारतीय अशिक्षित हैं, आज भी उनमें से 50 प्रतिशत फीमेल्स पढ़ना लिखना नहीं जानती। आज के ऑफिशियल फिगर्स इस बात को बताते हैं कि 50 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। आज भी एजुकेशनल सर्वे इस बात को दिखाते हैं कि ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको अपने बच्चों का रोज़गार ज्यादा प्रिय है बनिस्बत स्कूल भेजने के, और उसमें कोई मनाही नहीं क्योंकि हम कितना उनको निषेध कर सकेंगे? कहा भी गया है -" बुभुक्षतां किं न करोति पापं।" लेकिन यह यूपीए सरकार की सोच है कि एक तरफ जहाँ उन्होंने शिक्षा को इस बिल के माध्यम से आवश्यक बनाने की कोशिश की, वहीं पर आम गरीबी को दूर करने के लिए नरेगा जैसी स्कीम लाकर तथा गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य संसाधनों के द्वारा, जैसे बजट भाषण के दौरान कहा गया, हम कितनी नौकरियों का ज़िक्र करें जिनके कारण हम गरीबी को मिटा सकें और इस बिल की मंशा को भी पूरा कर सकें। 40,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष शिक्षा के लिए खर्च होता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर यदि हम देखें तो उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी पाँच में से दो बच्चे स्कूलिंग सिस्टम में एनरोल होते हैं लेकिन पाँच में से दो बच्चों की प्रायॉरिटी प्राइवेट स्कूल की होती है। क्योंकि उनके माँ-बाप की सोच है कि गवर्नमैंट स्कूल में उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाएगा। 53 प्रतिशत जो कक्षा पाँच के विद्यार्थी हैं, उन बच्चों को फ्लुएंट पढ़ना भी नहीं आता जबकि प्राइवेट स्कूल में यह परसैंट 68 से 70 परसैंट तक जाता है। इसलिए इन बातों को हमें नहीं भूलना है।

जहाँ तक एनरोलमैंट का सवाल है, प्राइमरी लैवल पर 2005 में 84.53 का एनरोलमैंट हुआ, वहीं पर 92.75 का एनरोलमैंट अगले वर्ष हुआ। अपर प्राइमरी लैवल में भी 48.45 तक हम लोग पहुँचे हैं। इसमें क्वालिटी की बात इसलिए डाली गई कि इस बात को सरकार बेबाकी के साथ स्वीकार करती है। इस बात को हमारी पार्टी को बेबाकी के साथ स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं कि निश्चित तौर पर जो क्वालिटी स्कूल की होनी चाहिए, जिस मंशा के साथ स्कूल खोले गए थे, जिस मंशा के साथ एजुकेशन को आधार बनाया गया था, वह मंशा पूरी नहीं हुई। इसलिए आप लोगों का कहना और आँकड़े भी बताना कि कक्षा पाँच का विद्यार्थी दो कक्षा विद्यार्थी तक का जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता।

इसी तरह अगर हम ड्रॉप-आउट्स को देखें तो 1999-2000 में जहाँ यह 38.7 परसेंट था, वह घटकर 31.37 परसैंट हुआ 2004 में। उसका प्रतिशत इतना कम गिरा इतने वर्षों में कि उसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते। लड़कियों का जहाँ तक परसेंटेज है, वह 42.3 परसेंट था। वह घटकर 24.82 हुआ है, लेकिन उसमें भी काफी बढ़ोतरी है। लेकिन कक्षा 1 से 8 तक में यह काफी कुछ बढ़कर जाता है और उसका कारण हमें समझने की ज़रूरत है।

मैं आपके माध्यम से सदन से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम गाँव के परिवेश से आते हैं। गाँव में जब कमाने लायक बच्चा या बच्ची हो जाता है, तो आप जानते हैं कि जिस इलाके राजस्थान से मैं आती हूँ  वहाँ पर या तो बच्ची की शादी कर दी जाती है - चाइल्ड मैरिज, या बच्चे को काम पर लगा दिया जाता है। आज भी वहां पर बच्चों का ड्रॉपआउट 50 परसेंट के करीब है जो निश्चित तौर पर विचारणीय विषय है। लेकिन जब यह बिल आएगा, जब सरकार की सोच बनेगी, तो निश्चित तौर पर इस ड्रापआउट में कमी आएगी। माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जब 1986 में मेरे पास राजस्थान में शिक्षा मंत्रालय था, उस समय बच्चियों का ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं था, पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। छः डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे कि जब आज़ादी मिली, तब महिलाओं में शिक्ष का स्तर सात प्रतिशत था, लेकिन आज़ादी के बाद 1986 में राजस्थान और बिहार आदि इलाकों में जहाँ केवल पाँच परसेंट था, उस समय मैंने केवल पाँच रुपये की स्कॉलरशिप शुरू की थी राजीव जी के विशेष प्रयास के कारण और केवल दो साल में वहाँ का प्रतिशत एकदम उछलकर 11 प्रतिशत पर आ गया। इसलिए स्कॉलरशिप के प्रावधान को इसमें ज़रूर रखा गया है। इससे विशेषकर बच्चियों का ड्रॉपआउट रेट मिटाने में कमी आएगी, इस बात से हम लोग इंकार नहीं कर सकते।  इस बात से हम लोग इंकार नहीं कर सकते हैं। आपने जिक्र किया, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि वह चार स्कूल, जिन स्कूलों के

बारे में मंत्री जी ने कहा था कि उन स्कूलों में जाने का भी उनको हक है। इसीलिए 25 प्रतिशत बच्चे वहां जाएं, लेकिन एक सोच, एक विचार और एक प्रश्न जो अभिभावकों के मन में है कि उन 25 प्रतिशत बच्चों की आर्थिक जिम्मेदारी 75 प्रतिशत बच्चों पर डाल दी गई तो फिर बढ़ती हुई फीस का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए उसके संबंध में रूल्स में कहीं कुछ बात डालने की जरूरत है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, टीचर्स के संबंध में काफी बात हुई है। लेकिन टीचर्स की अपनी समस्याओं के बारे में भी इस बिल में है। इसमें रिड्रैसल की व्यवस्था है। लेकिन इस समस्या को समझने का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं फिर अपने एजुकेशन मिनिस्टर के काल में जाती हूं। एक बार जब मैं सुबह ट्राइबल बैल्ट के एक स्कूल में पहुंची तो मैंने देखा कि एक मेल टीचर बार-बार गलत जोड़ करवा रहा था। फीमेल टीचर साथ में खड़ी हुई थी और बार-बार कह रही थी कि मंत्री महोदय आयी हुई हैं। वह इस सवाल को देख रही हैं, लेकिन वह कराता गया। काटता, फिर गलत सवाल कराता। आखिर उस टीचर ने कहा कि मंत्री जी खड़ी हैं, तो उसने कहा कि होगी मंत्री हों तो, मुझे सस्पैंड ही तो करेंगी। इतने से पैसे में तो ऐसे ही सवाल होंगे। उसने जैसे एक थप्पड़ हम पर लगाया हो, क्योंकि उस समय राजस्थान में चार सौ या साढ़े चार सौ रूपये हम लोग एक टीचर को दिया करते थे। छः महीने बाद डिपार्टमेन्ट मेरे पास आ गया और हमने उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 15 सौ रूपये कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ इन्सैन्टिव्स हमें उनको देने होंगे। एक पीठ की थपथपाहट तो देनी होगी। केवल हम उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। उस टीचर ने फिर कहा कि मैं दूसरा सवाल भी गलत करूंगा क्योंकि मेरी पत्नी टीचर है और वह भी टीचर है और मैं यहां पर हूं। उसकी पत्नी एक टीचर है, जो तीन सौ किलोमीटर दूर है। इसके बाद वह मेरे पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैडम आप चाहें तो मुझे सस्पैण्ड कर दीजिए। मैंने उसको तो क्या सस्पैण्ड करना था, लेकिन वहां से मैंने एक लैसन सीखा कि जब तक हम उनकी पीठ थपथपाकर उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए रीड्रैसल में इन बातों का जिक्र जरूर होना चाहिए, खास तौर से ट्रांसफर नीति का। सरकार अपने आप में राजनीतिक कारणों से है, लेकिन यह शिक्षकों पर आघात पहुंचाती है। शिक्षकों की नियुक्ति इतनी दूर हो जाती है कि उन्हें जीप से जाना पड़ता है। इस कारण मेरे इलाके में पिछली बार 36 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। कई बार वे नौ बजे की जगह 12 बजे पहुंचती हैं और लौट आती हैं तीन बजे। वह अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाती हैं। उनके साथ न्याय करने के हमें साधन ढूंढ़ने होंगे।

आप विश्वास के साथ यह बिल लेकर आए हैं। इसमें एवैलबिलिटी, एक्सैसेबिलिटी, एक्सैप्टबिलिटी और एडॉप्टबिलिटी है। अब केवल उसे करने की जरूरत है। मैं राजीव जी की बात करना चाहूंगी कि उन्होंने

जिस बेबाकी के साथ स्वीकार किया और उसका हल भी निकाला। हमारी यूपीए की सरकार, जो एक संवेदनशील सरकार है, वह उन प्रश्नों को निश्चित तौर पर देखेगी। पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि 0 से 6 तक क्या होगा? लोकल टीचर्स और उनके मामलों का क्या होगा? क्वालिटी को हम एकदम से कैसे चेंज कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम आफ एजुकेशन का क्या होगा? नैबरिंग स्कूल की बात चली है तो लोग कहेंगे कि हमें फ्रीडम आफ एजुकेशन भी है, उस पर भी हमें गौर करना होगा। जैसा आपने संदेह किया कि लोग दूसरी जगह न चले जाएं। लोकल एथॉरिटी करप्शन के साधन न बन जाएं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चालीस मिनट लिए थे, अभी मेरे बीस मिनट ही हुए हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप सोमवार को कन्टीन्यू कीजिए।

**डॉ. गिरिजा व्यास :** इन बातों के साथ मैं अपनी बात को सोमवार को फिर से रखूंगी। यह बिल सरकार लायी है, इसे भारी बहुमत से पास करके हम यहां से भेजें ताकि एक रास्ता खुले, जिसके बारे में मैं सोमवार को कहूंगी।

**15.30 hrs**

## PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take Private Members' Business

Shri Adhir Chowdhury

### (i) OLD AGE PENSION AND REHABILITATION BILL, 2009*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of pension and provision of other rehabilitation facilities to old persons.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of pension and provision of other rehabilitation facilities to old persons."

*The motion was adopted.*

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce** the Bill.

---

**15.31 hrs**

### (ii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009 *
### (Insertion of new article 21B)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI BASU DEB ACHARIA : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

**15.31 ½ hrs**

## (iii) CONSTITUTION (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS) SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2009*

**(Amendment of the Schedule)**

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959."

*The motion was adopted.*

SHRI BASU DEB ACHARIA : I introduce** the Bill.

---

**15.32 hrs**

## (iv) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2009*

**(Amendment of the Schedule)**

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950."

*The motion was adopted.*

SHRI BASU DEB ACHARIA : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

**15.32 ½ hrs**

## (v) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2009 *
## (Amendment of the Schedule)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

*The motion was adopted.*

SHRI BASU DEB ACHARIA : I introduce** the Bill.

---

**15.33 hrs**

## (vi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009*
## (Amendment of article 130)

**श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**श्री हंसराज गं. अहीर :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

**15.33 ½ hrs**

## (vii) PAYMENT OF SUBSISTENCE ALLOWANCE TO FARMERS AND AGRICULTURAL LABOURERS BILL, 2009 *

**श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the payment of subsistence allowance to farmers and agricultural labourers in order to provide social security to them and their family members and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री हंसराज गं. अहीर :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

**15.34 hrs**

## (viii) COUNCIL FOR ENVIRONMENT PROTECTION BILL, 2009*

SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Council at the Centre and in each State and Union Territory for the protection of environment and ecology.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Council at the Centre and in each State and Union Territory for the protection of environment and ecology."

*The motion was adopted.*

SHRI K.C. SINGH 'BABA': I introduce** the Bill.

---

**15.34 ½ hrs**

## (ix) CENTRAL HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT COUNCIL BILL, 2009 *

SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a Council to be called the Central Himalayan States Development Council to formulate development plans and schemes and also to monitor their implementation for the balanced and all-round development of the hilly States comprising the Central Himalayan region and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Council to be called the Central Himalayan States Development Council to formulate development plans and schemes and also to monitor their implementation for the balanced and all-round development of the hilly States comprising the Central Himalayan region and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

SHRI K.C. SINGH 'BABA': I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

**15.35 hrs**

## (x) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009 *
## (Amendment of article 51A)

SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : I introduce the Bill.

---

**15.36 hrs**

## (xi) CONSUMER GOODS (MANDATORY PRINTING OF COST OF PRODUCTION AND MAXIMUM RETAIL PRICE) BILL, 2009 *

**श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाजार में बेची जा रही उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य का मुद्रण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for printing of cost of production and maximum retail price of consumer goods being sold in the market and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

**श्री हंसराज गं. अहीर :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

**15.37 hrs**

## (xii) AGRICULTURAL LAND ACQUISITION REGULATORY AUTHORITY BILL, 2009 *

**श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में भूमि अर्जन के विनियमन के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि अर्जन विनियामक प्राधिकरण के गठन और तत्संबंधी अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the Constitution of an Agricultural Land Acquisition Regulatory Authority for the purpose of regulation of land acquisition in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री हंसराज गं. अहीर :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

**15.38 hrs**

## (xiii) HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BRANCH AT VIJAYAWADA) BILL, 2009*

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Andhra Pradesh at Vijayawada.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Andhra Pradesh at Vijayawada."

*The motion was adopted.*

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce** the Bill.

---

**15.39 hrs**

**(xiv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009***
**(Insertion of new article 21B)**

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce** the Bill.

---

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 26. Dr. Ramshankar -- Not present.

---

** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

**15.40 hrs**

## (xv) DISRUPTION OF PROCEEDINGS OF PARLIAMENT (DISENTITLEMENT OF DAILY ALLOWANCE TO MEMBERS AND TERMINATION OF MEMBERSHIP) BILL, 2009*

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for disentitlement of daily allowance to members for the day on which the proceedings of a House of Parliament of which they are members are adjourned due to disruption caused by a member or a group of members and termination of membership of a member or a group of members who disrupt the proceedings of the House and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for disentitlement of daily allowance to members for the day on which the proceedings of a House of Parliament of which they are members are adjourned due to disruption caused by a member or a group of members and termination of membership of a member or a group of members who disrupt the proceedings of the House and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

**<u>1541 hrs</u>**

## (xvi) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2009*

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, and to amend the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Puducherry) Scheduled Castes Order, 1964, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, and to amend the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Puducherry) Scheduled Castes Order, 1964, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978."

*The motion was adopted.*

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 31.07.09

** Introduced with the recommendation of the President.

**15.42 hrs**

## UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISIONS FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL, 2009 —Contd.

**उपाध्यक्ष महोदय :** आइटम नं. 30.

माननीय सदस्यो, अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल विधेयक, 2009 पर चर्चा के लिए आबंटित 2.30 घंटे का समय समाप्त हो गया है। चूंकि इस विधेयक पर चर्चा में सात और सदस्यों को भाग लेना है, इसलिए सभा को इस विधेयक पर आगे और चर्चा करने के लिए समय बढ़ाना होगा। क्या सभा इस बात पर सहमत है कि विधेयक पर चर्चा के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

**कई माननीय सदस्य:** हां।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri B. Mahtab to continue.

आप उस दिन तो बहुत बोल लिए थे, इसलिए आज थोड़ा बोलिएगा। I think you have spoken enough that day

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you very much.

I will try to wind up the issues which I have raised and I will wind up with the suggestion for consideration of the mover of this Bill and also of this House.

I had mentioned about certain discrepancies which have crept in within the last 62 years of our nationhood. I will delve into two other issues. One is, very briefly about the Naxalite violence that is taking place, the violence that is occurring in the eastern parts of this country. Be it parts of Bihar or Jharkhand or Orissa or Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Andhra Pradesh, or even West Bengal, these insurgent activities are not being tackled in full strength. The Central Government or the Union Government is not tackling it in full force as violence that is occurring in North-East or in border States like Jammu and Kashmir being tackled. Yes, I agree that violence that is occurring in Jammu and Kashmir or in parts of North-East is created by divisive forces. But the source of the violence that is occurring in eastern parts of this country is also done by the divisive forces. The only difference is that they are not saying that they will secede from this

nation. They are creating another nation within this nation. They are creating an independent unit within this nation. It also requires similar force from the Centre and also with the cohesive force that is with the State to fight it out. There the question lies because it impedes the strength of the State Government and also of the Union.

Another point which I would like to mention is that the Central Government has formed a Backward Region Development Fund. During the Fourteenth Lok Sabha, certain areas have been identified and funding is also being provided through this Fund from the Rural Development Ministry as far as I understand.

But, we had a KBK Plan – Kalahandi-Bolangir-Koraput Plan – during the Ninth Plan period and it continued up to the Tenth Plan period. Suddenly it was closed down in 2006. These three districts – now they have been divided into ten districts – comprise of an area which is equal to the area of Kerala State. Population-wise, it is less, no doubt. But it is mostly a tribal dominated area of then three districts, now ten districts, popularly known as KBK area for which a special plan was formulated after a lot of struggle. I think Shri Bhakta Charan Das, who had participated in the debate last time, also representing Kalahandi Parliament seat now, in the early '90s, being in the Opposition, as a member of the non-Congress Party, had put forth the point of view of that part of the State of Orissa. Subsequently, in the mid-1990s, a Special Component Plan was drawn and it continued up to 2006 with this idea that the receptivity of the people of that area, the receiving capacity of implementation of different plans and programmes can fructify. But the moment people had started accepting the plans and programmes, when certain irrigation potentials were created, when the idea was now to put them in agriculture and other ancillary activities, suddenly this Plan was stopped in 2006. Repeatedly we had raised it in this House. But the Central Government did not come to the rescue of the people of this area.

The Government of Orissa had to make a special plan from its own funds. It is called Biju-KBK Yojana. It is a State plan. The same programme is being worked out. Of course, later on, I think the hon. Minister will help me out, these ten districts of KBK region are now being provided, in certain matters, in certain programmes, with 90 per cent contribution from the Centre and 10 per cent contribution from the State. But for all programmes our demand was this. As you have for special category status States, different programmes of the Central Government where the Centre will provide 90 per cent and 10 per cent will be provided by the State, I would request that for these ten districts, as you have for certain components, all programmes of the Centre should be provided with the same status of special category status.

I now come to the point that why Orissa or Orissa-like States or the regions like which in the Bill it has been mentioned, why it is being demanded that more funds should be provided from the Centre. It does not behove of us to ask with a begging bowl that the Centre should provide this much of money. The Centre is minting money from the States like Orissa. Many Members may ask why and how it is so. The mover of this Bill, Shri Baijayant Panda, had to a great extent, explained the other day as to how money is being siphoned from States like Orissa. I will give you two or three instances relating to the mining royalty.

Repeatedly we have been asking that why not have it as *ad valorem.* Orissa is one of the major mineral-bearing States. It is only coal, chromite and bauxite that enjoy *ad valorem* basis of royalty and all other minerals including iron ore continue to be subject to specific rates of royalty regime. Why do you have royalty regime even now? Sixty years ago you had a royalty regime because there was only one private sector steel plant and during the First and Second Plan period public sector investment was done to build up major industries.

This royalty structure was imposed to keep the market under control. You have a free market today. Now steel is being produced and being exported outside.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : Sir, this concerns your State also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is right, but time is limited.

SHRI B. MAHTAB : I understand that.

I would say that on account of this royalty structure, Orissa - so also Jharkhand and Chhattisgarh - a leading iron-ore producer of the country is losing hundreds of crores of rupees of mining royalty every year. If it is *ad valorem* and goes with the London Mineral Price, LMP as it is called, we do not have to ask for money from the Centre because Orissa's budgetary capacity will be manifold and it will be very rightly utilized for the development of the State. What is of critical importance today is that the Government should effect necessary amendments and bring in *ad valorem* linked royalty regime in respect of all other minerals.

Then, revision of royalty is another issue which the 11th Finance Commission and also earlier ones had recommended, but it is not being done. Compensatory arrangement is supposed to be made, as recommended by the Finance Commission. That is also not being done. Repeatedly, we have sought the attention of the Prime Minister relating to this issue that within two years to three years' time, it should be revised, but it has not been done.

I would say that inter-State disparities were colonial legacy exacerbated during the six decades of planning, and almost two decades of pro-market reforms have done nothing to reduce these disparities. Most policy-makers would believe that disparities in wealth and incomes between regions and States were the outcomes of the policy failure, the legacy of deprivation of the many services, in spite of the Government's efforts at erasing them. Is that not the lesson of five decades of planning? Some economists are of the opinion that regional disparities, the legacy of colonial rule, intensified after 1947, not despite the development model but because of it.

What you call the core of development strategies is decided here in New Delhi. The suggestion which has been put forth by this Bill is 'to provide for the establishment of an autonomous Central authority to ensure rapid, accelerated and overall development…..'. What my friend, Shri Panda has put forth in this Bill is to have another autonomous Central authority. Very humbly, I would like to differ with this. You are going to create another Planning Commission or Planning Commission like another Central authority with the Prime Minister as the head of it and with the Deputy-Chairman of Planning Commission being the Deputy-Chairman of it. That means, it would be another Planning Commission which will have its office in Bhubaneswar. If this Planning Commission is unable to deliver the goods, why would we have Planning Commission like another Central authority? I would harp on it that you correct, as I said, the anomaly that has been going on for the last six decades and dismantle the royalty structure. Let it be left to the market. Then, mineral-bearing States like Karnataka, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa and Goa will benefit. Let the market determine. To arrive at this decision, my suggestion would be, it is for the consideration of this House, that little amendment is necessary in this Bill. A Parliamentary Committee should be formed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : Let an all-Party Committee be formed keeping the interest of these mineral-bearing States or disadvantaged States into view, so that they can go into it and come back -- within a time-bound manner -- to this House and deliberate for the consideration of the Government.

With these words, I conclude my speech.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Sir. At the outset, I extend my appreciation to my esteemed colleague Shri Baijayant Panda who has put his entire endeavour to bring the attention of this House in the context of regional disparities, which have been prevailing in our country.

The tone and tenor of this Bill is to put in place a balanced regional growth. However, the structural reform, which has been proposed, may differ from our opinion. Even after the passage of 62 years since Independence, still, it is evident that we have not been able to ensure regional balance, in growth and prosperity, in our country.

**1556 hrs** (Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

The common refrain is that the root of wealth is economic activity, and the distribution of wealth -- in a prudent and proper manner -- is to bring about regional parity. But still, the regional disparity in our country is much pronounced. In this regard, the Central Government has been continuing its effort to minimize and reduce regional disparity, since Independence, by providing infrastructure; by providing finance; and by amending various laws and provisions so that we can build a country wherein at least no resentment and no discontentment could arise in the name of regional disparities.

Madam, India is such a country, which has bequeathed the burden of colonial power. The States such as Goa, Maharashtra, and Gujarat, which were earlier colonized by the British imperialist, had access to the modern technology and trade with the western countries. But the other parts of our country, especially, East and North East -- which were brought under the domain of the British colonial power -- had lacked the taste of modern technology and development barring two or three areas. A parasitic culture was developed -- in the wake of permanent settlement -- that had been brought about by the Britishers in West Bengal where no entrepreneurship had been growing.

**16.00 hrs**

Since then, India has been divided between a group of forward States and a group of a backward States. If we see, geographically, the forward States comprise western and southern parts of the country. They are contiguous, except for Punjab

and Haryana, which have been separated by your State, Madam, Rajasthan. Otherwise, all the forward States are contiguous geographically. On the other hand, all the backward States are in the east and north-east, and they are contiguous geographically.

If we see, in the case of forward States, they had been enjoying the sea route from the very beginning, except Punjab and Haryana. However, in the case of backward States, except West Bengal, all the States of the backward region have been deprived of having port facilities and sea routes. Therefore, I urge upon this Government that to develop the backward States of our country, we have to have more port facilities which may cater to the trade requirements of States like Jharkhand, Bihar and North-Eastern India.

Madam, while the forward group of States account for 40.4 per cent of the national population, the backward group of States accounts for as much as 55.1 per cent of the population of the country. But in terms of natural resources, including mineral wealth, water resources, and quality of soil, the backward States have definitely an edge over the former. This is the great paradox.

Since the year 1950-51, in order to reduce the disparities between the regions, economic development plan was conceived, and public investment had been growing day by day with the objective of balanced regional growth. But the fact is, today, we are witnessing that the regional disparities have been widening. Why? Four decades of our national planning had brought about a reduction in terms of poverty, penury and ensure development. It was continuing till the 1970s. However, since the 1980s, acceleration of growth in our economy started, and since then, regional disparities have also started widening. Since 1991, in the aftermath of liberalization policy, in the aftermath of prudent macro economic policy, stabilization policy, we are observing that the intervention of the Central Government has been reduced.

On the other hand, private investment has been encouraged. Those private investors prefer to invest their capital in such States which provide better

infrastructure, better governance and better investment friendly environment. There lies a lacuna. Those States in spite of all natural resources are still lagging behind like, for example, Jharkhand because the infrastructure that was required for alluring, for enticing the private investment was not adequate enough for those investors. But Government had been trying to provide either incentive or disincentive to balance the growth. But the investor prefers and the investor prices better infrastructure, better governance, better purchasing power of the people in lieu of incentives and tax holidays. Therefore, the backward regions still are not being able to attract the private investment domestic and FDI. The problem is that the State Governments of those backward regions are suffering from financial constraints. Due to constraint of financial resources they are not able to even provide the committed expenditure. The gap between revenue and expenditure is so enormous in those backward States that they are not in a position to finance any public investment in infrastructure sector or other sectors. However, the Union Government under the Gadgil formula, under the Gadgil Mukherjee formula and through the recommendations of the Finance Commission and the Planning Commission every year is providing enormous funds to those States. But it has failed to create, it has failed to yield the desired results. It is really a very grave concern for us.

In the case of West Bengal and Kerala, the private investors got frightened by the militant trade unionism. And even the IT industry which was supposed to be set out their journey in West Bengal… (*Interruptions*)

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Chairperson, I am raising a serious objection. What he is trying to do is that he is trying to mislead the House. He has said about Kerala. He does not know anything about my State. I have serious objection on that.… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR CHOWDHURY : It is subject to be deleted.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : When you speak, you can clarify this.

*(Interruptions) …* *

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

*(Interruptions) …* *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): What the hon. Member observed was about militant trade unionism. There is nothing objectionable in this. Why should he get excited about this? … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Mr. Sampath, you may please clarify when your turn comes.

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing is being recorded. Nothing would go on record except what the hon. Minister said.

*(Interruptions) …* *

MADAM CHAIRMAN: Mr. Adhir Chowdhury, you may please continue and wind up.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Already Lavlin scam case has come to the surface.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Please wind up. You have spoken enough.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : When Kerala was ruled by the Communist Party, it witnessed that Kerala has not been able to create economic growth as was desired; in the case of West Bengal also, for the last 32 years, it was said that flight of capital had been taking place in West Bengal. Why? It is because the political environment and the administrative environment of that State were not so-conducive the investors so that they could provide their investment in that

* Not recorded

State. In the 1980s, IT industries were supposed to set out their journey from West Bengal. But it was blocked. It was opposed.

MADAM CHAIRMAN: You had asked for two minutes, but I had given you five minutes. Please be conscious of time.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : It is a matter of grave concern for us that the tribal people are becoming restive, resented and are becoming rebellious against he State Government of West Bengal. It is a matter of grave concern. But the fact is that over the years, the tribal people are suffering from extreme poverty; they are suffering from land alienation, habitat destruction, cultural colonization and State oppression of the *adivasis.* Now, the Lalgarh episode has come up. The entire jungle *mahaul,* that is Bankura, Purulia and West Midnapore have been witnessing severe discontentment among the tribal people.

I request the Union Government should take action in conformity with the five principles of Nehruvian Panchsheel, which states that the tribals should be allowed to develop according to their own genius; tribals' rights in land and forest should be respected; tribal teams should be trained to undertake administration and development without too many outsiders being inducted; tribal development should be undertaken without disturbing tribal social and cultural institutions; and the index of tribal development should be the quality of their life and not the money spent.

Madam, we should all strive for our nation to develop in a parity of growth because more the regional disparities, more the sense of secessionism and the sense of alienation will crop up. With these words, I conclude.

**डॉ. भोला सिंह (नवादा):** सभापति महोदया, श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय ने जिस विधेयक को सदन में रखा है, मैं कुछ संशोधनों के साथ उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 60 वर्षों के विकास के इतिहास को देश ने देखा। उसका नतीजा यह निकला है कि इस देश का विकास बेतरतीब हुआ है। आप उस शरीर की कल्पना कीजिए, जिसका मुंह बड़ा हो गया हो, एक पैर पतला हो गया हो, पेट निकल गया हो। उस शरीर का विकास जरूर हुआ है, लेकिन एक बेतरतीब मनुष्य का विकास हुआ है। अगर सम्पूर्ण

शरीर का एक साथ विकास हो, वह देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। उसमें शक्ति भी दिखाई पड़ती है, उसकी प्रतिभा भी दिखलाई पड़ती है। अगर शरीर का सम्पूर्ण विकास नहीं होता है, तो आदमी बहुत बदनसीब दिखाई देता है। उसकी आकृति किसी को मोहती नहीं है।

मैं आज कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत एक सांस्कृतिक आत्मा है। भारत कोई भौगोलिक इकाई नहीं है। भारत कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। यह बात ठीक है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यह भारत की राजनीतिक तस्वीर हो सकती है, लेकिन भारत हिमालय के उस पार भी है, बंगाल की खाड़ी के उस पार भी है और हिंद महासागर के उस पार भी है। वह सांस्कृतिक भारत है। सांस्कृतिक भारत राजनीतिक भारत को शक्ति प्रदान करता था, अगर हम कोई चीज बनाते हैं, तो आप देखेंगी कि कहीं कहीं से वह चीज खुरदरी रह जाती है। उसे हम फिर से सीते हैं और डोर मिला कर एक जैसा करने की कोशिश करते हैं। देश का जो विकास हुआ, उसके कुछ हिस्से पिछड़ गए। मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार विडम्बनाओं का राज्य है। सैंकड़ों नदियां हैं। जमीन भी उर्वरा है। जमीन के नीचे पानी भी है। इतिहास ने बिहार के साथ बहुत मजाक किया है। इसके साथ उड़िसा था, इसके साथ झारखंड था, इसके साथ पूर्व में बंगाल भी साथ था। लेकिन इतिहास के उतार-चढ़ाव में बंगाल इससे अलग हुआ, उड़ीसा इससे अलग हुआ, झारखंड इससे अलग हुआ और उसके बाद बिहार का जो शरीर बचा है, वह आधा कटा शरीर, लहूलुहान शरीर और इस शरीर में केवल बाढ़ और सूखा है। इसकी जनसंख्या का घनत्व इतना है कि हम जमीन का विस्तार नहीं कर सकते हैं। इसकी कर संग्रहण प्रणाली इतनी ऊंचाई पर है कि हम नया टैक्स नहीं लगा सकते हैं। बिहार विकास में बहुत पीछे सरक गया है। जिस ढंग से बिहार चल रहा है, अगर बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार के साथ अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जैसे पांच आदमी एक साथ चल रहे हैं। उनमें से एक आदमी पिछड़ जाता है, तो आगे जाने वाला आदमी रुक जाता है कि एक साथी पिछड़ गया है, उसके आगे आने के बाद हम चलेंगे। उसी तरह से बिहार के साथ भी हमें ऐसा करना होगा। आप जानती हैं कि बिहार का कोसी का इलाका, जिसमें मधेपुरा है, सुपौल है, हर्षा है, 35 लाख लोग बेपनाह हैं। उनकी जमीन ऊसर हो गई है, बालू भर गई है। फिर बिहार में गया, नवादा, जमोई का जो हिस्सा है, वह सूखे से प्रभावित है। इसके साथ 22 जिलों में उग्रवादी आंदोलन चल रहा है। वहां सत्ता के कई केंद्र उपस्थित हो गए हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि बिहार राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है।

नेपाल में जो उग्रवादी आंदोलन है, माओवाद नेपाल का है, वह बिहार की ओर बढ़ रहा है। बिहार में अव्यवस्था पैदा कर रहा है। फिर बंग्लादेश है, उसकी इनरोड्स बिहार में है। बड़ी संख्या में लोग वहां से आ

रहे हैं। आज बिहार चारो ओर से अतिक्रमित हो रहा है, आतंक से उग्रवाद से घिरा हुआ है। यह बिल में है कि हम एक स्वतंत्र केन्द्रीय प्राधिकार बनाए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्लानिंग कमेटी है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो बिहार जो इतना पिछड़ा हो गया है, उसको आप देखिए। स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पटना के गांधी मैदान में बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। स्वयं इंदिरा जी के जमाने में बिहार को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। उसके बाद बिहार से झारखंड को हटा दिया गया तो वहां की विधान सभा ने 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये के एक स्पेशल पैकेज की मांग की। बिहार से खनिज चले गये, लोहा चला गया, बिजली चली गई, तांबा चला गया, वन चला गया, सारी सम्पदा चली गई और आज बिहार अनाथ है। पिछले दिनों में बिहार विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर बिहार पिछड़ गया है तो देश पिछड़ जाएगा और बिहार का पिछड़ना देश के हित में नहीं है। अगर बिहार उग्रवाद, आतंकवाद का शिकार हो गया, अभी जो सरकार बिहार में है, उस सरकार ने बहुत प्रयास किया है और हम जो 19वें स्थान पर थे, हम तीसरी पोजीशन पर विकास के क्षेत्र में आ गये हैं। हम तीसरे स्थान पर आकर बड़ी तेजी से विकास करना चाहते हैं।

हम आपको इतिहास की एक घटना बताना चाहते हैं। बिहार में आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद की एक किताब 'कफन' है। उस 'कफन' उपन्यास में बुधिया एक करैक्टर है। बुधिया गर्भवती है, डिलीवरी होने वाली है, बुधिया चिल्ला रही है और उसकी बगल में उसका बेटा है, उसका पति है जो घूरा में आलू पका रहा है, बेटा दौड़कर मां के पास नहीं जाता है कि अगर हम मां के पास जाएंगे तो ये आलू जो पक रहे हैं, उसका पिता खा जाएगा। उसका पिता अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं जा रहा है कि अगर हम जाएंगे तो ये आलू हमारा बेटा खा जाएगा। बिहार आज भी इस स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर यह सदन नहीं देखेगा तो बिहार जल जाएगा। बिहार अगर आतंक का शिकार हो जाएगा तो बिहार एक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता है। इस देश के लिए तबाही का कारण बन सकता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो विकास की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जगा दीं हैं, उससे जनता की आकांक्षाएं सरकार से बहुत बढ़ गई हैं। चर्चिल से 1947 में जब देश आजाद हुआ तो किसी ने पूछा, उस समय चर्चिल इंग्लैंड के प्रधान मंत्री थे, पूछा कि आप क्यों हार गये। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी हुआ था, चर्चिल वॉर हीरो थे और जब वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ तो चर्चिल हार गये। चर्चल से पूछा कि आप क्यों हार गये, आप तो वॉर हीरो थे। चर्चिल ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री बनने से और युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण जनता की आकांक्षाए, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई और उन आकांक्षाओं के कारण हम उन्हें पूरा नहीं कर सके। इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ा। ऐसी अवस्था में हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार का

जो कोसी का हिस्सा है, बिहार का जो जमुई, नवादा, गया, बोधगया, सासाराम ये सारे जो हिस्से हैं, इन सारे हिस्सों को आप एक स्पेशल जोन बनाकर एक बोर्ड का गठन करके, इसके विकास के लिए सारी योजनाओं को कार्यान्वित करें। यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। तीव्र विकास की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आज उनका जमीन पर उतरना बहुत आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए इसमें सुधार की जो संभावनाएं हैं, उन्हें देखते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि वह बिहार जो शहादत का मजार है, सर्व धर्म पालन है, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, दिनकर और लोक नायक जय प्रकाश जी की जन्मभूमि है, लंबी सांसें खींच रहा है। बिहार डायलिसिस पर रखा हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं बिहार परंपरा है, गौरवशाली आस्था है, देश की आजादी का प्रतिबिंब है, देश के राष्ट्रीय प्रतीक की मां है लेकिन यह डायलिसिस पर है, इसलिए इसे बचाने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** सभापति महोदया, आपने मुझे अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार बड़े विस्तार से रखे हैं। अगर इस भारत का असली स्वरूप देखना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां आपको असली रूप दिखाई देगा। आजादी को 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। आज भी माननीय सदस्यों ने बिहार की बात कही। चाहे बिहार की बात हो या झारखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या चाहे पूर्वोत्तर राज्य के बहुत से प्रदेशों की बात हो, इनकी स्थिति को देखा जाए तो पता चलेगा कि ये अल्पविकसित हैं। जहां गरीबी है, गुरबत है, जहां शोषित लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार हुए हैं। यही कारण है कि हमारे देश में नक्सलवाद और उग्रवाद बढ़ा है। जहां तक गरीबी की बात है, हम अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो तमाम बीपीएल के लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनकी भीड़ लग जाती है। सब की केवल एक पुकार होती है - हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। अगर उनके एक या दो बच्चे भी हैं तो वे भी मां-बाप को घर से निकाल देते हैं, बच्चे अलग रहते हैं और खाते कमाते हैं। यह स्थिति वहां है जिसके कारण उनकी डिमांड रहती है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हमारे पास कॉलोनी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उनके साथ ये तमाम दिक्कतें हैं। सदन में ऐसे तमाम मामले उठे हैं कि बीपीएल की पहचान और परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो देखेंगे कि बीपीएल से भी कमजोर लोगों की पहचान नहीं कर पाए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि

इनके लिए कोई न कोई योजना बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए। अगर एक गांव में बीपीएल के 150-200 लोग असली रूप में मिलते हैं तो वहां मुश्किल से 40-50 लोगों को ही बीपीएल घोषित किया जाता है और केवल इन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ये सुविधाएं अन्य लोगों को नहीं मिल पाती हैं।

महोदया, मैं इसलिए कह रहा था कि आज भी अगर असली भारत का स्वरूप देखना है तो ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहां आपको सही स्वरूप देखने को मिल जाएगा। खास तौर से जहां स्लम बस्तियां हैं, जहां अनूसूचित जाति के लोग हैं, जहां अनुसूचित जनजाति या बहुत गरीब अल्पसंख्यक लोग हैं, वहां जाएंगे तो देखेंगे कि वहां आज भी लोग गरीबी ओर गुरबत से भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहां तक कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिन्हें हम खेतिहर कृषक मजदूर के रूप जानते हैं, अगर वे रोज न कमाएं तो वे रोज खा भी नहीं सकते हैं। वह रोज कमाता है, रोज खाता है। एक दिन भी अगर वह मजदूरी न करें तो उसके घर में खाना नहीं बन सकता। वह उधार लेता है और कर्ज में डूब जाता है। इसीलिए आज सीमांत और छोटे किसान जरूरत के तमाम संसाधन नहीं जुटा पाते और कर्ज लेते हैं और कर्ज न चुकाने के कारण एक दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। यही कारण है कि सदन में हमेशा चर्चा होती है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। इसलिए वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। शहरों में कई चौराहे आप देख लीजिए, लेबर चौराहे के नाम से जाने जाते हैं। अगर उन्हें मजदूरी मिल गई, उन्हें वहां रोजगार मिल गया तो वे लोग वहां खड़े होते हैं और यदि काम नहीं मिला तो वापस अपने घर् को चले जाते हैं।

महोदया, आज नक्सलवाद और उग्रवाद जो बढ़ा है, उसका मुख्य कारण यह है कि समाज की मुख्य धारा से आज भी बहुत से लोग कटे हैं। उनके पास सिर छुपाने के लिए मकान नहीं है, जमीन नहीं है। उनके पास शिक्षा नहीं है। जिनके पास रोजगार नहीं है। उनके जो बच्चे बड़े होते हैं, उनके पास शिक्षा न होने के कारण वे उग्रवाद की ओर बढ़ते हैं। आज आप देखें, नेपाल, बंग्लादेश में नक्सलवाद और माओवाद का बढ़ावा मिला है। खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा को देखें, हमारे भाई पांडे जी बैठे हैं, यदि आप बॉर्डर पर इनके क्षेत्र को देखें तो तमाम लोग उधर से आ रहे हैं। मैंने कल शून्यकाल में यह मामला उठाया था कि बंग्लादेश से भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख लोग आते हैं और उनमें से 25 हजार लोग प्रति वर्ष वापस नहीं जाते हैं। ये लोग आज हिंदुस्तान में शरण पाये हुए हैं। अगर आप उनकी जांच करें और उन्हें चिह्नित करें तो नदी, नालों के पास झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर आज भी ये लोग रह रहे हैं। उनके सामने भी बहुत बड़ी दिक्कत है।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में थोड़ा बहुत नक्सलवाद बढ़ा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो वह वहां गये और जनसभा की। वहां नक्सलाइट्स की मुखिया एक महिला सामने आई। उसने बताया कि हमारे पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। हम लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। हम वोट नहीं दे सकते। तब जाकर वहां व्यवस्था हुई तो आज चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में नक्सलाइट गतिविधियां कम हुई है। मैं यह नहीं कहता कि यह वहां से पूरी तरह से खत्म हो गया है। हो सकता है कि कहीं बाहर से लोग आ जाएं तो अभी भी बढ़ सकता है। अन्यथा ऐसे ही लोग उग्रवाद और नक्सलवाद की ओर बढ़ते हैं।

यदि आप गरीबी की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग गरीब हैं और उसके बाद जो 18 करोड़ की आबादी वाले हमारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के यहां सबसे ज्यादा गरीबी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण में सुविधा मिली है। लेकिन इनकी स्थिति बहुत बदतर है। उन्हें सरकारी सुविधाएं मिली हैं। दूसरी तरफ जो 18 करोड़ की आबादी वाला हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके यहां बहुत गरीबी है। उनके यहां मैंने खुद देखा है। आप आटोमोबाइल पार्ट्स, रिपेयर या उससे संबंधित दुकानों पर चले जाइये और देख लीजिए कि छोटा सा 10-12 साल का बच्चा भी हाथ में पेंचकस, हथौड़ी और टूल्स लिये हुए काम करने के लिए मजबूर है। वह इसलिए मजबूर है, क्योंकि उनके यहां शिक्षा नहीं है, हमेशा वे गरीबी में रहे हैं। इसलिए पढ़ने के स्थान पर सीधा रोजगार, व्यवसाय की तरफ जाता है। जब वह काम करता है तो अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।

सभापति महोदय, हमें आज सोचना पड़ेगा कि यही अल्पसंख्यक समुदाय आजादी के पहले नौकरियों में कम से कम 15-20 परसैन्ट रहते थे। लेकिन आज क्या कारण है कि एक-दो परसैन्ट भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नौकरियों में नहीं हैं। हमें इस पर सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। चाहे शेड्यूल्ड कास्ट्स हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो या अल्पसंख्यक हों, आप किसी भी मुस्लिम बस्ती में चले जाइये, अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनकी बस्ती स्लम बस्ती के रूप में जानी जाती है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग उन्हीं बस्तियों में जीने को मजबूर हैं। इसलिए हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

दूसरी तरफ यदि आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखें तो यह प्रदेश भारतवर्ष का हृदय प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ तो हम भारत का विकास कभी नहीं कर सकते।

चाहे आज पूर्वांचल की समस्या हो या बुंदेलखंड की हालत देख लीजिये या इलाहाबाद शहर से 25-30 किलोमीटर दूर चले जाईये जहां कोरांव का पहाड़ी क्षेत्र है। वहां का समुदाय समाज की मुख्य धारा

से दूर है। वे लोग पत्थर तोड़ते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। न उनके लिये शिक्षा है और न रोज़गार है। जब वहां आदमी पैदा होता है तो यही सोचता है कि उसे तो गिट्टी तोड़नी है और पेट पालना है। इसके अलावा उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे ही यमुना और गंगा के किनारे लोग बालू खनन का काम करते हैं। ये लोग भी समाज की मुख्यधारा से दूर हैं। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं। सिर्फ बालू खनन करो, धन अर्जित करो और अपने परिवार का पेट पालो। इसके अलावा गंगा के किनारे बान से लोग चारपाई बनाते हैं। उन लोगों की भी स्थिति खराब है। हमारे मध्य प्रदेश के साथी यहां बैठे हुये हैं। वे जानते हैं कि उनके इलाके में तेंदू पत्ता होता है। लोग तेंदू पत्ता ले जाकर बाजार में बेचते हैं। जिन माताओं-बहिनों के बच्चों को स्कूल जाना चाहिये, वे बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं और उनसे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इससे तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। उन बच्चों के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। बीड़ी मजदूरों के लिये या तमाम ऐसे रोज़गार या व्यवसाय उनकी मार्केटिंग के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिनका हाथ का व्यवसाय है, उन्हें सही रूप में उसका लागत मूल्य नहीं मिलता है जब वे बाजार में बेचने के लिये जाते हैं। ये ऐसी सारी दिक्कतें हैं जिन्हें सरकार को देखना चाहिये।

सभापति महोदया, योजना आयोग की सामरा समिति ने रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र सब से ज्यादा पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को विशेष पैकेज देकर ही दोनों क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा । ऐसी बहुत सी परियोजनायें चलती हैं। केन्द्र सरकार के पास भी बहुत सी योजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं। इस कारण पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो रोज़गार के संसाधन नहीं पैदा होगे। यही कारण है कि प्रदेश विकसित नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ है। यहां पर ही गरीबी है। जब गरीबी बढ़ती है तो रोज़गार नहीं मिलता है, आप समझ लीजिये कि तब अपराध बढ़ते हैं। आप दिल्ली की हालत देख लीजिये कि ऐसी-ऐसी घटनायें घट रही हैं। हम बच्चो को क्या संस्कार दे रहे हैं? रिबू नाम के लड़के का अपहरण करके अपराधी रातों-रात लखपति बनना चाहते थे। इस थोड़े से लालच में लड़के की हत्या कर देते हैं। तमाम तरह से मर्डर, डकैतियां और चोरियां हो रही हैं। यही वे कारण हैं कि गरीब होने पर ऐसी घटनायें हो रही हैं. हम उन बच्चों को कैसे संस्कारी बनायें, तब असली भारत का स्वरूप बन सकता है।

सभापति महोदया, जहां तक प्राकृतिक सम्पदा और इनफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां ये चीजें नहीं होतीं, वहां कोई उद्योग धंधा नहीं लग पाया। हमारे यहां गन्ने की पैदावार अधिक होती है। अगर चीनी मिल लग जाये तो लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जो छोटे किसान हैं, वे अपना गन्ना कल-कारखाने तक ले

जाकर अपनी जीविका कमा सकते हैं। जब किसानों ने देखा कि गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो उन्होंने गन्ना बोना ही छोड़ दिया। यही कारण है कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदया, जहां तक सरकारों की बात है, मेरा अपना मानना है कि यदि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है तो प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकार होनी चाहिये। यदि केन्द्र में भाजपा की सरकार है तो राज्यों में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिये। इसका कारण यह है कि एक ही पार्टी की सरकार केन्द्र और राज्य में होने से तालमेल रहता है और तब क्षेत्र का विकास जल्दी होता है। क्षेत्र का सब से ज्यादा अविकसित, गरीब और पिछड़े होने का कारण यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारों में सामजस्य न होना। अगर हम इस कारण को मानेंगे, तब जाकर हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे जो भी मंत्री जी बैठे हुए हैं, रावत जी बैठे हैं, कामत जी बैठे हैं, माकन साहब बैठे हैं, सचिन भाई बैठे हैं और पीछे हमारे प्रदीप भाई बैठे हैं, कि जो भी प्रदेश की लंबित परियोजनाएं आपके पास हैं, उन्हें तत्काल लागू करा दीजिए। इससे किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं मिलेगा बल्कि इससे जनमानस को फायदा मिलेगा। इससे पिछड़ापन दूर होगा और विकास होगा, गरीबी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी हम असली भारत के स्वरूप और उसकी संरचना कर सकते हैं।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस विधेयक का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, I am very much thankful to you that you have given me an opportunity to associate myself with my friends and colleagues who have spoken here on the subject. I am equally thankful to the mover of the Bill Shri Baijayant Panda who has brought forward this Bill before the House and provided an opportunity to discuss the burning problems of the different regions of the country.

Madam, at the outset, I must say this. What is the necessity of this kind of a Bill which he has brought forward before this House? Certainly, there are deficiencies and drawbacks in our planning process which have created this kind of a situation all over the country and in different parts of the country. This situation has been created and as a result of that, one has to think over the matter and accordingly Shri Panda has brought forward this particular Bill to highlight

certain aspects of our planning process which have created this problem in the country. He has mentioned the particular areas where this kind of backwardness has crept in in spite of the best efforts and the planning in our country. He has not mentioned only one State or one region but he has mentioned the places all over the country. He has focused his attention on different regions of the country.

As my colleagues from Orissa as well as from other States have mentioned, there are some regions today in our country which need special and focused attention so that they can come up to the desired level and march along with the other regions of the country.

Even the Planning Commission has admitted that there are shortcomings and there are backward regions which need special attention. In this regard, I would like to cite a few sentences from the Planning Commission's observations. This is contained in Chapter-VII. It has mentioned and I would like to quote:

> "7.1.2: Redressing regional imbalances has indeed been a vital objective of the planning process. However, despite the efforts made, regional disparities have continued to grow and the gaps have been accentuated as the benefits of economic growth have been largely confined to the better developed areas."

This is the observation of the Planning Commission. This is the thing which necessitated the bringing forward this Bill before the House. When the Planning Commission itself has admitted it, I do not say that there is anything wrong in Shri Panda's bringing forward this Bill. He has tried to focus, as I have said earlier, his attention on the particular regions so that the Government is kind enough or alert enough in taking action. They may take the necessary action. They may create some sort of an Authority or a mechanism that may help in reducing the disparities or imbalances prevailing in different parts of the country.

MADAM CHAIRMAN : The extended time for the discussion is over and there are three more speakers. So, if the House agrees, the time for the discussion on this Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM CHAIRMAN: So the time for the discussion on this Bill is extended by one hour.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, my friends, who have preceded me have highlighted the backwardness of some parts of our country and specially Shri B. Mahtab, in his long speech, has mentioned as to how, over the years, not only Orissa but also other backward regions of the country have been overlooked and how justice has not been done to those particular regions. I do not want to repeat those things, but I would like to point out certain things which, to my mind, are very important to be considered by this House.

So far as the State of Orissa is concerned, even after 62 years of Independence, Orissa is the most backward State in the country. The poverty rate in Orissa is 47.15 per cent, that is, 47.15 per cent people are living below the poverty line as per the estimate made by the Planning Commission.

In the same way, the State is still full of villages. In Orissa, 87 per cent of the population lives in villages even after 62 years of Independence and after more than 40 years of development planning that we had in the country and only 13 per cent of the population lives in towns and cities. So you can imagine how backward the State is even today.

Similarly, the total workers in the State account for 142.76 lakhs, constituting 38.79 per cent of the population of the State. Out of the total number of workers, male workers account for 67.2 per cent and agricultural workers account for 21.9 per cent.

Then, what is the state of affairs with regard to ownership of land in Orissa? There were 39.66 lakh operational holdings in Orissa in 1995-96 of which small and marginal holdings accounted for 81.97 per cent while the remaining 18.03 per cent came under the category of semi-medium, medium and large holdings. This is the situation in Orissa where 81.97 per cent holdings are very

small. I do not say that nothing has been done. Some steps have been taken. But in spite of the best efforts, this is the situation in the State of Orissa.

The percentage of energy consumption in rural households is very less. About 69 per cent of the rural households in Orissa use kerosene and electricity is used by only 30 per cent of the people. So, still kerosene is being used by 69 per cent people in Orissa as a primary source to light their houses whereas the all India percentage is 42 per cent and the percentage of electricity usage is 56 per cent.

The percentage and distribution of rural households for structures, buildings, dwelling units in Orissa is: kuccha 50 per cent, semi-pucca 27 per cent and pucca 23 per cent. This is the situation till today.

Madam, you will be surprised to know that the monthly *per capita* expenditure in rural areas in Orissa is Rs.12 while Arjun Sengupta Committee pointed out that it is Rs.20 per day in the country. The *per capita* earning in Orissa is Rs.265 and the share of food in total expenditure is 58 per cent. I just wanted to point out these figures for the information of the House to show how it stands today in country's average?

Hon. Shri Narayanasamy is here, he will certainly try to convince the House giving so many examples. But I am not speaking here as a Member of the Opposition, I am speaking here as a citizen of this country as well as the representative of the State of Orissa. This should not be taken on a partisan manner. This is what exists in the State of Orissa today. This should be taken into consideration and something should be done so that we can come up at the national level. It is our duty as Members of Parliament or representatives of people to think over it. The Government at the Centre is responsible to people, the State Government is also responsible to people. They should think over it and they should do something so that this kind of backwardness should not be there.

So many schemes have been devised or adopted by the Central Government and the guidelines or the principles are devised by the Central Government. They provide these guidelines to the State Governments. Take the case of NREGA.

The Central Government want to get it executed, provide funds and sees that these are utilised. But there are geographical differences in the country. There are different climates, there are hills in some States, there are forests, and all that. There are so many differences from one State to another. But the guidelines provided to the States are not different. They provide only one set of guidelines and principles to all the States. They should take into consideration the reality that exists today in different parts of the country. I think, that is the reason why the money provided in a particular year is not being utilised fully.

There are so many things but I would not like to go into the details because I have no time. But I would like to just request the hon. Minister as well as the hon. Members present here that the Government and the Planning Commission should give leeway to the State Governments or even to the grass-root level administration, or even to the panchayats, or the panchayat samitis. They should provide leeway to the State Governments as well as the district panchayats. If there is difficulty in executing the project due to climatic differences, due to geographical difficulties, they should try to relax the guidelines. According to the situation existing at the grass-root level, they should examine them. There should be relaxation of guidelines so that the money provided by the Centre can be utilized fully. This should be thought of.

There are many schemes. There is Sarva Shiksha Abhiyan; there is Backwards Region Grants Fund (BRGF) which the Centre is providing. There are also other flagship schemes that the Government has started and is providing money for the states; I do not dispute it. But all the money that is provided is not being utilised fully because of climatic differences, geographical differences, and difficulties at the grass-root level. So the Planning Commission as well as the hon. Minister, who is present here, should give relaxation, should give freedom to the State Governments or to the panchayat bodies which may execute the projects as per the local needs. Unless this is done, the money cannot be utilized fully.

In the end, I must say that Panda *ji* has certainly done a yeoman service not only to the State of Orissa but also to the different regions of the country to highlight the problems that exist there today. Certainly, I would request the hon. Minister, who is sitting here, to consider it and try to think over it. It is because, I am very glad to know that recently the hon. Member of Parliament, Rahul Gandhi *ji*, has brought up these difficulties, the backwardness of certain areas like the Bundelkhand area, the regional disparity, before the Prime Minister. From whatever is published in the paper, I find that our Prime Minister has also assured them that he will look into the matter. So, when these are being considered and lead has been given by an hon. Member of Parliament also – the Prime Minister has given his consent; it is reported – I think this particular aspect has to be given a momentum. So this may be considered.

With these words, I thank you, Madam.

**16.59 hrs** (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्रीमान् पांडा जी द्वारा प्रस्तुत बिल में कुछ संशोधन के साथ अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से आता हूं और मैं कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस एरिये को रेगिस्थान बोलते हैं, राजस्थान जियोग्राफीकली दो भागों में बंट सकता है। अरावली पर्वत आबू से चल कर अलवर तक आते हैं।

**17.00 hrs**

सभापति महोदय, राजस्थान का जो वैस्टर्न पार्ट है, उसमें रेगिस्तान है और वह पाकिस्तान तक जाता है, जिसे थार डैजर्ट कहते हैं। उसमें किसी जमाने में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले भी आते थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद वे जिले अब डैजर्ट के पार्ट नहीं रहे। उन जिलों की कुछ पॉकेट में अभी भी डैजर्ट है। जो 11 जिले और बच गए हैं, वे डैजर्ट का पार्ट हैं। उनमें प्रकृति ने बहुत चीजें दी हैं। ग्रेनाइट जालोर से जैसलमेर तक उपलब्ध है। जिप्सम बीकानेर से पाली तक उपलब्ध है। वहां साल्ट के भी भंडार हैं। जोधपुर में स्टोन बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। लाइमस्टोन जैसलमेर में बहुतायत में है। गैस भी

प्रचुर मात्रा में है। क्रूड ऑयल बहुत है, जिसके कारण बाड़मेर में अभी मंगला और कई बड़े-बड़े प्रोजैक्ट आ रहे हैं। लिग्नाइट बीकानेर से लेकर कई डैजर्ट इलाकों में उपलब्ध है। राजस्थान से मार्बल पूरी दुनिया में जाता है। वह भी वहां बहुत मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान इतना सैंड तथा मिनरल से रिच होने के बावजूद भी उसके जिस एरिया में ये डैजर्ट वाले 11-12 जिले पड़ते हैं, उनमें रहने वाले लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ये जिले हमेशा अकाल की मार से पीड़ित रहते हैं। इन जिलों को मनु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कवियों ने भी इनके बारे में अलग-अलग धारणाएं प्रकट की हैं।

महोदय, मैं इन जिलों की बहबूदी के लिए एक प्रोजैक्ट बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन जिलों में भौगोलिक विषमताएं हैं और वहां रहने वाले लोगों की जो आदत है, उसके कारण वे बहुत संतोषी स्वभाव के हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ योजनाओं का पैसा जो केन्द्र सरकार की ओर से दिया गया है और कई प्रदेश सरकारों के पास लम्बित पड़ा है, उसे वापस लिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो पैसा केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से दिया गया है और जिन प्रदेश सरकारों ने उसे व्यय नहीं किया है, उसे केन्द्र सरकार ब्याज सहित वसूल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रोजैक्ट हैं, जिनका पैसा राज्य सरकारों पर बकाया है। कल भी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि रैवेन्यू जनरेशन के कुछ प्रोग्राम बताए जाएं। मैं कहता हूं कि कुछ योजनाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे भेज रखे हैं। उन पैसों को राज्य सरकारें खर्च ही नहीं कर पा रही हैं। उन्हें उनसे ब्याज सहित वापस लिया जाए। इससे कुछ धन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जो धन मिले, उससे बैकवर्ड एरियाज के डैवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

महोदय, मैं राजस्थान के डैजर्ट वाले 11 जिलों के लिए एक योजना बनाने का सुझाव देता हूं। मैंने वहां रहने वाले लोगों से बात की है। वे यह चाहते हैं कि हमें कोई भी योजना मत दीजिए। हमें केवल पांच पशु दे दीजिए। पशु यानी एक-एक बकरी, भैंस, भेड़, गाय और ऊंट। वे इन पांच पशुओं का एक यूनिट मांग रहे हैं। इन पांच पशुओं को दे दिया जाए, फिर चाहे किसी भी योजना के अन्तर्गत दिया जाए। हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगली मांग उनकी है कि उन्हें सेवण घास उगाने के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। जब से नहर आई है और जब से कुओं से सिंचाई होने की प्रथा चल पड़ी है, तब से जलस्तर भी नीचे चला गया। जब तक सेवण घास नहीं होगी, तब तक हमारे डैजर्ट के डिस्ट्रिक्ट में उन्नति नहीं होगी। ये जिले कोई प्रोग्रैस नहीं कर पाएंगे। सेवण घास, पहले बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती थी। यह नैचुरल घास है, लेकिन अब इस घास का उगना बन्द हो गया, क्योंकि नहरों के साथ-साथ टापू, धोरे और टीबे नहीं रहे। इन्हीं जगहों पर पहले सेवण घास बहुत होती थी। मैं कहना चाहता हूं कि इन जिलों के लोगों को पांच पशु, बकरी, भैंस, भेड़, गाय और ऊंट दे दीजिए और सेवण घास उगाने का कोई प्रोजैक्ट बना

दीजिए। अकाल में भी सेवण घास उग सकती है। अकाल में भी सेवण घास के माध्यम से पांचों पशु जिन्दा रह सकते हैं।

महोदय, इसके बाद उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की उपलब्धता की रहती है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहां आप एक वाटर कुंड या जिसे टांका कहते हैं, वह बना दीजिए। हमारे बाड़मेर के मित्र श्री हरीश चौधरी जी जिसे टांका कह रहे थे, वह बना दीजिए। वह वाटर कुंड 10 या 20 हजार लीटर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10-20 हजार लीटर के कुंड बनाकर लोगों ने बहुत पैसा बर्बाद किया है। इसलिए वहां कम से कम एक लाख लीटर कैपेसिटी का कुंड बना दीजिए। इसमें ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का भेद मत कीजिए। वहां सारी जनता रहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बी.पी.एल. फेमिलीज को उस कुंड से पानी प्रायर्टी पर दीजिए, लेकिन ए.पी.एल. को भी टांका दे दीजिए। टांका दे दीजिए, सेवण घास उगाने की अनुमति दे दीजिए या उसे उगाने के लिए कोई प्रोजैक्ट बना दीजिए और पांच पशु दे दीजिए। इसके बाद उन्हें बागवानी करने के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या स्टेट मैडीशनल प्लांट बोर्ड से कुछ मैडीशनल प्लांट दिला दीजिए, क्योंकि डैजर्ट में कुछ ऐसे पौधे पैदा होते हैं जो बिना पानी के ही उग आते हैं। जैसे तूम्बा अपने आप हो जाता है। आगड़ा भी अपने आप हो जाता है और उसका रेशा भी काम आता है। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, जो अपने आप पैदा हो जाते हैं। जैसे मतीरा और ककड़ी आदि बहुत सी चीजें हैं, जो बिना पानी के भी उग आती हैं। इनसे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अगर इन सब चीजों को मिक्स कर के, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देंगे, तो इन 11 जिलों में रहने वाले जो लोग हैं, वे बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। यह इन्कम जैनरेटिंग प्रोग्राम का एक बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन प्रोग्राम हो सकता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है, दूर-दूर से पानी लाया जाता है। अभी राजस्थान सरकार ने एक 22 हजार का प्रोजैक्ट र सैण्ट्रल गवर्नमेंट में भेजा है और वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर पैंडिंग है। उस पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, खारा पानी ज्यादा है। अगर वह प्रोजैक्ट सैंक्शन हो जायेगा तो राजस्थान के लोगों की पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से एक नया सजेशन देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो के 11 जिले हैं, उनमें खारे पानी के कुंए बहुत हैं। आज टैक्नोलोजी का इतना डैवलपमेंट हुआ है तो ये जो एबंडण्ड वैल्स हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत से हादसे भी होते रहते हैं, क्या इस खारे पानी को मीठा नहीं किया जा सकता और अगर नहीं किया जा सकता तो क्या इस खारे पानी में ही कोई मछली उत्पादन नहीं हो सकता है? इस तरह के कुछ इन्नोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से ये खारे पानी के जो कुंए हैं, गांव-गांव में खारे पानी के कुंए हैं, एबंडण्ड हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। Intrastructure is available in our area.

मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। हम हिली एरिया के अगेन्स्ट नहीं हैं, हिली एरिया के लोग विषमताओं में जीते हैं, ऐसे ही डैजर्ट के लोग भी विषमताओं में जीते हैं। जब हिली एरिया में कोई प्रोजैक्ट लगता है और उसके लिए आप इन्कम टैक्स और एक्साइज़ में छूट देते हैं तो हमारे रेगिस्तान में लगने वाले प्रोजैक्ट्स के लिए भी आप छूट क्यों नहीं देते हैं? मैं अभी पहले कह रहा था कि हमारे यहां ग्रेनाइट है, लाइम स्टोन है, क्रूड ऑयल है, नैचुरल गैस है, लिग्नाइट है, मार्बल है, नमक है, जिप्सम है। स्टोन पर आधारित हमारे यहां बहुत से प्रोजैक्ट्स लग सकते हैं। एक बहुत बड़ी कम्पनी सीमेंट की इंडस्ट्री जैसलमेर और बीकानेर में लगाना चाहती है, लेकिन उनको इन्कम टैक्स और एक्साइज़ की छूट जो और एरियाज़ में है, वह राजस्थान में नहीं है, इसलिए वे राजस्थान नहीं आना चाहते। मैं इस मामले में यह कहना चाहता हूं कि हमें एरिया स्पेसिफिक प्रोजैक्ट्स बनाने पड़ेंगे और जब तक हम एरिया स्पेसिफिक प्रोजैक्ट्स नहीं बनाएंगे तो ऑन गोइंग स्कीम से जो ये एरियाज़ पिछड़ गये हैं, उनका भला नहीं होने वाला है। संविधान में भी यह कहा गया है कि रीजनल इम्बेलेंस दूर करने का सरकार का भी दायित्व है, इसलिए जब तक आप क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं करेंगे, तब तक सम्पूर्ण भारत का विकास नहीं होगा। अगर आपको सम्पूर्ण भारत का विकास करना है तो मैं आपके माध्यम से उसके लिए यह कहना चाहता हूं।

एक दूसरी चीज़ और है। इन जिलों में बहुत खासियत है, ये सीमा प्रहरी जिले हैं, ये सब सीमा से आने वाले आक्रमण की भी रक्षा करते हैं और जितनी भी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, इनका फायदा इसलिए इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार स्टेट गवर्नमेंट मैचिंग ग्राण्ट नहीं दे पाती है। जैसे कहीं मैचिंग ग्राण्ट 75 परसेंट-25 परसेंट है, कहीं 30 और 70 परसेंट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनमें मैचिंग ग्रांट स्टेट की कम कर दो या फिर 100 परसेंट सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड प्रोग्राम बना दो, नहीं तो 10 और 90 का प्रपोर्शन रखो, तभी हमारे इन जिलों का विकास हो सकता है।

आपने मुझे इशारों-इशारों में बैठने का निर्देश दिया है। मैं ऐसा सिपाही हूं कि आपके निर्देशों को मानता हूं और मानूंगा भी, क्योंकि डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ी हुई है। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि एरिया स्पेसिफिक प्रोजैक्ट बनें, तभी सम्पूर्ण भारत का विकास हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): सभापति** महोदय, आपने मुझे श्री वैजयंत पांडा द्वारा इस सदन में प्रस्तुत अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर विधेयक लाने के लिए मैं माननीय सदस्य के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आजादी के 62 वर्ष बाद देश के दो स्वरूप सामने आये। एक विकसित भारत और एक कंगाल और अभावग्रस्त भारत। विकसित भारत के लोगों का जहां प्रतिशत 15 है, वहीं अभावग्रस्त भारत के लोगों का प्रतिशत 85 है। हमें नजदीक से देखने का जो अवसर मिला है, उसमें हमने देखा है, समझा है कि विकसित भारत के लोगों के स्वान भी दूध-भात खाते हैं। वे एयर कंडीशन में रहते हैं, उनके माल-

मवेशी पालतू कुत्तों के लिए भी रहने की समुचित व्यवस्था है। लेकिन भारत के 85 प्रतिशत लोग आज भी जाड़े में ठिठुरते हैं, गर्मी में तपते हैं, अभाव में रहते हैं और उनके बच्चे भूख से तड़पते हैं। देश ने कुछ क्षेत्रों में विकास किया है। तकनीकी क्षेत्र में हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम सब दलीय भावना से ऊपर उठकर एक संपूर्ण विकास वाले भारत की परिकल्पना करें।

महोदय, माननीय पांडा जी बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। हम बिहार राज्य से आते हैं। उसे अगर दो भागों में बांटा जाए, तो आधा बिहार बाढ़ की चपेट में होता है और आधा बिहार सुखाड़ की चपेट में होता है। वहां के किसानों के दर्द का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष कोसी में भयंकर बाढ़ आयी थी। उनको सुख-सुविधा उपलब्ध कराने में अभी तक हम समर्थ नहीं हुए और अब भयंकर सूखे की चपेट में बिहार आ गया है। वहां के किसान भुखमरी के कगार पर हैं और आत्महत्या करने पर विवश हैं। अगर वहां मिड-डे भोजन स्कूल में नहीं दिया जाता, तो हमें लगता है कि बच्चों का रूझान भी शिक्षा की तरफ नहीं होता। आज चिकित्सा और शिक्षा का बिहार में काफी अभाव है।

जब बिहार का बंटवारा हुआ, उससे सारे कल-कारखाने झारखंड मे चले गए। उसके बावजूद बिहार भी पिछड़ा राज्य है और झारखंड भी पिछड़ा राज्य है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार सहित जितने पिछड़े राज्य हैं, इस प्राधिकरण में लाकर उनका समुचित विकास किया जाए।

हम सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि सीवान जिला, जहां से हम निर्वाचित होकर आए हैं, वह देशरत्न डा. राजेन्द्र बाबू, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह उनका जिला है। लेकिन अफसोस की बात है कि तीन चीनी मिल और एक सूता फैक्ट्री होने के बाद भी, वह पिछले बीस वर्षों से बंद है। वहां कल-कारखाने बिल्कुल बंद हैं। किसानों ने अपना गन्ना मिल को दिया, लेकिन मिल-मालिक मिल को बंद करके चले गए। उनकी पूंजी आज उनके घर में है। कोई उनको पैसा देने वाला नहीं है। जो गन्ना उपजाने के लिए उन्होंने ऋण लिया था, उसकी राशि बढ़ती गयी और बैंक ने उनके ऊपर केस किया। उनको जेल भेजा गया।

दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में चाहे अपराधी जेल जाते हों, पूंजीपति जेल जाते हों, तो वे जो कुछ जेल में खाते हैं, जेल मैनुअल में उनसे वसूला नहीं जाता। लेकिन जब एक किसान जेल में जाता है, तो जेल मैनुअल में, जितना दिन वे खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बैंक उस किसान से वसूला करते हैं। सीवान के किसान आज तड़प रहे हैं। हम आपसे विनती करेंगे कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए।

बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों को केंद्र सरकार ने पिछड़ा जिला घोषित किया है और पिछड़ा जिला विकास निधि उन जिलों में देने के लिए व्यवस्था की है। केंद्र सरकार सिर्फ एक जिले को पिछड़ा नहीं मानती है और उसके लिए पिछड़ा विकास निधि की व्यवस्था नहीं करती, जबकि बिहार में यदि कोई सबसे पिछड़ा जिला है, तो वह सीवान है। वहां चीनी मिलें बंद हैं, सूता फैक्ट्री बंद है, न बढ़िया अस्पताल है, न कोई बढ़िया शिक्षा का केंद्र बिंदु है। आखिर यह मापदंड क्यों है? हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार सीवान जिला को भी पिछड़ा जिला माने और उसके लिए राशि दे।

इस विधेयक को लाने के लिए पांडा जी को और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए सभापति महोदय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the Bill moved by hon. Member, Shri Baijayant Panda with a greater interest of the nation.

Although we are nearing the end of the Eleventh Five-Year Plan, disparities continue to persist in many of the States of the country, particularly Orissa, Bihar, Jharkhand, North-Eastern region and the tribal areas of certain States, especially Kandhamal district and the KBK region of Orissa State as well as in other States also. The disparities are also a matter of concern as they threaten the nation's hope of achieving various developmental goals by 2015.

According to a study of the Planning Commission of 1999-2000, Orissa remains at the bottom; that is 47.15 per cent of the people are below the poverty line. Mahatma Gandhi told that the heart of India is in the villages and unless villages develop economically, India cannot be said to be a developed country.

In Orissa, with around 86 per cent of rural population, 22.21 per cent of Scheduled Tribe and 16.26 per cent of Scheduled Caste population, there is the highest incidence of poverty among all States of the country. It is also in a serious debt trap with the debt amount being 63 per cent of the GSDP and 329 per cent of State's revenue as per 2003-2004. This State is facing a financial crisis in view of unsustainable burden of outstanding debts. Under these circumstances, the State Government cannot achieve piscical consolidation. Without a substantial change in the nature of financial assistance to this State, it cannot be possible to break the vicious circle of poverty.

Coming to my constituency, Kandhamal, this is the most backward district of the State. As per the United Nations' World Food Programme study in the year 2008, Kandhamal remains at the bottom of all the districts in Orissa. This district faced, in the last two years, communal violence. It is under Maoist threat. This district is a tribal district having only 30 per cent of land under paddy crop. Out of 1,25,000 hectares of agricultural land, only in 35,000 hectares of land paddy is grown. So, the in-take capacity is very less and the production is very less. The economic condition of the district is very

very poor and this district needs a sustainable financial help. Otherwise, people will be put to difficulties.

Fifty-three per cent of the people belong to Scheduled Tribe and they are so innocent that unless we look into their problems properly with special attention, this district cannot grow.

I will draw your attention to one aspect that the infant mortality in district is 119 as compared to the national average of infant mortality at 57. This district has no adequate ICDC centres. For 2,500 revenue villages, it has only 1,300 ICDC centres.

Therefore, the child care also cannot be taken care of in this district. Similarly, health care is also miserable in this district. Nearly 50 per cent medical centres have no doctors and mobile health units are not at all working in this district. So, health care is not at all satisfactory in this district.

I can also say that this district lacks safe drinking water facilities. Out of 4,000 villages in the district, only 1,000 get electricity while the remaining 3,000 have not been given electricity. So, piped-water supply scheme has very less impact in this district. So, people are deprived of getting safe drinking water facilities.

Gram Panchayat headquarters are also not connected with all weather road facilities because the PMGSY guideline says that only villages with population of 500 or more can get roads under PMGSY. In this regard, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that in tribal areas, the population of villages is not more than 250 or 300. So, I urge upon the Government to change the guideline in respect of the tribal areas so that these villages can also get roads under PMGSY.

So, I support the Bill moved by Shri Panda and say that hon. Minister should look into the matter and see that all the under-developed areas of this country get more financial assistance and more attention so that they are developed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Member, Shri Baijayant Panda, for having brought to this august House the Bill 'Underdeveloped and Backward Areas and Regions (Special Provisions for Accelerated Development) Bill, 2009'. I am also grateful to all the other hon. Members – Shri Hukmadeo Narayan Yadav,

Dr. Vinay Kumar Pandey, Shri Prem Das Rai, Shri Bhakta Charan Das, Shri Pinaki Misra, Chaudhary Lal Singh, Shri B. Mahtab, Shri Adhir Chowdhury, Dr. Bhola Singh, Shri Shailendra Kumar, Shri Arjun Charan Sethi, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Om Prakash Yadav, Shri Rudramadhab Ray – who participated in this discussion and brought to the notice of this august House the backward areas in this country and the steps that have to be taken by the Central Government for developing those regions.

Sir, the hon. Member in his Bill has stated that an authority should be constituted. It has been provided in clause 4(1) of the Bill :

> "The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, establish an Authority to be known as the Underdeveloped and Backward Areas and Regions Development Authority."

He goes on to say who should be the Chairman and members of the Authority. In clause 5 of the Bill, he has mentioned:

> "The Authority shall consist of the following members:-
>
> (a) the Prime Minister, who shall be the Chairman, *ex-officio:*
> (b) the Deputy Chairman of the Union Planning Commission, who shall be the Vice Chairperson, *ex-officio;*
> (c) five members of Parliament representing underdeveloped and backward regions, of whom three shall be from the Lok Sabha and two from the Rajya Sabha, to be nominated by the Presiding Officers of the respective Houses;
> (d) ten members to be appointed by the Central Government representing the Planning Commission and Ministries/ Departments of Agriculture, Rural Development, Industry, Finance, Railways, Road Transport, Human Resource Development, Power and Water Resources of the Union Government; and
> (e) not more than five members to be appointed by the Central Government by rotation in the alphabetical order to represent the Governments of the States having the underdeveloped and backward areas and regions."

He also wanted State representation in this body. However, the peculiar point worth mentioning is that the hon. Member wanted the headquarters of this body to be in Bhubaneswar.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): He has mentioned that it should be 'out of Delhi'.

SHRI V. NARAYANASAMY : He did not say that it should be 'out of Delhi'. Let me read it for your kind information. He states in Clause 4 (3) that : "The headquarter of the authority shall be at Bhubaneswar in the State of Orissa…" and not 'out of Delhi'. If he had said 'out of Delhi', then I would have agreed with your point. But he specifically mentioned Bhubaneswar. Therefore, I wanted to quote this. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : If you accept his concept, then he will bring an amendment to it.

SHRI V. NARAYANASAMY : Those who want to bring an amendment, they can bring an amendment.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): We can have the headquarters at Puducherry.

SHRI V. NARAYANASAMY : No, let it be in Bhubaneswar as per your wish. I do not want to go against it.

The main functions of the authority have been described by the hon. Member in Clause 9. It states that : "It shall be the duty of the Authority to undertake such special steps in order to ensure rapid and accelerated development of underdeveloped and backward areas and regions of the country, and take necessary steps for the overall development of these areas and regions." Further, in Clause 9 (2), he states that : "Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Authority shall take the following measures, namely, development of infrastructure such as railways, roads, communication network; promoting industrial development by encouraging investment; development of irrigation facilities, agriculture and agro-based industries; augmenting water resources through watershed projects and constructing wells, bore wells, canals, ponds and providing potable water facilities; and installing power projects based on conventional and non-conventional sources of energy."

He further went on to say that apart from agriculture operations, poultry farming, breeding, piggery, livestock, dairy products, etc. -- which the rural people do -- should be included in it for developing the rural infrastructure and also to develop the rural areas.

First of all, while speaking on this Bill, I would like to say that the hon. Member, Shri Baijayant Panda, who has been with me in the other House earlier, we both have come to this House now. He has been very vocal in raising issues relating to Orissa's

development. He used 2-3 major issues, namely, the Orissa's backwardness and backward regions in the whole country; secondly, he stated about the kind of Naxalism that is growing in the backward region; and thirdly, he used one word, which I would like to specifically quote because I did not expect it from him. He mentioned callous and careless attitude of the Central Government. He mentioned this specific word, which I wanted to mention to him. He also mentioned about the freight equalization scheme and royalty. He also said about adequate funds that have to be given for the backward region by the Central Government as the existing mechanism in the Government of India, especially, the planning process is not yielding the desired result. Therefore, he wanted an alternative mechanism for the development of backward region.

This is the sum and substance of the hon. Member's view, which he has expressed. Some other valid points have come from other senior Members. They were also referring to the backward region, and that they are suffering for want of resources; the income that is not being generated at the State-level in the backward region as compared to other developed areas for developing the backward region and the underdeveloped areas; and what to do and how the scheme -- that have been brought out by the State Government -- is to be sufficiently funded.

One valid argument has been raised by a very senior Member of this House, Shri Arjun Charan Sethi. He mentioned that the guidelines that have been given for the Centrally-sponsored Schemes do not suit all the States, and that is time now for the Government of India to revisit those guidelines. He has raised that point. Another hon. Member, Shri Meghwal, was referring to the State component in the Centrally-sponsored Scheme, and that the State Governments were not having adequate funds, therefore, this has to be modified. Several valid suggestions have come from the hon. Members.

I would like to submit something about the planning process. Who does the planning process? The State Government makes the entire planning process in the State. We are in a federal structure. The Central Government can only supplement the planning process by giving funds to the State Governments from its own resources. However, the entire planning process comes from the States. It has to come from the grass-roots. There should be district planning, and the district planning has to be adopted by the State Government, and then it submits its priorities of various schemes and projects to the

Government of India, to the Planning Department. We have a Planning Department here. They submit it to the Planning Commission.

From the entire argument, it seems that it is the sole responsibility of the Central Government to develop the backward regions, underdeveloped regions, and hilly regions. I would say that it is the collective responsibility. One aspect that I would like to carefully mention, with all humility, is that it is the collective responsibility of the State Government as well as that of the Central Government. Unless and until the State Government concerned takes the initiative, the Central Government alone cannot do it. Why I am saying this is because the implementation of various schemes and projects is primarily done by the State Government concerned. The State Government has the machinery to implement all the schemes, and the Central Government is only providing funds. The ground work is being done by the States. … (*Interruptions*)

**श्री अशोक अर्गल (भिंड):** कुछ राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार भेदभाव भी करती है। मैं चाहता हूं कि राज्यों से जो प्रस्ताव केन्द्र में आते हैं, उन पर मिलजुल कर काम हो और जो पैसा राज्य सरकार मांगे, वह केन्द्र सरकार को देना चाहिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: I am not going to argue on this because I will then have to explain so many other things and what the State Governments are doing. I do not want to get into a controversy here.

MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister complete his reply.

**श्री वी.नारायणसामी :** माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि राज्यों से जितनी स्कीम्स आती हैं, केन्द्र उन्हें सेंक्शन नहीं करता। मेरा निवेदन है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार राज्यों को देती है, तो राज्यों का भी फर्ज बनता है, उस पैसे को सही जगह और पूरा इम्प्लीमेंट करें।

I will come to Orissa, and I will come to Bihar. What is the amount which the Government of India has given? Are you looking at the watch?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : No, there is another Bill which has to be taken up.

SHRI V. NARAYANASAMY: The Central Government, as I told you earlier, is only supplementing the State Government’s budget. It is only giving funds to the States. The planning process is done by the State Governments and submitted to the Planning Commission, and then it is approved by the Planning Commission.

Hon. Member, Shri Adhir Chowdhury, referred to the Special Category States, and said only 30 per cent fund is being given. Out of 100 per cent funding, 70 per cent

funding is done according to the Gadgil-Mukherjee formula. There is a set formula for this. Accordingly, the funds have been given to the States by the Government of India. The performing States have been given additional funding. When the literacy level is more, when the health indicators are good, there is proper road connectivity and proper water supply, the performing States have been given additional consideration by the Planning Commission in the planning process.

Sir, the main argument put forth by the hon. Members from the other side is on how to develop the underdeveloped areas. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No interventions please. Hon. Minister, please continue.

*(Interruptions) …* *

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you need not reply to him. You may please go ahead with your reply.

*(Interruptions) …* *

SHRI V. NARAYANASAMY: Whatever he has spoken, should not go on record. If it goes on record, then I will have to speak on those points.

MR. CHAIRMAN : It should not go on record.

*(Interruptions) …* *

**श्री अशोक अर्गल :** सर, हाउस में कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Nothing will g record.

*(Interruptions) …* *

MR. CHAIRMAN : Please continue, hon. Minister.

**श्री वी.नारायणसामी:** महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिजनैस में कोरम की डिमांड नहीं होती है। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please do not reply. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)

SHRI ASHOK ARGAL : Sir, there is no quorum in the House.

---

* Not recorded

MR. CHAIRMAN**:** The bell is being rung--

Hon. Members, since there is no quorum in the House, the House stands adjourned to meet again on Monday, the 3rd August, 2009 at 11 a.m.

**17.44 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 3, 2009/Sravana 12, 1931 (Saka).*